The Uttar Pradesh Stamp Act, 2010

Act 17 of 2010

Keyword(s):
Association, Banker, Bond, Chargeable, Clearance List, Collector, Conveyance
Amendment appended: 1 of 2016

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

## सरकारी गजट, उत्तर मदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट <br> भाग-1. खण्ड (क) <br> (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ. बुधवार, 7 आप्रैल. 2010
चैत्र 17. 1932 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या $526 / 79-$ वि-1-10-1(क) 26-2008
लखनफ, 7 अप्रैल, 2010
अधिसूचना
$\frac{\text { विविध }}{}$
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति गहोदय ने उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 पर दिनांक 27 गार्च. 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2010 के रूप गें सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2010
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2010)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
उत्तर प्रदेश राज्य में स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए

अधिनियम
भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियग बनाया जाता है:-

$$
\begin{aligned}
& \text { अध्याय-1 } \\
& \text { प्रारम्भिक }
\end{aligned}
$$

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम. 2008 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

संक्षिप्त नाम.
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार. अधिसूतना द्वारा, इस प्रारग्भ निमित्त नियत करे तथा भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2-ईस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या सन्द्यम्भ के प्रतिकलल ग हो,
(एक) "संगम" का तात्पर्य ऐसे संगग केन्द्र, व्यक्तियों के संगठ干 या समूह, चाहे निगगित हो या न हो. से है, जो किसी माल या विपण्य प्रतिभृतियों से सम्बन्धित विक्रय या कारोबार का िियन्त्रण या संचालन करने या कोई अन्य संव्यवहार करने के प्रयोजन के लिये रथापित किया गया हो।
(दो) "बैंककार" का तात्पर्य ऐसे किसी संघ, कम्पनी या व्यक्ति से है, जो जनता से जगा के रूप में ऐसं धन स्वीकार करता हो जो मांग पर या अन्यथा प्रति संदेय हो और चेक/ड्राफ़्ट, भुगतान आदेश द्वारा या अन्यथा प्रत्याहरणीय हो;
(तीन) "बाण्ड" के अन्तर्गत-
(क) कॉई लिखत जिससे कोई व्यक्ति दूरारे को धन अदा करウे के लिये इसा शर्त पर स्वयं को आबद्ध करे कि किसी निश्चित कार्य के पूरा किये जाने या न किये जाने, जैसी भी रिथति हो, पर बंधन निष्प्रभावी हो जायेगा ;
(ख) एक साक्षी द्वारा साक्ष्यांकित कोई लिखत जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को दुसरों को धन अदा करने के लिये आबद्ध करें, जो उसके आदेश पर या वाहक को देय न हो ;
(ग) उक्त प्रकार से साक्ष्यांक्कित कोई लिखत जिसे कोई यक्ति स्वयं को दूसरे को अन्न या अन्य कृषि उपज देने के लिये आबद्ध करें:

स्पष्टीकरण:- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होंते हुए भी. इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी लिखत" के सम्बन्ध में "साक्ष्यांकित" का तात्पर्य एक या उसम अधिक इ्से साक्षियों द्वारा साक्ष्यांकित किये णाने से है जिनगों से प्रत्येक ने निष्पादी को लिखता पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा हो या अपनी उपरिथति गें वा निष्पादी के निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्तक्षर करते देखा हो या निष्वादी से उसकं हुस्ताक्षर या चिन्ह या ऐसे अन्च व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त किया हंत्रोर उनमें से प्रत्येक ने निप्पादी की उपर्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किया हो. किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक साक्षी एक ही समय उपस्थित रहे हों और साक्ष्यांकन का कोई विश्शिष्ट तरीका आवश्यक नहीं होग।
(चार)" प्रभार्य"- इस अधिनियम के प्रारम्भ होंने को बाद निष्पादित या सर्वप्रथम निष्पादित लिख़त के लिये प्रयोग किये जाने की दशा में "प्रभार्य" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन " प्रभार्य " है और अन्य किसी लिखत के लिये प्रयोग किये जाने की दशा गें उस विधि के अधीन " प्रभार्य " है, जो लिखत के निष्पादन के समय, या जब लिखत अनक व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न समयों पर निष्पादित किया गया हो, तो प्रथम निष्पादन के सगय भारत में लागू हों:
(पांच) "मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी " का तात्पर्य राजस्व परिषद के किसी सदरय. मण्डल आयुक्त, अपर मण्डल आयुक्त या स्टाम्प विभाग के किरी अधिकारी जो उप आयुक्ष स्टाग्प की पंक्ति से नीचे का न हो, और किरी ऐरो अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार गज̈टें गें अधिसूचना द्वारा रम्पूर्ण राज्य या उसके किसी गएल के लिये इरा निमित्ता नियुक्त करे
(छ:) " समाशोधन सूची"- का तात्परं सचिदाओं से सम्बन्धित संच्यवहारों की एर्सी सूची से है जो किसी संगम के समाशोधन गृड में संगए के नियमों या उप विधियों के अनुसार प्ररतुत किये जाने के लिये अपेक्षित हो.

परन्तु कोई लिख्रत. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये तब तक समाशोधन सूर्चः नहीं सम्डी जायेगी, जब तक कि उसगें ऐेसे संख्यवहार का निपटारा करने वाले व्यक्तियों द्वाता या उसकी ओर से सगुचित रूप से नियत अटार्नी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा न हो. अर्थात:-
.. 'गं/ हम एतदट्टारा सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूची में मेंे $/$ हमारे संव्यवहार का पूर्ण एवं सत्य विवरण समाविष्ट है जिसके अन्तर्गत संगम के नियमों/उप विधियों के अनुराए निरस्त संव्यवहार या समाशोधन गृह में प्रस्तुत किये जाने वाले संख्यवहार भी है। में/हग अग्रतर घोदणा करेंता हुं/करते हैं कि कोई संव्यवहार, जिसके लिये इस अधिनियम की अनुसूची के 'यथास्थिति, अनुच्छेद 5 (ख) (करार या उसके अगिलेख या करार का ज्ञापन) अनुच्छेद 44 (टिप्पणी या ज्ञापनन) के अधीन छूट के लिए दावा किया गया है, छोड़ा नहीं गया है।"

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजन के लिये संव्यवहार के अन्तर्गत विकय और कय. दोनों होंगे।
(सात) " कलेक्टर " का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से हैं और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी गी है जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे और जिस पर इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य कलेक्टर को कोई या सभी शक्तियां, ऐसी अधिसूचना द्वारा या किसी अन्ग अधिसूचना द्वारा प्रदत्त की गयी हों।
(आठ) " हस्तान्तरण-पत्र " के अन्तर्गतः -
(क) विकय का हस्तान्तरण पत्र. या
(ख) प्रत्येक लिखत, या
(ग) किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की प्रत्येक डिकी या अन्तिम आदेशे या
(घ) कम्पनी अधिनियग। 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन 1956) की धारां 394 के अधीन कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन के सम्बन्ध में उच्च ग्यायालय द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश. या
(ङ.) बैंककारी विनियमन अधिनियन. 1949 (अधिनियम संख्या 10 सन 1949) की धरा 44-क के अधीन बैंककारी कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व वैंक द्वारा किया गया म्रंत्येक आदेश है।
(च) सहकारी समितियों द्वारा ऐसी समिति के किसी विद्यगान रंलस्य की अचल सम्पत्तियों में किसी अत्रर्गामी सदस्य के पक्ष में नया शेयर सर्टीफिकेंट जारी करके या विद्यमान सदस्य के शेयर सर्टीफिकेट पर अन्तर्गामी सदस्य के पक्ष में पृष्ठांकन करके शेयर का अन्तरण.

जिसके द्वारा सम्पत्ति. चाहे वह जंगम या स्थावर, किसी अन्य व्यक्ति को या जीवित व्यवित्तयों के बीच अन्तरित या निहित की जाती है और जो अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से. उपथधित नहीं है।

स्पष्टीकरण- इस अधिनियम के किनहीं अन्य उपनन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल वात के हांते हुए भी निग्नलिखित लिखतों को इस खण्ड के प्रयोजन के लियो ऐसा लिख्रत समझडा जायेगा जिसके द्वारा सग्पत्ति जीवित व्यवित्तयों के बीच अन्तरितं की जाती है-
(एक) कोई लिखत जिसके द्वारा सम्पत्ति के परिनिश्चित अंश का सहःस्वार्मी ऐसे अंश या उसके भाग को सम्पत्ति के दूसरे संहःस्वामी को अन्तरित करता है; या
(दो) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई भागीदार भागीदारी कारबार की सम्प्ति में अपने अंश को दूसरे भागीदार या अन्य भागीदारों को, चाहे पृथक रूप से या संयुक्त रूप से, सेवानिवृत्ति या विघटन पर अन्य कारबार या आस्तियों के अन्तरण के साथ अन्तरित करता है या जिसके द्वारा वह किसी सम्पत्ति में अपने अधिकार और हक या हित के अन्तरण द्वारा भागीदारी फर्म की पूंजी में अंशदान करता है।
(तीन) कोई लिखत जिसके द्वारा किसी निगमित कम्पनी या निगमित निकान्य की सम्पत्ति उसके साधारण अंशों के अन्तरण द्वारा दूसरी निगगित कम्पनी या निगभित निकाय या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अन्तरित की जाती है।
(नौ) " सम्यक् रूप से स्टाम्पित"- से जवकि वह किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, यह तात्पर्य है कि समुचित राशि से अन्यून राशि का आसंजक या छापित स्टाग्प. उस लिखत पर लगा हुआ है, और यह कि ऐसा स्टाम्प राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है या उपयोग़ में लाया गया है।
(दस) "निष्पादित" और "निष्षादन" का तात्प्र्य जब उसका प्रयोग लिखतों के सम्बन्ध में किया गया हो. "हस्ताक्षरित" और "हरताक्ष्वर" से है।

स्पष्टीकरण- पद "हस्ताक्षरित" और "हस्ताक्षर" का वही तात्पर्प होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) की धारा 11 इलेम्ट्रानिक अभिलेखों का विचार में प्राविधानित है।
(ग्यारह) " सरकारी प्रतिभूति " का तात्पर्य लोक ऋण अधिनियम, 1944 (अधिनियम संख्या 18 सन् 1944) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूति से है,
(बारह) "अचल सम्पत्ति" में भूमि ,भवन, आनुवांशिक भत्ता. मार्ग का अधिकार. प्रकाश, नौधाट, मत्त्य पालन या भूमि से उत्पन्न कोई अन्य लाभ या पृथ्वी से संलग्न वस्तुएं या पृथ्वी से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप में बंधी हुई लेकिन इसके अन्तर्गत काष्ठ. उगती हुई फसल या घास, वृक्षों के फल या उनके रसा या किसी न्यास सम्पत्ति में लाभार्थी का लाभकारी हित सम्मिलित नहीं है।
(तेरह) "छापित स्टाम्प" - के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं-
(क) समुचित अधिकारी द्वारा लगाये गये और छापित लेबल. और
(ख) स्टाम्पित कागज पर समुद्भृत या उत्कीर्ण स्टाम्प.
(ग) फेंकिंग मशीन, ई-स्टाम्पित या किसी अन्य ऐसी मशीन से छाप जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे. या
(घ) गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह. सील या पृष्ठांकन।
(चौदह) " लिखत"- के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम. 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (न) में यथा परिभाषित किसी इलेक्ट्रानिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस, मीडिया या इलेक्ट्रानिक रिकार्ड द्वारा सृष्ट या अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज और अभिलेख भी है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दार्यित्व, सृष्ट, अन्तरित, सीमित, विस्तारित, निहित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है. लेकिन उसमें विनिमय पत्र, चेक, वचनपत्र, बिल आफ लेडिंग, प्रत्यय पत्र, बीमा पालिसी. शेयर का अन्तरण, डिबेन्चर प्राक्सी और रसीद सम्मिलित नहीं हैं।
(पन्द्रह) "दान की लिखत"- के अन्तर्गत कोई मौखिक दान देने या स्वीकार करने कं लिये कोई लिखत भी है. चाहे वह घोषणा के रूप में हो या अन्यथा हो
(सोलह) "विभाजन की लिखत"- का तात्पर्य ऐसी लिखत से है. जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सहस्वागी किसी सम्पत्ति को अलग-अलग विभाजित करते हैं या ऐसी सम्पति को विभाजित करने का करार करते हैं , और इसके अन्तर्गतं-
(क) किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन करने के लिये पारित किया गया अन्तिम आदेश है:
(ख) किसी मंध्यस्थ द्वारा विभाजन का निदेश करने वाला पंचाटं है: और
(ग) जब ऐसी किसी लिखत को निष्पादित किये बिना कोई विभाजन किया गया हो जो सहर्वणियों द्वारा हरताक्षरित और सहस्वागियों के मध्य ऐसे विभाजन की शतों को अभिलिखित, चाहे ऐसा विभाजन घोषणा के रूप गें हो था अन्यथा, करने वाली कोई लिखत वा लिखलें।
(सत्रह) " पट्टा"- का तात्पर्य चल या अचल सम्पत्ति के पट्टे से है ओर इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है:-
(क) पट्टा :
(ख) किसी स्थावर सम्पत्ति पर खेंती करने, उस पर अधिभोग रखने या उसके लिये भाटक का संदाय या परिदान करने के लिये कोई कबूलियत या कोई अन्य लिखित वचनबन्ध जो फट्टे का प्रतिलेख नहीं है.
(ग) कोई लिखत जिसके द्वारा किसी प्रकार के पथ-कर पट्टे पर उठाये जाते हैं,
(घ) पट्टे के लिये आवेदन पर कोई लेखन. जिससे यह संज्ञापित करना आशयित हो कि आवेदन स्वीकृत किया गया है.
(ड.) कोई लिखत, जिसके द्वारा खान और खनिज (विनियगन और विकास) अधिनियम. 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 3 के खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित गोण खनिजों के सम्बन्ध में खनन पट्टा स्वीकृत किया जाय।
(च) पट्टा के सम्बन्ध में किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की प्रत्येक डिकी या अन्तिम आदेश।
(अठारह) "विपण्य प्रतिभूति" का तात्पर्य इस प्रकार की प्रतिभूति से है जो भारत के किसी भी स्टाक बाज़ार में बेचे जाने के योग्य है।
(उन्नीस) " बाजार मूल्य" सम्पत्ति के बाजार मूल्य का तात्पर्य कलेक्टर् द्वारा नियत दरों के आधार पर यथा अवधारित मूल्य या लिखत में दी गयी प्रतिफल. जो भी उच्चतर हों. से है.
"शेयरों के बाजार मूल्य" के लिए अनुच्छेद 24 (ड.) के स्पष्टीकरण (2) को देखें।
(बीस) " बन्धक विलेख" के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक लिखत है जिसके द्वारा इस प्रयोजन से कि उधार के तौर पर दी गयी या दी जाने वाली धनराशि को या किसी वर्तमान या भावी ऋण को या किसी वचनबन्ध का पालन किये जाने को प्रतिभूत किया जाये या कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर या तद्विषयक कोई अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके पष्ं में अंतरित या सृजित करता है.
(इक्कीस) "कागज " के अन्तर्गत गफली चमडा. कागज या कोई अन्य सामग्री है जिस पर कोई लिखत लिखी जा सकती है,
(बाईस) 'मुख्तारनामा' के अन्तर्गत (तत्समय प्रवृत्त न्यायालय-फीस से सम्बन्धित विधि के अधीन किसी फीस से प्रभार्य न होने वाली) ऐसी लिखत है. जो उसे निप्पदित करने वाले व्यक्ति की ओर से उसके नाम से कार्य करने के लिये किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को सशक्त करती है.
(तेईई) "लोक आफिंसर" का तात्पर्पर्य सिविल प्रकिया संहिता. 1908 (अधिनियम संग्या 5 सन् 1908) की धारा 2 के खण्ड (17) में यथापरिभाषित लाक आफिसर से है और इसके अन्तर्गत निग्नलिखित संगठनों में से किसी के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत प्रत्येक आकिसर भी है. अर्थात्-
(क) किसी उत्तरः प्रदेश अधिनियम, के अधीन गठित कोई सांविधिक निकाय या प्राधिकरण।
(ख) उुत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम. 1965 (अध़िनियग संख्या 11 सन् 1966) की धारा 2 के खण्ड. (ट) में यथापरिभाषित कोई "वित्त पोषक बैंक" या "केन्द्रीयं बैंक"।
(चौबीस) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य किसी जंगम या स्थावर सन्पत्ति का किसी लिखित अवसीयती व्ययन से है, जो -
(क) विवाह के प्रतिफल के लिये किया गया है;
(ख) व्यंवस्थापक की सग्पत्ति की उसके कुटुम्ब के या उन व्यक्तियों के बीच. जिनके लिये वृह व्यवस्था करना चाहता है. वितरित करने के प्रयोजन के लिये या उस पर आश्रित व्यक्ति के लिये व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये किया गया है; या
(ग) धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिये किया गया है,
और इसके अन्त्तर्गत ऐसा व्ययन करने के लिये कोई लिखित करार है और जहां कि कोई ऐसा व्ययन लिखित में नही किया गया है, वहां किसी ऐसे व्ययन के निबन्धनों को चाहे वह न्यास की धोषणा के तौर पर या अन्य प्रकार का हो. अभिलिखित करने वाली कोड़ी? लिखत है।
(पच्चीस) "अनुसूची " का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है।
(छब्बीस) "सैनिक" के अन्तर्गत गैर कमीशन्ड अफ़िसर से निग्न रैंक का कारें व्यक्ति है. जो आर्मी एक्ट, 1950 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1950) कें अधीन अभ्याविष्ट हो।
(सत्ताईस) " स्टाम्प" का तात्पर्य इस अधिनियग के अधीन प्रभारणीय शुल्क की प्रयोजनों के लिये किसी ऐसे अभिकरण या व्यक्ति द्वारा लगाये गये किसी चिन्ह, मुहर यां? पृष्ठांकन से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा संम्यक् रूप से प्राधिक्त किया गया है तथा इसमेंदै आसंजक (चिपकने वाला) या विमुद्रित स्टाम्प भी सम्मिलित है।
(अट्ठाईस) "सामान्य रोल" एवं "राज्य रोल" शब्द का अर्थ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1961) में समनुदेशित के अनुसार होगा।
(उन्तीस) इस अधिनियम में अपरिभाषित किन्तु भारतीय स्टाम्प अधिनियग, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) में परिभाषित शब्द और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो उन्के लिये 1899 के उक्त अधिनियम में समनुदेशित है।

शुल्तं से प्रभार्य लिखतं

$$
\begin{aligned}
& \text { अध्याय- } 2 \\
& \text { स्टाम्प शुल्क }
\end{aligned}
$$

(क) लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व
3 -इस अधिनियम के उपबन्धों और अनुसूची में अन्तर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित लिखतें ऐसी धनराशि के शुल्क से प्रभार्य होगी जो अनुसूची में कमशः उनके लियें उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गई है, अर्थातः-
(क) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादिए, नहीं की गई है बल्कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात राजय मे निष्पा टेत की गई है।
: (ख) (विनिभय-पत्र या वचन-पत्र से भिन्न) ऐसी प्रत्येक लिखत. जो. अनुसूची में वर्णित.है. और जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादित नहीं की गई है बल्कि धारा 23 के अधीन राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है :

- परन्तु इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और इस धारा के खण्ड (क) और (ख) या अनुसूची में किसी वस्तु के अन्तर्विष्ट होते हुए भी निम्नलिखित लिखत अनुसूंची में अन्तर्विष्ट छूट्ट के अध्यधीन,. उसके लिये यथास्थिति उचित शुल्क के रूप में अनुसूची में निर्देशित धनराशि के शुल्क से प्रभार्य होगी. अर्थात:-
(क) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत, जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित न किया गया हो. उत्तर प्रदेश में निष्पादित किया गया था-
(एक) अनुसूंची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चत् जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम. 1948 प्रवर्तन में आया हो, और
(दो) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात्, जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम. 1952 प्रवर्तित हुआ हो.
(ख) अनुसूची में वर्णित प्रत्येक लिखत जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निब्पादित न किया गया हो, उत्तर प्रदेश के बाहर निष्यदित किया गया हो-
(एक) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधनन) अधिनियम. 1.948 प्रवर्तन में आया हो, और
(दो) अनुसूची में वर्णित लिखतों के मामले में उस दिनांक पर या उसके पश्चात जिस पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1952 प्रवर्तित होता है और उत्तर प्रदेश में किये जाने वाले या किये गये गामलों या वस्तुओं या उत्तर प्रदेश में स्थित किसी सम्पत्ति से सम्बच्धित है और उत्तर प्रदेश में अभिप्राप्त किया जाता है:

परन्तु यह भी कि कोई भी शुल्क निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रभार्य न होगा:-
(1) सरकार द्वारा या उसकी ओर सें या उसके पक्ष में निष्पादित किसी लिखत पर. उस दशाओं में जिनमें . छूट के अभाव में, संरकार ऐसी लिखत के अन्तर्गत प्रभार्य शुल्क देने के लिये दायी होती ।
(2) कोई लिखत जो पश्चात्वर्ती अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियग, 1958 (अधिनियम संख्या 44 सन् 1958) या बाम्यें कोस्टिंग वैसिल्स एक्ट, 1838 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1838) या इण्डियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स, एक्ट. 1841 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1841) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के. अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित, अंश या सम्पत्ति चाहे आत्यन्तिकतः या बन्धक द्वारा या अन्यथा, विक्रय अन्तरण या अन्य व्ययन के लिये हो।
(3) किसी ऐसे लिखत पर जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रयोजनों के कियान्वयन के सग्न-ध में विकासकर्ता . या "इकाई" के द्वारा या की ओर से या के पक्ष में निष्पांदित किया कमा है।

## स्पष्टीकरण

(1) इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये पद " विकासकर्ता" "विशेष आर्थिक क्षेत्र' और "इकाई" का क्रमशः वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम. 2005 (अधिनियम संख्या 28 सन् 2005) की धारा 2 के खण्ड (छ) .(यक) और (यग) में उनक तिये समनुदेशित है ${ }^{\prime}$
(2) जहां अनुसूची में विहित शुल्क की धनराशि में दस ऊपये का कोई भाग हो तो समुचित शुल्क की धनराशि दस रुपदे के अगले उच्चतर गुणांक में पूर्णाकित धनराशि होगी जैसा उक्त अनुसूची में एतद्पश्चात आया है।

किरीी एकल सच्यदहार में प्रयोग त̈ लाइ rई कई लिखते

कई सुभिन्न मामलों से सम्बन्धित लिखतें

अनुसूची में विभिन न वर्पनों में आने वाली लिखतें

प्रतिलिपि. प्रतिलेख या द्वितीय प्रति पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क का भुगतान, यदि वह शुल्क मुख्य या मूल लिखत पर अदा नहीं किया गया है

4-(1) जहां किसी एकल संव्यवहार को पूरा करने के लिए कई लिखतें प्रयोग की जाती है, वहां केवल मूल लिखत ही उक्त के लियं अनुसूची में विहित शुल्क से प्रभार्य होगी और अन्य लिखतों में से प्रत्येक उसके लिए उस अनुसूची में विहित शुल्क (रदि कोई हो) की बजाय एक सौ रूपये के शुल्क से प्रभार्य होगी:
(2) पक्षकार अपने आप यह अवधारित कर सकेंगे कि इस प्रकार प्रयोग में लाई गई लिखतों में से कौन सी लिखत उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए मूल लिखत समझी जायेगी :

परन्तु इस प्रकार अवधारित की गई लिखत पर प्रभार्य शुल्क ऐसा अधिकतम शुल्क होगा जो प्रयोग में लाई गई उक्त लिखतों में से किसी की बाबत प्रभार्य है।

5-कई सुभिन्न मामले समाविष्ट करने वाली या उनसे सम्बन्धित कोई लिखत ऐसे शुल्कों के योग की धनराशि से प्रभार्य होगी जिससे ऐसे विषय को समांविष्ट करने वाली या उनसे सम्बन्धित पृथक-पृथक लिखतें. इस अधिनियम में, हर एक के अधीन प्रभार्य होतीं।

6-धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां इस प्रकार विरचित कोई लिखत, अनुसूची के दो या अधिक वर्णनों में आती है, वहां यदि उसके अधीन प्रभार्य शुल्क भिन्न-भिन्न हैं, तो ऐसे शुल्कों में से केवल अधिकतम शुल्क से ही वह प्रभार्य होगी :

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात, शुल्क से प्रभार्य किसी भी लिखत के प्रतिलेख या द्वितीय प्रति को जिसकी बाबत उचित शुल्क संदत्त किया जा चुका है, पचास रुपये से अधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं बनायेगी जब तक वह धारा 6 के उपबन्ध के अग्तर्गत. नंहीं आता।

7-(1) धारा 4 या 6 में या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी वस्तु के होते हुए भी जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि -
(क) मुख्य या मूल लिखत पर. जैसी भी स्थिति हो, या
(ख) इस धारा के प्राविधानों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क अदा नहीं कर दिया गया है. तब तक मुख्य लिखत के अतिरिक्त संव्यवहार को पूर्ण करने के लिये काम में लायी गयी विभिन्न लिखंतों में से किसी भी एक लिखत पर या किसी की प्रतिलिपि, प्रतिलेख या द्वितीय प्रति पर प्रभार्य शुल्क. यदि मुख्य या मूल लिखत. उत्तर प्रदेश में प्राप्त किये जाने पर. इस अधिनियम के अधीन शुल्क के उच्चतर दर से प्रभार्य होती. वह शुल्क होगा जो मुख्य या मूल लिखत पर धारा 24 के अधीन प्रभारित किया जाता।
(2) जहां कोई लिखत उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत के किसी भाग में पंजीक़त हो और लिखत पूर्ण या आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति से सम्बन्धित हो, वहां ऐसे लिखत की प्रतिलिपि, जब उत्तर प्रदेश मे अभिप्राप्त हो, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति के मूल्य या प्रतिफल की सीमा तक और के अनुपात में धारा 24 के अधींन मुख्य लिखत की भांति स्टाम्प शुल्क के अन्तर से प्रभारित होने के लिये दायी होगा और मूल प्रतिलिपि पर स्टाम्प शुल्क अदा करने के लिये दायी पक्षकार. पंजीकरण अधिकारी से सूचना प्राप्र करने पर अनुमन्य समय में शुल्क में अन्तर का भुगतान करेगा।
(3) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत, प्रतिलेख, द्वितीय प्रति या प्रतिलिपि उचित रूप में स्टाम्पित रूप से साष्य में तब तक प्राप्त नहीं किया जायेगा जब तक कि इस धारा के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु कोई न्यायालय. जिसके समक्ष ऐसा कोई लिखत. प्रतिलेख, द्वितीय प्रति या प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाता है, स्वविवेकानुसार इस धारा के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क का भुगतान किये जाने के लिये अनुज्ञा दे सकेगा और तब साक्ष्य में प्राप्त कर सकेंगा।

8-(1) इस अधिनियग में किसी बात के होते हुये भी डिबेन्वर से भिन्न बन्ध-पत्रों या प्रतिशतितियों को निर्गमित करके रथानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 (अधिनियम संख्या 9 .संन्र 1914) या तत्सगय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपवन्धों के आधीन उ़धार लेने वाला कोई भी स्थानीय प्रतधिकारी. ऐसे उधार के सम्बन्ध में अपने द्वारा निर्गमित बन्ध-पत्रों या डिरेेचर की कुल धनराशि पर दो प्रतिशत शुल्क से प्रभार्य होगा और ऐसे बन्ध-पत्रों या प्रतिभूतियों को रटाम्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी और नवीनीकरण. समेकन. उप्पखण्डीकरण पर या अन्यथा वे किसी अतिरिक्त शुल्क्क से प्रभार्य नहीं होंगे।
(i) कतिपय बन्-पत्रों या डिबेंचर से भिन्न प्रतिभूतियों को स्टाम्पित किये जने से किसी आतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य होने सें छूट देने वाली उपधारा (1) के उपबन्ध. उसगें वर्णित सभी प्रक़ार के बकाया उधार विषयक बन्ध-पत्रों या प्रतिगूतियों पर लगग होंगे और ऐसे सभी बन्द-वृत्र या प्रतिभूतियां चाहे वह स्टत्पित हों, या न हों, विधिमान्य होंगी:
(3) इस धारा द्वारा अपेकित शुल्क अदा करने में जानबूझ़कर उपेक्षा करने की दशा मi. स्थानीय प्राधिकरी संदेय शुल्क की रकम पर दस प्रतिशत की धनरसशि के बराबर राशि! राज्य सरकार को सगपह्त करने का दायी होगा और ऐसे प्रथग भास के पश्चात् प्रत्येक मास जिसके दौरान उपेक्षा चलती रहें. समान शास्ति का दायी होगा।

9 -इस अधिंनियग या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपतन्ध में किसी बातं के होते हुए भी-
(क) कोई निर्गतकर्ता किसी एक अथवा अनेक निक्षेपकर्ता के पक्ष में प्रतिभूति जारी करता है तो उसके द्वारा निर्गमित ऐसे निर्गम ने सम्बध्ध में प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि पर शुल्क से प्रभार्य होगा तथा ऐसी प्रतिभूतियों कां से।म्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी:
(ख) जब कोई निर्गतकर्ता निक्षेप अधिनियम. 1996 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1996) की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिभूति का प्रमाण-पत्र जारी करता है तो ऐसो प्रमाण-पत्र पर. वही शुल्क देय होगा जों इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र की प्रतिलिजि जारी करने पर देय होता है.
(ग) (एक) किसी व्यक्ति से किसी निक्षेपागार को या किसी निक्षेपागार से .किसी लाभग्राही स्वाभी को प्रतिभूतियों के रज़िस्ट्रीकृत स्वामित्व का:
(दो) किसी निक्षेपागार द्वारा व्यवहृत प्रतिभूंतियों के लाभग्राही स्वामित्व का :
(तीन) किसीं निक्षेपागार द्वारा व्यवहृत यूनिटों के लाभग्याही स्वामित्व का. जब ऐसे यूनिट किसी म्यूचुअल फन्ड के ऐसे यूनिट हों, जिनके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम. 1963 (अधिनियन संख्या 52 सने 1963) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट भी हैं-

अन्तरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शुल्क के लिये दायी नहीं होगा।
स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनांथ पद "लाभदायी स्वागी", "निक्षेपकर्ता" तथा "निर्गतकर्ता" का वही अर्थ होगा जो निक्षेपकत्ता अधिनियम. 1996 (अधिनियम संख्या 22 सन् 1996) की धारां 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क). (ड.) और (च) में उनके लिए कमशः समनुदेशित हैं।

स्पष्टीकरण 2 - इस धारा के प्रयोजन के लिये पद "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियभन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की धारा 2 की उपधारा (2) के खण्ड (जा) में उसके लिए सगनुदेशित है।

उधार पर निगीति बन्ध-पत्र जिबेद्यर या अन्य प्रतिशूतियाँ

निक्षेपागार में व्यवह्त प्रतिभूतिय स्टाप्प शुल्क की दायी नहीं होंगी
 पुँर्रेटनाकरण ! थाजजन तथा उसरो सम्बन्धिद लिखत शुल्क का दायी नहीं होंगी

परक्राम्य भांड़ाऱ प्राप्तियो पर स्टाग्प शुल्क देय गहीं होगी।
शुल्कों को कम करने. उसरो छूट देने या उसका प्रश्नासन करने की शक्षित्त

शुल्क कैसे दिये जायैंगे ?

10 इरा अलिनियम या तंखमय प्रवृत्त किसी अन्र विधि में अन्त़विप्ट किरी वात के होते हुये भी.-
(क) निगमितीकरण या पुर्रचचनाकरण योजना या दोनों जिसे स्टाक एक्सेंच्ज (शेयर बाजार) द्वारा मान्य किया गया है; या
(ख) कोई ऐसा लिखत, जिसमें, योजना के अनुसरण में स्टाक एक्सचेन्ज द्वारा गान्य निगमितीकरण या पुनर्रचनाकरण या दोनों. के प्रयोजन के लिये या के सम्वन्ध में, किसी सम्पत्ति. कारबार, सम्पदा, चाहे चल हो या अचलः संविदा, अधिकार, दायित्व और वाध्यता के अन्तरण का या से सम्बन्धित लिखत ग़ग्मिलित है,

जैंसा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम. 1956 (अधिनियम संख्या 42 सनं 1956) की धारा 4 ख की उपधारा (2) के अधीन भारतीय प्रतिग्रूति और विनियम परिषद द्वारा अनुगोदित है, इस अधिनिया या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के: अधीन शुल्क का दायी.नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों कें लिये-
(क) पद "निगमितीकरण". "पुनर्रचनाकरण" तथा "योजना" का वही अर्थ होगा जैसा प्रतिभूति संविदा (विनियुगन) अधिनियम, 1956 (अधिनियः संख्या 42 सनें. 1956) की धारा 2 के खण्ड (कक). (कख) तथा (घक) में उनके लिए. समनुदेशित है।
(ख) "भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम परिषद" का आंचयं प्रतिशभृति तथां विनियग परिषद अधिनियम, 1992 (3ंधेनियमं संख्या 15 सन् 1992) की घारा 3 के. अधीन गठित भारतीय प्रतिभूति तथा विनियग परिषद् से है।
11-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी परक्राग्य गांडागार प्राप्तियों पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा।

12 -जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो गजट में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा-
(क) राज्य के संम्पूर्ण या किसी भाग में. ऐसे शुल्क के भव्विप्यलक्षी य़ा भूतलष्धी प्रभाव से कम कर सकेगी या उससे छूट दे सकेगी जिससे कोई लिखते, जब ऐसे विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों द्वारा या उनकें पक्ष में या ऐसे वर्ग के किऩ्ी़ सदस्यों द्वारा या उनके पक्ष में निप्यादित की जायें प्रभार्य हों, और
(ख) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगम निकाय द्वारा निर्धारित डिबेंचर से भिन्न. बन्ध-पत्र य़ा अन्य विपण्य प्रतिभूतियों तथा अंतरण (जव अन्तरिती अकेला हों चाहे वह निगमित•हो या नहीं) की दशा में शुल्कों के प्रशमन या समेकन के लिए उपलव्ध कर सकेगी :
परन्तु राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क गें छूट प्रदान करने या उसमें कभी करनेंक्व दौरान प़र्तें अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु यह और कि स्टाम्प शुल्क में कभी करने या उसमें छूट प्रदान करने के निड़म या आदेश़ में अधिरोपित शर्तो के भंग होने की स्थिति गें कलेक्टर को यह शक्ति होगी कि"पह सम्बन्धित पक्षकर को सुनवाई का सगुचित अवसर देने के पश्चात ऐसे लिखंत जिस पर स्टाम्प शुल्क में इस प्रकार छूट प्रदान किया गया हो या उसमें कटौती की गयी हो;"की निष्पादन के दिनांक से एक माह या. उसके :आंशिक भाग के लिए एक प्रतिशत के ब्याज के साथ इस प्रकार छूट प्राप्त या कम कियें गये स्टाम्व शुल्क की वसूली करें।

ख - स्टाम्प और उसके उपयोग की रीति
13-(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपवन्धित के सिंवाय. स्सिए शुल्क जिनसे कोई लिखतें प्रभार्य हैं. सन्दत्त किये जायेंगे और ऐसा सन्दाय ऐरो लिखतों प्री स्टां्पों द्वारा उपदर्शित किया ज़ायेगा।

(ख) जहां किसी मामले में ऐसा कोई उपवन, राज्य सरकाश द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार।
(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियम. अन्य विधयों के साथ-साथ.-
(क) उन स्टाम्पों का वर्णन जो हर एक प्रकार की लिखत की दशा में उपंयोग में लाये जा सकेंगे।
(ख) छपे हुये स्टाम्पों से स्टाम्पित लिखतों की दशा में, उन स्टाम्पों की संख्या. जो उपयोग में लाये जा सकंगे।
(3) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियगों के़ अधीन रहते हुये राज्य सरकार इस निमित्त लिखतों पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान को अंकित करने के लिये स्टाम्प पर फैकिंग छाप. स्टाम्प चिन्ह. मुहर या पृष्ठांकन के लिये मशीन के प्रयोग के लिये किसी व्यक्ति. निकाय या संगठन को ज्राधिकृत कर सकती है।

14-(1) धारा 13 में किसी बात के होते हुए गी किसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान नकद रूप में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या भुगतान आदेश द्वारा या कोषागार बैंक या कोषगार में चालान द्वारा गी किया जा सकेगा, जिस पर इस निमित्त अधिसूचना द्वारा. राज्य सरकार द्वारा। सशक्त किसी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इस प्रकार सशक्त अधिंकारी ऐसो चालान के प्रस्तुत किये गये शुल्क की घनराशि की लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यथाविहित रीति से प्रग्रणित करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी लिखत पर किये गये पृष्ठांकन का वही प्रभाव होगा मानो पृष्टांकन में वर्णित राशि के समान राशि का शुल्क उसके सम्बन्ध में अदा किया गया है और ऐसी अदायगी धारा 13 के अपेक्षा के अनुसार स्टाम्प के द्वारा ऐसे लिखत पर निर्देशित की गयी है।
: स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये. पद "डिमांड ड्राफ्ट" या "भुगतान आदेश द्वारा" का तांत्पर्य ऐसे ङिगांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश से है. जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनिया, 1955 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1955) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम. $19 \% 0$ (अधिनियम संख्या 5 सन 1970) की धारा 3 के अधीन या. वैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियग संख्या 40 सन् 1980) की धारा 3 के अधीन गठिंत तत्समान किसी गए वैंक द्वारा या भारतीय रिजर्व ैैंक अधिनियम. 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) की धारा 2 के खण्ड (ड) में यथापरिभापित किसी अन्य अनुसूचित वैंक द्वारा जारीं किया गया हैं।

15-इसं अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी स्टाक एक्सचेंज या किसी संगम के गाध्यग से संव्यवहार की टशा में. जैसा कि अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 (अधितियम संख्या 74 सनें 1952) की धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित है, यथास्थिति. स्टके एक्सचैंज या संगम ऐंरो रां्यववंहार के निपटान के समय व्यापारकतों सदस्य के खाते से स्टाम्प शुल्क की क्रटती करके उराका संग्रह कर लेंगे। इस प्रकार संगृहीत शुल्कों को स्टाम्प आयुय्त द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से किसी सरकारी कोषागार. उपकोषाग़ार, भारतीय स्टेट बैंक के सरकारी कारबार शाखा या इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किंसी अन्य बैंक में अन्दरित कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस धाऱा के प्रयोजनों के लिए "स्टाक एक्सचेंज" का तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की उप्धारा (2) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित स्टाक एक्सचेंज से है।
16. निग्नलिखित लिखतें चिपकने वाले रटाम्पों से स्टाम्पित कों जा सकेगी. अर्थाति:-
(क) अधिवक्ता अधिनियम 1961 (अधिनियम संख्यय 25 सन् 1961) क्ं धारे 22 के अधीन राज्य वार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वांरा जारी किया गया नामांकन प्रमाणन-प्र:
(ख) नोटरी कार्य; औँ?
(ग) किसी निगमित कम्यनी या अन्य निगभित निकाय के शेयोों के पृष्डांकन

कतिपय गाग्लों में नकद रूप में. डिगाड ड्राफंट द्वारा या भुगतान आदेश द्वारा स्टाम्प शुल्क को भुगतान

स्टाक एक्सचेंज और सगम द्वारा व्यापारकत्त सदस्य वे खाते सें स्टाःप शुल्क घी कल゙ती। किय्या जान

चिपक बन बलं स्टाप्पों का उमयंग

चिपकम्ने वाले स्टाम्प का रददकरण

काप़ित स्टाम्प लगी डुई लिखतें कैसे लिखी जायेंभी
4

एक स्टाम्प पर केबल एक ही लिखत रहेगी

धारा 18 या 19 के प्रतिकूल लिखी गई. लिखत अस्टाम्पित समझी जायेगी :

शुल्क द्योतक करना

17-(1) जो कोई शुल्क से प्रभार्य किसी ऐसी लिखत पर जो किसी व्यक्ति द्वाश निप्पादित की गई है, कोई चिपकने वाला स्टाम्प लगतता है, वह ऐसा स्टाम्प लगते हुये उसे काट देगा जिससे वह पुन: उपयोग में न लाया जा सके. और
(2) जो कोई किसी कागज पर जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा है, कोई लिखत निष्पादित करता है, वह़ निष्पादन के समय, यदि ऐसा स्टाम्प उपर्युक्त रीति से पहले ही कनट नु दिया गया हो, उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में ऩ लाया जा सके।
(3) किसी भी ऐसी लिखत की जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा हुआ है और जो ऐसे काटा नहीं गया है कि पुनः उपयोग में न लाया जा संके, जहां तक स्टाम्प का सम्बन्ध है. यह समझा जायेगा कि वह स्टाम्पित नहीं है।
(4) वह व्यक्ति जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन चिपकने वाले स्टाप्प को काटना अपेक्षित है वह उस पर या उसके आर-पार अपना नाम या आद्यक्षर लिखकर या अपनी फर्म का नाम या आद्यक्षर लिखने की सही तारीख लिखकर या किसी और प्रभावी प्रकार से उसे काट सकेगा।

18 -प्रत्येक ऐसी लिखत जो ऐसे कागज पर लिखी है जिस पर छपा हुआ स्टाम्प लंगां हो. ऐसी रीति से लिखी जायेगी कि लिखत के सामने के भाग पर स्टाम्प दिखाई दे और वंह किसी अन्य लिखत के लिये उपयोग में नहीं लाया जा सके या अन्य लिखत पर लगाया नहीं जा सके।

19-किसी भी ऐसे छापित कागज पर जिस पर शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत पहले ही लिखी जा चुकी है, शुल्क से प्रभार्य कोई भी दूसरी लिखत नहीं लिखी जायेगी:

परन्तु इस, धारा की कोई भी बात किसी ऐसे पृष्ठांकन का जो सम्यक् रूप से स्ट्टाम्पित है. या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, किसी लिखत पर उसके द्वारा सृजित या साक्षित किसी अधिकार का अन्तरण़ करने के या कोई धनराशि या माल की, जिसका वुकाया जान। यां पारिदान उसके द्वारा प्रतिभूत है, प्राप्ति की अभिस्वीकृति के प्रयोजन के लिये किया जाना निवारित नहीं करेगी।

20-धारा 18 या धारा 19 के. उल्लंघन में लिखी गई हर लिखत की बायत यह समझा जायेगा कि वह बिना स्टाम्प के है।

21-जहां किसी शुल्क की मात्रा जिससे कोई लिखत प्रभार्य है या उसकी शुल्क से छूटं किसी भी रीति से उस शुल्क पर निर्भर है जो किसी अन्य लिखत, चाहे वह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो. की बांवत वस्तुतः दिया गया है, वहां ऐसी अन्तिम वर्णित शुल्क उस दशा में जिसमें कि उस प्रयोजन के लिये कलेक्टर को लिखत रूप में आवेदन किया गया है दोनों ही लिखतों के प्रस्तुत किये जाने पर, कलेक्टर के हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन द्वारा या ऐसी अं्य रीति से (यदि कोई होगे जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे. ऐसी प्रथम वर्णित लिखत पर द्योतिः किया जायेग।

राज्य में निष्पादित की गई लिखते

बिनिमय-पत्रों और
वचन-पन्रों से भिन्न लिखतें जो उत्तर प्रदेश के बाहर निष्धादित की गई है :

22-शुल्क से प्रभार्य और उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित सभी लिखतें निष्पादन किये जाने के पूर्व या उसी समय स्टाम्पित की जायेंगी।

23-(1) शुल्क से प्रभार्य हर लिखत, जो केवल उत्तर प्रदेश के बाहर निष्पादित की गई है और जो विनियम-पत्र या वचन पत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार उसके प्राप्त होने के तीन गास के भीतर स्टाम्पित की जायेगी।
(2) जहां कि कोई ऐसी लिखत जिसके लिये विहित वर्णन के स्टाम्प से किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं की जा सकती. वहां वह उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर कलेक्टेर के समक्ष लाई जायेगी, जो उसे ऐसे गत्य स्य स्टाम्प से. जैसा ऐसी लिखत को लाने वाला व्यक्ति अपेक्षित करे और लेखे की अदाये कf को ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे. स्टाम्पित करेगा।
24. जहां इस अधिनियम के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य कानून के अधीन उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी राज्य में कोई लिख़त शुल्क से प्रभार्य हो गया है और तत्पश्चात् धरा 3 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन उत्तर प्रदेश में शुल्क के उच्चतर दर से प्रगार्य होता है, तब-
(एक) धारा 3 के प्रथन परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुये भी ऐसे लिखत पर प्रभार्य शुल्क की राशि अनुसूूथी के अधीन इस पर प्रभा़्य राशि. ऐसे राज्यों गें इस पर पहले अदा किये गये. यदि कोई हों. शुल्क की राशि से कम करके होगी. और
(दो) उसके लिये पहले से चिपकाये गये, यदि कोई हो. स्टाम्पों के अतिरिक्त. ऐसे लिखत खण्ड (1) के अधीन उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि की अदायीी के लिये आवश्यक स्टाम्पों से उसी ढंग से और उस सगय पर और उसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प किया जायेगा जैसे कि ऐसे लिखत उस समय परं जब उच्चतर शुल्क से प्रभार्य हुआ हो. प्रथग बार राज्य में अभिप्राप्त लिखत हो।

## घ-शुल्क के लिए मूल्यांकन

25(1) जहां कि कोई लिखत भारत की करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में अभिव्यक्त किसी. धनराशि लेख मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है. वहां ऐसे शुल्क का परिकलन उस धनराशि के मूल्य पर किया जायेगा जो लिखत के दिनांक को प्रचलित विनियम दर के अनुसार उसका भारत की करेंसी में है।
(2) ब्रिटिश या किसी विदेशी करेंसी. को भारत की करेंसी में संपरिवर्तन करने के लिये विनियम की दर जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम. 1899 (अधिनियम संख्या 2 सने 1899) की धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन विहित है. उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विद्यमान दर समझी जायेगी।
26. जहां कि कोई लिखत किसी स्टाक या किसी विपण्य या अन्य प्रतिभूति की बाबत. मूल्यानुस़ार शुल्क से प्रभार्य है, वहाँ ऐसे शुल्क का परिकलन ऐसे स्टाकं या प्रतिभूति के उस. मूल्य पर किया जायेगा. जो लिखत की तारीख के दिन उसकी औसत कीमत या गूल्य के बरावर हैं।
27. जहां कि प्रचलित विनिमय दर या औसत कीमत का विवरण जैसी भी स्थिति अपेंक्षित हो, किसी लिखत में है और ऐसे विवरण के अनुसार वह वहां स्टाम्पित है जहां तक कि ऐसे विवरण की विषय-वस्तु का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह उपधारण की जायेगी कि वह सम्यक रूप से स्टाम्पित है. जबंकि तत्पतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है।
:28. जहां कि किसी लिख़त के निबन्धनों के अनुसार ब्याज अभिव्यक्त रूप से देय है, वहां ऐसी लिखत उस शुल्क से अधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं होगी जिससे तब प्रभार्य होती जबकि उसमें ब्याज का वर्णन नहीं किया गया होता।
i. $29(1)$ जहां कि कोई लिखत (जो वचन-पत्र या विनिमय-पत्र नहीं हैं)-
(क) उधार के रूपं में अग्रिम दी गई या अग्रिग दी जाने वाली धनराशि के लिये अथवा किसी विद्धमान :या भविष्य ऋण के लिये प्रतिगूति के रूप में विपण्य प्रतिभूति का निक्षेप किये जाने के समय दी गई है. यां
(ख़) किसी विपण्य प्रतिभूति के सग्यक रूप से स्टाम्पित अन्तरण को, जो प्रतिभूति के रूप में आशधिंत मोचनीय बनाती है या परिसीमित करती है, वहां वह शुल्क से ऐसे प्रभार्य होगी मानो वह अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 5 के खण्ड (1): के अंधीन शुल्क से प्रभार्यं कोई करार या करार का ज्ञापन हो।
(2) किसी ऐसी लिखत की निर्मुक्ति या उन्मोचन केवल वैसे ही शुल्क से प्रभार्य होगा।

धारा 3 के खण्ड
(ख) और गुण्ड (घ)
क) अर्धन उत्तए प्रदेश में शुल्क का बढाने के लिये दायी निशिचत लिखतों पर शुन्ज की अदायनी

विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त राशि का संपरिवर्तन

स्टाक और विपण्य प्रतिभूतियों का मूल्याकन कैसे किया जायेगा

विनिमय दर विषयक या औसत कीमत विषयक विकरण का प्रभाव

वे लिखतें जिनमें ब्याज के लिये उपवन्ध है

विपण्य प्रतिभूतियों -
के वध्धकों मे सम्बनित कतिपय लिखतों की करिएर के रुप में क्रश्गय होना

किस ॠण के प्रतिक लेख्रुुप अथवा भविण्य में सदाय को श्ता करण वाले अंग्रण आदि किस प्रकार प्रभारित किये जायेंगे

वार्षिकी आदि की दशा में मूल्यांकन

रहीय. जel कि विजयवस्तु का मूल्य अनवधाय्य है

30 -जहां कि कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को. उसे शोध्य ऋण के पूर्णत: या भागत: प्रतिफल के लिये या किसी धनराशि या स्टाक की निश्चित या समाश्रित संदाय के अध्यधीन चाहे वह सम्पतित पर भार या विल्लंगम हों यए नहीं या बनाता हो या नहीं अन्तरित की जाती है. वहां ऐखों ऋण, धनराशि या स्टाक की वाधत यह समझा जायेग कि वह यथास्थिति पूर्ण प्रतिफल या उसका भाग है. जिसके चचतन वह अन्तरण मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे विक्रय प्रभाण-पत्र पर लागू नहीं होगी जो अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 18 में वर्णित है :

स्पष्टीकरण- किरी बन्धक या अन्य विल्लंगम के अधीन सम्पत्ति के विक्रय की दशा में. न चुकाई गई कोई वधक धनराशि या भारित धनराशि और साथ-साथ उस पर देय ब्याज (यदि कोई :19 विक्रय के प्रतिफल का गाग सभझा जायेगा :

पर.तु जहां कि ऐसी सम्पत्ति जिस पर कोई बन्धक है. बन्धकदार को अन्तरित की जाती है. वहां वह उस अन्तरण पर देय शुल्क में से उतने शुल्क की राशि की कटौती करने का हकदार होगा जो बन्धक की बाबत पहले ही दे दी गई हैं।

दृष्टान्त
(1) क, ख का 1,000 रुपये का ऋणी है। क 500 रुपये के प्रतिफल और पहले के 1,000 रुपये के ऋण की निर्गुक्ति में ख को सम्पत्ति बेच देता है। स्टाम्प शुल्क 1.500 रुपयें पर देय होगा।
(2) ख को 500 रुपये में क ऐसी एक सम्पत्ति बेचता है जिस पर ग का 1,000 रूपये का वन्धक और 200 रुपये का असन्दत्त व्याज है। स्टाम्प शुल्क 1.700 रुपये पर देय होगा।
(3) क. 10,000 रुपये के मूल्य का एक गृह ख को 5,000 रुपये में बन्धक रखता है। ख उसके पश्चात् क से मकान खरीद लेता है। बन्धक के लिये पहले ही दे दी गई स्टाम्प शुल्क की राशि को कम करके. 10.000 रुपये पर स्टाम्प शुल्क की राशि को कम करके, 10.000 रुपये पर. स्टाम्प शुल्क संदेय होगा।

31-जहां कि कोई लिखत किसी वार्षिकी या कालिकतः देय किसी राशि का दिया जाना सुनिश्वित करने के लिये निष्पादित की जाती है या जहां कि हस्तान्तरण का प्रतिफल कोई वार्षिकी या कालिकत: देय कोई अन्य राशि है. वहां, यथारिथति, ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत राशि या ऐसे हस्तांतरण के लिये प्रतिफल के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समझा जाएगा कि वह-
(क) वहां, जहां किः राशि किसी निश्चित कालावधिं के लिए देय है, जिससे कि दी जाने वाली कुल राशि को पहले ही अभिनिश्चित किया जा सके..: ऐसी कुल राशि है.
(ख) वहां, जहां कि राशि शाश्वत रूप में या किसी अनिश्चित समय के लिये ऐसी लिखत या हस्तान्तरण-पत्र के दिनांक को अस्तित्वधारी प्राणी के जीवन के साथ ही पर्यवसित नहीं होता है. देय है, ऐसी कुल राशि है. जो ऐसी लिखत या हस्तान्तरण-पत्र के निबन्धकों के अनुसार बीस वर्षो की कालावधि के दौरान देयं होगी या देय हो सकेगी, जिसका परिकलन प्रथम संदाय के शोध्य होने के दिनांक से किया जाएगा और
(ग) वहां. जहां कि धनराशि ऐसी लिखत या हस्तान्तरण-पत्र के दिनांक को अस्तित्वधारी प्राणी के जीवन के साथ ही पर्यवसित होने वाली किसी अनिश्चित समय के लिये देय है-ऐसी अधिकतम राशि है, जो उस दिनांक के बारह वर्षो की कालावधि के दौरान यथापूर्वोक्त रूप में देय होगी या हो सकेगी जिसका परिकलन प्रथथ सन्दाय के शोध्य होने के दिनांक से किया जाएगा।
32. जहां कि गूल्यनुसार शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत की विषयवस्तु की राशि या मूल्य उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन के दिनांक को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व निष्पादित किसी लिखत की दशा में अभिनिश्चित नहीं किया सकता था. वहां ऐसी लिखत के अधीन उस अधिकतम राशि या मूल्य से अधिक किसी भी राशि के मूल्य का कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा. जिसके लिए. यदि उसी प्रकार की किरी लिखत में वह कथित किया गया होता. वस्तुत: उपयोग में लाया गया स्टाम्प ऐसे निष्धादन के दिनांक को पर्याप्त होता:

परन्तु किसी ऐसी खान के पट्टे की दशा में, जिसमें स्वामित्व या उत्पादन का हेस्सा भाटक या भाटक के भाग के रूप में प्राप्त होता है. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिये रसे स्वामित्व या ऐसे हिस्से के मूल्य का प्राक्कलित किया जाना उस दशा में पर्याप्त होता -
(क) जब कि पट्टा सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी राशि या मूल्य पर दिया गया है जिसकी बाबत कलेक्टर ने माभले की सभी परिरिश्थितियों को ध्यान में रखते हुये प्राक्कलित किया हो कि पट्टे के अधीन उस सरकार को स्वांमित्व या हिस्से के रूप में उसके दिये जाने की सम्भावना है. या
(ख) जब कि पट्टा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बीस हजार रुपया प्रति वर्ष्र कर दिया गया है और ऐसे स्वामित्व या हिस्से की पूरी राशि, चाहे वह कितनी भी हो. ऐसे पट्टे के अधीन दावा किया जाने योग्य होगी:
परन्तु यह और कि जहां लिखत की बाबत धारा 36 या 44 के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं, वहां कलेक्टर द्वारा प्रगाणित की गई राशि के विषय में यह समझा जायेगा कि वह निष्पादन के दिनांक को वस्तुतः उपयोग में लाया गया स्टाम्प है।

33-(1) वह प्रतिफल (यदि कोर्ड़ हो) जिससे और वे अन्य सभी तथ्य और परिर्थितियां जिनके किसी लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि पर असर पडेगा उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित की जायेंगी।
(2) सम्पत्ति के मूल्य पर मूल्यानुसार शुल्क के प्रभार्य अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित लिखतों के मामलो में और न कि उपवर्णित मूल्य पर, लिखित राजस्व अदा करने वाले भूमि के मामले में वार्षिक भू-राजख्व, अन्य अचल सम्पत्ति के मामले में. यदि कोई हो. वार्षिक भाटक या सकल अस्तियां, स्थानीय दरों, नगरपालिका या अन्य करों, यदि कोई हो, जिसके अधीन ऐसी सम्पत्ति हो सकेगी और कोई अन्य विशिष्टियों, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित हो सकेगा, को पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित करेगा।

34(1) जहां कि किसी सम्पत्ति को किसी एक:प्रतिफल के लिए सम्पूर्णतः बेचे जाने के लिए संविदा की गई है और वह क्रेता को मिन्न-भिन्न लिखतों द्वारा पृथक-पृथक भागों में हस्तन्तरित की गई है, यहां प्रतिफल ऐसी रीति से जैसा पक्षकार उचित समझे, प्रभाजित किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि हर एक पृथक भाग के लिए सुभिन्न प्रतिफल उससे सम्बद्ध हस्तान्तरण-पत्र में उपवर्णित किया गया है, तथां ऐसा हरतान्तरण ऐसे सुभिन्न प्रतिफल के सन्दर्भ में या सम्पत्ति के ऐसे भाग के बाजार मूल्य के अनुसार जो भी अधिक हो. मूल्य्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा।
(2) जहां कोई सम्पत्ति दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वयं और दूसरों के लिये अथवा पूर्णतः दूसरों के लिए किसी एक प्रतिफल के लिए सम्मूर्णतः क्रय किये जाने के लिये संविदों की गई, पृथक-पृथक लिखतों द्वारा प्रतिफल के सुभिन्न भागों के लिये उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा या जिनके लिये वह क्रय की गई थी, भांगों में हस्तान्तरिंत की जाती है, वहों हर एक पृथक भाग का हस्तान्तरण-पत्र उसमें विनिर्दिष्ट किये गये प्रतिफल के सुभिन्न भाग या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सन्दर्भ को. जो भी अधिक हो सके, मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा।
(3) जहां कि कोई व्यक्ति जिसने किसी सम्पत्ति को क्रयं करने की संविदा की है किन्तु उसका हस्तान्तरण-पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की संविदा करता है और परिणामतः सम्पत्ति अनुक्रेता को तुरन्त हस्तान्तरित कर दी जाती है, वहां वह हस्तान्तरण-पत्र उस प्रतिफल की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा. जो मूल्य क्रेता द्वारा अनुक्रेता को किये गये विक्रय या सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो।
(4) जहां कि कोई व्यक्ति, जिसने किसी सम्पत्ति को क्रय करने की संविदां की है किन्तु उसका हस्तान्तरण-पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्पूर्णतः या उसके किसी भाग का विक्रय़ करने की संविदा करता है और परिणामस्वरुप सम्पत्ति मूल विक्रेता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भागों में हस्तान्तरित कर दी जाती है, वहां अनुक्रेता को बेचे गये हर एक भाग का हस्तान्तरणपत्र, मूल प्रतिफ़ल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की बाबत ही मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा: और मूल क्रेता को बेची गई ऐसी सम्पत्ति के शेष भाग का (यदि कोई हो) हस्तन्त्तरण-पत्र. केवल उस प्रतिफल सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा जो अनुक्रेताओं द्वारा संदत्त प्रतिफलों के योग से मूल प्रतिफल के आधिक्य में है:

परन्तु ऐसे अन्तिम हस्तान्तरण-पत्र पर शुल्क किसी भी, दशा में एक सौ रुपये से कम नहीं होगा।

शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को लिखत में उपवर्णित किया जाना

कतिपव
हस्तान्तरण-पत्रों
की दशा में शुल्क
के बारे में निदेश
(5) जहां कि कोई अनुक्रेता उस व्यक्ति के जो उसका सीधा विक्रेता है. हित का वास्तविक हस्तान्तरण-पत्र ले लेता है जो उसके द्वारा संदत्त्त प्रतिफल की वाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है और जिस पर तदनुसार सम्यक् रुप से स्टाम्प लगा है वहां गूल विक्रेता द्वारा. उसी सम्पत्ति का उसके पश्चात् किया गया कोई भी हस्तान्तरण-पत्र ऐसे शुल्क से प्रभार्य होगा. जो उस शुल्क के बराबर होगा. जो ऐसे हस्तान्तरण-पत्र पर ऐसे गूल विक्रेता द्वारा अभिप्राप्त किये गये प्रतिफल के लिए प्रभार्य है या जहां कि ऐसा शुल्क सौ रुपये से अधिक हो. वहां एंक सी रुपये के शुल्क से प्रभार्य होगा।

## ड. - शुल्क किसके द्वारा देय है

शुल्क कि सके द्वारा य 4
35. किसी प्रतिकूल करार के अभाव में. उचित स्टाम्प की व्यवस्था करने के खर्चे निम्न लिखित व्यक्तियों द्वारा वहन किये जायेंगे :-
(क) अनुसूची में जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी में वणित किसी लिखत की दशा में. अथात् -

सं० 2- (प्रशासन बन्ध-पत्र)
सं० 6 - (हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्, आड़मान या तिज़ी से सम्बन्धित करार)

सं० 14- (बन्ध-पत्र)
सं० 15- (पोत बन्ध-पत्र)
सं० 26 - (सीमा शुल्क बन्ध-पत्र)
सं० 31- (अतिरिक्त प्रभार)
सं० 33- (क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र)
सं० 41- (ब़न्धक विलेख)
सं० 44- (टिप्पणी या ज्ञापन)
सं० $53-$ (निर्मुक्ति)
सं० 54- (जहाजी माल बन्ध-पत्र)
सं० ड़5- (प्रतिभूति बन्ध-पत्र, जो बन्धक विलेख़ न हो)
सं० 56- (व्यवस्थापन)
सं० 60 (क)-(किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगभित निकाय में के शेयरों के अन्त्रण)

सं० 60 (ख)-(धारा 8 द्वारा उपबचित डिबेंचरों के सिवाय. ऐसे डिबेंचरों के, जो विपण्य-प्रतिभूतियां हो, का अन्तरण. चाहे वह डिबेंचर शुल्क के देने का दायी हो या न हो)

सं० 60 (ग)-(बन्ध-पत्र, बन्धक विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का अन्तरण की दशा में ऐसी लिखत को लिखने वाले. बनाने वाले या निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा);
(ख) किसी हस्तान्तरण की (जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति का पुन: हस्तान्तरण है) दशा में-प्राप्तकर्ता द्वारा किसी पट्टे के करार की दशा में-पट्टेदार या आशयित पट्टेदार द्वारा;
(ग) कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 394 के अधीन उतच्च्व न्यायालय के आदेश के अधीन एक कम्पनी के दूसरे कम्पनी को अन्तरण की स्थिति में स्टाम्प शुल्क का वहन उस कम्पनी द्वारा किया जाएगा जो : धारा 2 के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (घ) के अधीन आस्तियॉं और दायित्व प्राप्त कर रही हों या उन्हें पुनर्निर्मित कर रही हों :
(घ) बैंक़कारी विनियमन अधिनियम. 1949 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1946) की धारा 44-क के उपबंधों के अधीन एक बैंक का दूसरे बैंक द्वारा अर्जन किये जाने रिथति में स्टाम्प शुल्क का वहन ऐसे वैंक द्वारा किंया जाएगा जो धारा 2 के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (ड.) के अध्धीन दूसरे बैंक का अर्जन कर रहा है या उसका पुन्र्निर्माण कर रहा हो:
(ड.) किसी तिगमित कम्पनी. या निगमित निकाय द्वारा अन्य कम्पनी या. निग्रित निकाय को इक्विटी शेयरों का अन्तरण करके सम्पत्ति के अंत्तरण की स्थिति में स्टाग्प शुल्क का वहन ऐसी अन्तरिती कम्पनी द्वारा किया जाएगा जों धारा 2 के खण्ड (आठ) के स्पष्टीकरण (तीन) के अधीन अर्जन कर रही हो।
(च) किसी पट्ंटे के प्रतिलेख की दशा में-पट्टाकर्ता द्वारां;
(छ) विनिमय' क़ी लिखत की दश़ा में-'पक्षकारों द्वारा बराबर हिस्सों में;
(ज) विक्रय प्रभांण-पत्र की दशा में- सम्पत्ति के. जिससे ऐसा प्रमाण-पत्र. सम्बद्ध है. क्रेता द्वांरा; और
(झ) दान की किस लिखत की दशा गें आदाता द्वारा
(ग) विभाजन लिखत की दशा में- विभाजित की गई सम्पूर्ण सम्पतित में अपने-अपने हिस्सों के अनुपात में. अथवा जवकि विभाजन किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा पारित किये गये आदेश के निज्पादन में किया गया है, तब ऐसे प्राधिकारी. ग्यायालय या गध्यस्थ द्वारा निर्दिष्ट किये गये अनुपात गें उसके प्षकारों द्वारां वहन किये जायेंगे।

अध्याय 3

## स्टाम्पों के बारे में न्यायनिर्णयन

"36-(1) जबकि कोई लिखत, चाहे वह निष्पादित हो या न हो और चाहे पहल ही स्टापित हो या न हो. कलेक्टर के पास लाई जाती है और उसे लाने वाला व्यक्ति शुल्क के बारें में (यंदि कोई हो). जिसस्से वह प्रगार्य है. उस अधिकारी की ज़्य के लिये आवेदन करता है और (एक सी रूपये. की फीस भुगतान कर देता है) ऐसी अन्य रकम जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा नियंत की जाये। तल कलेक्टर उस़ शुल्क को (यदि कोई हो) अवधारित क्रेगा, जिससे उसके निर्णय में वह लिखत्त प्रभार्य है।
(2) इस प्रयोजन के लिये कलेक्टर लिखंत की संक्षिप्त और शपथ-पत्र या अन्यं साक्ष्य के लिये जाने की अपेका कर सकेगा जो वह यह साबित करने के लिये आवश्यक समझे कि लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि पर प्रभाव डालने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित हैं और जब तक कि ऐसे साक्ष्य तंदनुसार प्रस्तुत न कर दिये जायें वह किसी ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने से इनकार कर सकेग।
परन्तुं-
(क) इस धारा के 'अनुसरण गें दिया गया कोई भी सीक्य्य, ऐसी जांच के स्रिवाय जो ऐसे शुल्क के बारे में हो जिससे वह लिखत जो उससे सग्बधित है प्रभार्य है. किसी खिभिल कार्यवाही में किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपयोग में नही लाया जायेगा; और
(ख) हर व्यक्ति. ज़िसके द्वारा ऐसा कोई साश्य दिधा जाता है. ऐसा पूरा शुल्क दे देने पर. जिससे वह लिखत जो उससे सम्बधित है प्रभार्य है; किसी भी ऐसी शास्ति से अवमुक्त कर दियां जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसने ऐसी लिखतं में उपर्युक्त किःहीं भी तथथ्यों या परिस्थितियों को सत्यत्तापूर्वक कथित न करने के कारण उपगत कर ली हों।
37 (1) जब कि धारा 36 के अधीन कलेक्टर के समक्ष लाईं गई काई लिखत उसकी ारा में. इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है और-
(क) कलेक्टर यह अवधारित करता हैं कि वह पहले से ही पूर्णतः स्टाप्यित है या
(ख) धारा 36 के अधीन कलेक्टर् द्वारा अवधारित किये गये शुल्क या लिखत की बावत पहले से ही दिये गये शुल्क सहित ऐसी राशि जो इस प्रकार अवधारित किये गये शुल्क के बराबर है., दे दी गई है. तथ कलेक्टर ऐसी लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेंगा कि उस पर प्रभार्य पूर्ण शुल्क (धनराशि को उल्लिखित करते हुए). दे दिया गया है।

सभुचित स्टाम्प के बरे में त्याय निण्णन

कलेक्टर द्वारा प्रगाणित पत्र
(2) जबकि उस़की राय में. ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तब कतेक्टर? उपर्युक्त रींति से यह प्रगाणित करेगा, कि ऐसी लिखत इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है।
(3) किसी लिखत के बारे में. जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई पृष्टांकन किया गया है, यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति सम्यक् रूप से स्टाग्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है तथा यदि वह शुल्क से प्रभार्य है. तो वह साक्ष्य में या अन्यथा ऐसे लिये जानें योग्य होगा और उसके अनुसार ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी मानो वह आरम्भ से ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी:-

परन्तु इस धारा की कोई बात कलेक्टर को-
(क) किसी ऐसी लिखत पर ऐसे अन्य लिखत के अतिरिक्त जो धारा 3 के खण्ड (ख) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत पारित शुल्क हो. उत्तर प्रदेश में निष्पादित की गई हो या प्रथम बार निष्पादित की गई हो और जो, यथास्थिति, उसके निष्पादन या प्रथम बार निष्पादन के दिनांक से एक मास का अवसान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष लाई गई हो।
(ख) किसी ऐसी लिखत जो धारा 3 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन शुल्क से प्रभार्य हो और उस तिथि. जिस पर यह उत्तर प्रदेंश गें प्रथम बार प्राप्त किया जाता है, से तीन महीने के अवसान के बाद उसके समक्ष लाई गई हो।

अध्याय 4
सम्यक रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें

लिखतां की परोधा और परिब्ं किया जाना

38 (1) हर व्यक्ति, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार रखता है, और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त लोक कार्यालय का भार साधक प्रत्येक व्यक्ति जिसके सगक्ष उसकी रायं में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कर्तव्यों के पालग में प्रस्तुत की जाती है या आ जाती है उस दशा में उसे परिबद्ध करेगा यदि उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है।
(2) उस प्रयोजन के लिये ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रभार्य और अपने समक्ष प्रस्तुतं की गई या आई प्रत्येक लिखत की जांच यह अभिनिश्चित करने के लिए कर्तेगा कि जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गई थी, तब क्या वह भारत में प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य और विवरण की स्टाम्प में स्टाम्पित थी।

## परन्तु

(क) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी मजिस्ट्रेट या दाण्डिक न्यायालय के न्यायाधीश से यह अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जांयेगी कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148 के अधीन कृत कार्यवही से भिन्न किसी कार्यवाही के अनुक्रम में अपने समक्ष आने वाली किसी लिखत की परीक्षा करे या उसे परिबद्ध करे, यदि वह ऐसा करना समीचीन नहीं समझता है।
(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में इस धारा के अधीन किसी लिखत की परीक्षा करने और परिबद्ध करने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकेगा जिसे उक्त न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे।
(3) शंकां की दशा में इस धारा के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय सगझा जायेगा और किन व्यक्तियों को लोक कार्यालयों का भार साधक समझा जायंगा।
(4) जहां अदा किये गये स्टाम्प शुल्क में कमी किसी लिखत के प्रतिलियि से सूचित की जाती है वहां कलेक्टर स्वप्रेरणा से या किसी न्यायालय के या स्टाम्प आयुक्त या अतिरिक्त स्टाम्प आयुक्त या उप-स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त के निर्देश पर उस पर अदा किये गये शुल्क के पर्याप्तता के विषय में स्वयं के समाधान के उद्देश्य के लिये मूल लिखत को मंगा सकेगा और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये गये ऐसे लिखत को उसके कार्य के निष्पादन में उसके समक्ष लिया गया या प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।
(5) कलेक्टर द्वारा विऩिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत प्रस्तुत न किये गये लिखत के भामले में, वह स्टाग्प शुल्क की कमी, यदि कोई हो, के साथ लिखत की प्रतिलिपि पर धारा 45 के अधीन शास्ति की अदायगी की अपेक्षा कर सकेगा।

परन्तु उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के निष्पादनु की लिथि से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष की अवधि के पूर्व की जा सकती हैं।
39. शुल्क्फ से प्रभाय कोई भी लिखित जाब तक कि ऐसी लिखत सग्यक् रूप से स्टािित नहीं है किसी व्यक्ति द्वारा जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सग्गति से साक्ष्य लेने के लेये प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिये साक्ष्य में ग्राह नहीं होगी अथवा ऐसे केसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाहीं नहीं की जायेगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जाएगीं।

परन्तु
(क) कोई ऐसी लिखत जो रसीद न हो, या जो विनिमय पत्र या वचनपत्र.नहीं है. ऐसे सभी च्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए. वह शुत्क जिससे वह प्रभार्य है अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है. ऐसे शुल्क कों पूरा करने के लिये अपेक्षित राशि और साथ-साथ पांच रूपये के शास्ति अथवा जब उसके (शास्ति की राशि जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के चार गुने के बराबर हो) दे दिए ज़ाने पर साक्ष्य में ग्राह होगी।
(ख) जहां कि किसी प्रकार की कोई संविदा या करार दो या अधिक पत्रों से मिलकर बने. पत्र-व्यवहार द्वारा प्रभावी होता हो और पत्रों में से किसी एक पर उचित स्टाम्प लगा हो. वहां उस संविदा या करार की बाबत यह समझा जायेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है।
(ग) इसमें अःतर्विष्ट कोई भी बात दण्ड प्रक्रिया संहिंतां. 1973 (अधिनियम संख्यां2 सन् 1974) की धारा 125 से 128 और धारा 145 से 148 के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय की किसी कार्थवाही में, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किये जाने से निवारित नहीं करेगी।
(घ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण किये जांने से निवारित नहीं करेगी. जब कि ऐसी लिखत सरकार द्वारा या उसकी ओर से निप्पादित की गई हो या उस पर इस अधिनियम की धारा 37 या इसके किसी अन्य उपबन्ध द्वारा यथा उपबचित कलेक्टर का प्रमाण पत्र लगा हो।
40. जहां कोई लिखत साक्ष्य में गृहीत की गई हो, वहां धारा 67 में यथा उपबन्धित के सिवाय ऐसा ग्रहण. इस आधार पर कि लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं की. गई है. उसी वाद या कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में प्रश्नगत् नहीं किया जायेगा।

41 राज्य सरकार यह उपबन्धित करने वाले नियम बना सकेगी कि. जहां किसी लिखत पर पर्याप्त राशि का किन्तु अनुचित प्रकार का स्टाम्प लगा हुआ है, वहां वह, शुल्क जिससे वह प्रभार्य है, दे दिये जाने पर यह प्रमाणित किया जायेगा. कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्यित है और इस प्रकार प्रमाणित लिखत के बारे में यह समझां जायेगा कि वह अपने निष्पादन की. तारीख से ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित है।

42(1) जहां धारा 39 के अधीन किसी लिखत को परिबद्ध करने वाले व्यक्ति को विधि द्वारा या पंक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार है और ऐसी लिखत को वह धारा 39 द्वारा यथा उपबन्धित किसी शास्ति के या धांरा 41 द्वारा यथा उपबन्धित किसी शुल्क के दिये जाने पर साष्ष्य में ग्रहण कर लेता है. वहां वह ऐसी लिखत की अध्रिप्रमाणीकृत एक प्रति और साथ-सांथ उसकी बाबत उदगृहीत शुल्क और शास्ति की राशि का कथन करते हुये एक लिखित प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेंजेगा और ऐसी राशि कलेक्टर को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे. भेजेगा।
(2) अन्य प्रत्येक मागले में, किसी लिखत को इस प्रकार परिबद्ध करने वाला व्यक्ति उसे मूल रूप में कलेक्टर को भेजेगा।

43(1) जब कलेक्टर किसी लिखत को. जो रसीद या विनिमय-पत्र या वचन-पत्र नहीं है. धारां 38 के अधीन परिवद्ध करता है या धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन उसे भेजी गई किसी लिखत को प्राप्त करता है. तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया. अपनायेगा-

लिखत का गहण कहां प्रश्नगत् नही किया जायेग.

अनुचित रूप से स्टाम्पित लिखतों का ग्रहण किया जाना

परिब्द की गई लिखतें कैसे निपटांई जायेंमी

परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलेक्टर की शक्ति
(क) यदि उंसकी यह राय हैं कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्टामित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह यथारिथति. सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या इस प्रकार से प्रभार्य गहीं है।
(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्थ है ओर वह सम्यक् रूप से स्टाप्पित नहीं है. तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कभी को पूरा करने के लिये अपेक्षित रकम और साथ-साथ शार्ति की रकश जो उचित शुल्क के कमी वाले भाग की रकम के चार गुने से अनधिक होगी. दी जाए।
परन्तु जa ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गई हो कि यह धारा 18 या धारा 19 के उल्लंधन में लिखी गई है. तब यदि कलेक्टर. उचित समझ़ता है. तो वह इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की गफी दे सकेगा।

परन्तु यह और कि ऐसी कोई शास्ति तब तक उदग्रहीत नहीं की जायेगी जब तक सम्बन्धित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाये।
(2) कलेक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सन्दत्त किये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदाधगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क गें कमी की रकम पर एक प्रतिशिंत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाये।

- परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत य़ा किसी सक्षम चयायालय या प्राधिकारी के किसी अदेश द्वारा फेरफार किया गया हो, तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुनः संगणना की जयेगी।
(3) उपधारा (2) के अधीन संदेय च्याज की रकम. देय रकम गें जोड़ दी जायेगी और उसे. सभी प्रयोजनों क़े लिये संदत्त किये जाने हैतु अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा।
(4) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात̣ ऐसा स्थगन आदेश रदद कर टिया गया हो, वहाँ उपधारा (2) में निर्दिस्ट ब्याज किसी ऐसी अवंधि के लिए भी संदेय होगा जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृर्त रहा हो।
(5) इस.अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की ग्री या जगा की गयी या उससे वसूल की गदी या उसे प्रतिदेयेय किसी रकम को पहले उसके विरूद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो. उसके द्वारा देय ひ्याज. यदि कोई हो. के प्रति समाय्योजित किया जायेगा।
(6) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक प्रमाण-पत्र उसमें वर्णित विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा।
(7) जहां कोई लिखत धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को गेजी गई हो. वहां कलेक्टर इस धारा द्वारा यथा उपदंधित कार्यकाहीं कर लेने के पश्चात् उसे परिबन्धन अधिकारी को लौटा देगा।

घटनावश असम्यक् रूप-खों स्टाम्पित लिखते
44. केषल बीस पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत जो शुल्क से प्नगार्य है और सग्यक् रूंप से स्टाम्पित नहीं है, यंदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वप्रेरणा से उसके निष्पादन के दिनांक के वर्ष के अंन्दर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाती है. और ऐसा व्वक्ति कलेक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टधित गहीं है और कलेक्टर को उचित शुंल्क्र की राशि या उसे पूरा करने के लिये अपेक्षित राशि देने का प्रस्तावं करता है और कलेक्टर का यह समाधान हो ज़ाता है .कि-ऐसी लिखत घटनावश. मूल या अत्यधिक आवश्यकता के परिणागस्वरूप सम्यक रूप से स्टाग्पित नहीं हो पाई थी. तो वह धारा 37 और धाऱा 43 के अधीन कार्यवाही करने के वदले. ऐसी राशि रवीकार कर संकेगा और इसके पश्चात् इसमें विहित रूप से आगे की कार्यवाही करेगा।

45(1) जब किसी लिखत की वाबत उदग्रहणीय शुल्क और शास्ति (यदि कोई हो) धारा 39. 43. 44 या धारा 49 के अधीन संदत्त की चुकी है. त्व यथास्थिति, ऐसी लिखत को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने वाला व्यक्ति या कलेक्टर उस पर पृष्ठांकन द्वारा, इस बात की किसी लिखत की वाबत, यथास्थिति उचित शुल्क या उचित शुल्क और शास्ति उद्र्रहीत की जा चुकी है (प्रत्येक की राशि उल्लिखित करते हुए) और उस व्यक्ति का, जिसने वह दी है, नाम और निवास-स्थान प्रगाणित करेगा।
(2) इस प्रकार पृष्ठंकित प्रत्येक लिखत तव साक्ष्य स्वरूप ग्राहय होगी और रुजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी और वह ऐसे अधिप्रमाणित की जा सकेगी मानो वह सम्यक रूप से स्टाम्पित थी और वह इस निगित्त आवेदन किये जाने पर ऐसे व्य्यक्ति को, जिसके कब्जे में सें वह परिवद्ध करने वाले अधिकारी के पास पहुँची थी या जिसे वह व्यक्ति निर्दिष्ट करे. परिदत्त की जायेगी।

## परन्तु

(क) ऐसी कोई भी लिखत, जो धारा 39 के अधीन शुल्क और शास्ति दे दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है, ऐसे परिबद्ध करने के दिनांक से एक मास का अवसान होने के पहले या उस दशा में जिसमें कलेक्टर ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उसको और भी रोक, रखना आवश्यक है और ऐसे प्रभाण-पत्र को रद्द नहीं किया है, इस प्रकार परिदत्त नहीं की जायेगी।
(ख) इस धारा के किसी बात से सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की धरारा 144 के खण्ड (3) के आदेश 23 की अनुसूची प्रभावित नहीं होगी।
46. किसी लिखत की बाबत इस अध्याय के अधीन कांर्यवाहियों को शुरू कर देने या कोई शास्ति दे देने से किसी- ऐसे व्यक्ति का जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने ऐसी लिखत की बाबत स्टाम्प विधि के विरूद्ध अपराध किया है, अभियोजित किया जाना वर्जित नहीं होगा।

परन्तु ऐसा कोई भी अभियोजन. किसी ऐसी लिखत की दशा में जिसकी बाबत ऐसी श्ञस्ति दी जा चुकी है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा. जब तंक कि कलेक्टर को यह प्रतीत नहीं होता है कि अपराघ उंचित शुल्क देने से बचने के आशय से किया गया था।

47(1) जहां किसी लिखत की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा धारा 39 धारा 41 धारा 43 या धारा 44 के अधीन कोई शुल्क दिया जा चुका है या शास्ति दी जा चुकी है, और किसी करार द्वारा या धारा 33 के उपबन्धों के या उस समय ज़ब ऐसी लिखत निष्पादित की गई थी. प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लिखत के लिंये उचिंत स्टाम्प के व्यय देने के लिये :आबद्ध था. वहां प्रथम वर्णित व्यक्ति इस प्रकार दिये गये शुल्क या दी गई शास्ति की राशिं को ऐसे अन्य व्यक्ति से वसूल करने का हकदार होगा।
(2) ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिये इस अधिनियम के अधीन ऐसी ल्लिखते कां बाबत, स्वीकार किया गयां प्रमाण-पत्र उसमें प्रमांणित किये गये विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा।
(3) यदि न्यायालय उच्ति समझे तो, ऐसी राशि किसी वाद या कार्यवाही में जिसके ऐसे व्यक्ति पक्षकार है और जिनमें ऐंसी लिख़त संक्ष्य में प्रस्तुत की गई है, खर्च के बरें में किसी आदेश, में सम्मिलित की जा सकेगी। यदि न्यायालय ऐसी राशि को ऐसे आदेश में सम्भिलित नहीं; करता है. तो उस राशि की वसूलीं के लिये कोई भी अतिरिक्त कार्यवाहियां नहीं चलेगी।

48(1) यदि घांरा 42 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को भेजी गई कोई लिखत पारेषण के दौरान खो जांती है या नष्ट हो जाती है या विक्षत हो जाती है' तो उसें भेजने छाला व्यक्ति उसकें ऐसे खो जाने, नष्ट हो ज्ञाने या विक्षत हो जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

उन लिखतों को पृष्टांकित करना जिन पर धारा 39.43 .44 या 49 के अन्तर्गत शुल्क संदत्त किया जा घुका है।

स्टाम्प विधिं के
विरूद्ध अपराघ के लिये अनियोजन

शुल्क या शास्ति देने वाले व्वक्ति कतिपय मामलों में उसे वसूूल कर सकेंग

घारा 42 के अधीन भेजी: गई लिखतों का खो जने के लिये अप़ाथित्व .
(2) जब कोई लिखत इस प्रकार भेजी जाने वाली हो तो ऐसा व्यक्ति. जिसके कखणे में से यह उसको परिवद्ध करने वाले व्यक्ति के पास पहुँची थी. से इस बात की अपेधा कर सकेगा कि उसकी एक प्रति ऐसे प्रथम वर्णित व्यक्ति के व्यय पर बनाई जाये और ऐसी लिखत परिबद्ध करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणीकृत की जाये।

लिखल का अवगूल्यक

49 (1)(क) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो की विषयवस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में उल्लिखित वाजार मूल्य. इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम. 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकरी इस अधिनियग में किसी प्रतिकूल बतत के होते हुए गी. ऐसी लिखत प्रस्तुत करने के हीक पश्चात़ और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे स्वीकार करने और उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन कोई कार्यवाही करने से पहले. धारा 35 के अधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी व्यक्ति से उक्त नियमावली के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथासंगणित रटाम्प शुल्क की कमी को देने की अपेक्षा करेगा और अब रजिस्ट्रीकरण अधिनियम. 1908 (अधिनियग संख्या 16 सने 1908) की धारा 23 के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने के लिये लिखत को वापस लौटा देगा।
(ख) जब खण्ड (क) के अधीन सन्दत्त किये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्छ की कमी को किसी लिखत के सम्बन्ध में संदत्त कर दिया जाता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रगगणित करेगा कि उसके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कीी को सन्द्रत्त कर दिया गया है और अदा करने वाले व्यक्ति के नाम और आवास को संच्यापित करके उसे रजिस्ट्रीक्त करेगा।
(ग) इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी. स्टाम्प शुल्क की कमी को ऐसी घोषणा जैसा कि विहित किया जाय. से अन्तर्विष्ट छापित स्टम्पों के रूप में या अन्यथा खण्ड (क) के अधीन संदत्त किया जा सकता है।
(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश को प्राप्त करने के पश्चत्त स्टम्प शुल्क की कमी का संदाय नहीं करता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुत: प्रस्तुत करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व ऐसी स्प्पत्ति के बज्जार मूल्य और उस पर संदेय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलेक्टर को सन्दमिंत करोग।
(2) उपधारा (1) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर पक्षों की सुणवाई का उचित अवसर देने और ऐसी रीति से. जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वार। नियत की जाये, जांच करने के पश्चात् सम्पत्ति का वाजार मूल्य जो ऐसी लिखत की विकयवस्तु हो, और उस पर देय उचित शुल्क अवधारित करेगा।
(3) कलेक्टर. स्वप्रेरणा से. या किसी न्यायालय या स्टाम्प आयुक्त या किसी अपर स्टाम्प आयुक्त या उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के अभिदेश पर किसी लिखत को. जिस पर सम्पत्ति के ब्यजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो और जो उपधारा (1) के अधीन उसे पहले से. अभिदिष्ट न हो. सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो ऐसे लिखत की विषयवस्तु हो. और उस पर देय शुल्क की सत्यता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष के भीतर मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और यदि एक परीक्षण के पश्चात् उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि लिखत में ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य ठीक प्रकार से गहीं दिखाया गया है तो वह ऐसी सम्वत्ति का ब्याजार मूल्य और उस पर देय शुन्क अवधारित कर सकता है।

परःतु चक्य रारकार के पूर्व अन्वाति सें उस उपधारा के उधीन कोई



स्पष्टीकरण-उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रिकर्ता अधिकारी के किसी आदेश के उधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्टम्प शुल्क की कमी की अदायगी कलेक्टर को उपधारा (3) के अधीन किसी लिखत पर कार्यवाही प्रारम्भ करने से नहीं रोकेगी।
(4) यदि उपधारा (2) के अधीन जांच़ और उपधारा (10) के अधीन परीक्षण करने पर इलेक्टर सम्पत्ति के बाजार मूल्य को-
(एक) ठीक प्रकार से उल्लिखित और लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित पाये तो हहं पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि यह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है और उसे उस व्यक्ति ोो वापस करेगा जिसने अभिदेश किया हो।
(दो) ठीक प्रकार से उल्लिखित न पाये और लिखत को सम्थक्, रूप से स्टाग्पित न पाये तो वह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और सांथ-साथ श्तस्ति की रकम जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के ज़ार गुने से अनधिक होगी, दी जाये
(5) कलेक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निब्पादन के दिनांक सें वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रक्म पर एक प्रतिशत प्रतिमहंह की दर से साधारण ब्याज दिया जायें

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहतं या किसी संक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश पर फेरफार कियां गया हो, तो इस उपधारा के अधीन ब्याज के रकम की पुनः संगणना की जायेगी।
(6) उपधारा (5) के अधीन देय ब्याज की रकम देय रकम में जोड दी जायेगी और उसे समी प्रयोजनों के लिए, दिये जाने के लिये अपेधित रकम का अंश भी समडा जायेगा।
(7) जहाँ स्टाम्य शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किजी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चांत् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहॉ! उपधारा 5 में निर्दिप्ट ब्याज किसी ऐसी,अवधि के लिए भी देय होगा. जिसके दौरान एंग़ स्थगन आदेश प्रवृत्तर रहा हो।
(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जगत की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसक विरुच्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा औरे तत्पश्च्तात् आधिक्य को, यदि कोई हो. उसके द्वारा देय ब्याज. यदि कोई हो. के प़ी समीययंजित किंग। जायेग।
(9) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर के समल्ष प्रस्तुत लिख्षत को उं। कृत्यों के पालन में उसके सगक्ष आया हुआ समझा जायेगा।
(10) यदि लिखत कलेक्टर द्वारा विनिर्दिप्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहां किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी. यदि कोई हो. लिखत की प्रति पर उपधारा (2) और (4) में की गई प्रक्रिया के अनुसार शास्ति के साथ संदाय करने की अपेक्षा कर सकता है।
50. इस अधिनियग के अधीन दिए जाने के लिये अपेक्षित सभी शुल्क. शास्तिथां और अन्च राशियां कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वह देय है. उागल सम्पत्ति से कर्स्थम् और विक्रय द्वारा या गूर-राजस्व की बकाया की वसूली के लिये तत्त्युपय प्रवृत्त किर्सी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेगी।
51. इस अधिनिया। में अन्तर्तिष्ट किसी बात के होते हुए भी. इर अधिनियम के अधीन पृष्ठांकन या प्रमाण-पन्र्र इस अधिनियम के अनुसार शुल्क की उच्चतंर दर के सीथ उतनए प्रदेश में प्रभार्य लिखत के सम्बन्ध में साक्ष्य में सब़ तक रवीकार नडीं किया जाएग़ गु




श゙न


:


 $\because$ xicu :

अध्याय 5
कतिपय अवस्थाओं में स्टाम्पों में छूट

खराब हो एय स्टाम्यों के ल्मिये छूट

धारा 52 के अधीन राहत दिये जाने के लिये आवेद्दन कब किसा जायेग
52. ऐसे नियमों के अधीन जो अपेक्षित साक्ष्य अथवा की जाने वाली जांच के बारे में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाएं धारा 53 में विहित कालावधि के भीतर आवेदन किये जाने पर. कल्लक्टर का यदि उन तथ्यों के बारे में समाधान हो जाता हैं, तो इस्में इसके पश्चात् वर्णित दशाओं में खराब हो गये छापित र्टाम्पों के लिये वह छूट दे सकेगा, अर्थात्
(क) किसी ऐसे कागज पर का स्टाम्प, जो किसी व्यक्ति द्वारा उस पर लिखी गई किसी लिखत के निष्पादित किये जाने के पूर्व अनवधानता और अपरिकल्पित रूप से खराब हो गया है या मिट गया है या लिखने की गलती से या किसी अन्य कारण से आशयित प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त हो गया है,
(ख) किसी एसं दस्तावेज पर का स्टाम्प, जो पूर्णतः या ऑशिक रूप से लिखा गया है किन्तु जो उसके किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया है,
(ग) उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पदित किसी लिखत के लिये उपयोग में लाया: गया स्टाम्भ, जो--
(एक) तत्पश्चात्, प्रारम्भ से ही विधि की दृष्टि से पूर्ण रूप से शून्य पाई गई हैं,
(दो) तत्पश्चत्. उसमें की किसी त्रुटि या भूल के कारण मूल रूप से आशयित प्रयोजन के लिये वह अनुपयुक्त पाई गई है,
(तीन) किसी ऐसे व्यक्ति की. जिसके द्वारा उसका निष्यादित किया जाना आवश्यक था, उसे निष्पादित किये बिना मृत्यु हो जाने या किसी ऐसे व्यक्ति के. उसको निष्पदित करने से नकार दिये जाने के कारण, वह इस रूप में पूर्ण नहीं की जा सकती जिससे आशयित संव्यवहार को अपेक्षित प्ररूप में प्रभावी बनाया जा सके,
(चार) किसी आवश्यक पक्षकार द्वारा उसका निष्पादन न किये जाने और उसको - हस्ताक्षरित करने में उसकी असमर्थता या उससे नकार दिये जाने के कारण उस प्रयोजन के लिये, जिसकें लिए वह आशयित है, तथ्यतः अपूर्ण और अपर्याप्त है,
(पांच) उसके अंधीन कार्य करने से, या उसके द्वारा प्रतिभूत किये जाने के लिये आशयित, कोई अग्रिम धन देने से किसी व्यक्ति के नकार देने के कारण या उसके द्वारा प्रदान किये गये किसी पद के लेने से, नकार देने या अप्रतिगृहीत किये जाने के कारण वह आशयित प्रयोजन के लिये पूर्णतः निष्प्रभावी हो गई है,
(छ:) उसके द्वारा प्रभावी किये जाने के लिये आशयित ऐसे संव्यवहार के परिणाम स्वरूप जो उन्ही पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावी हुआ है, अनुपयोगी हो जाता है और जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प नहीं है,
(सात) कम मूल्य का हैं और उसके द्वारा प्रभावी किये जाने के लिये आशयित संव्यवहार उन्ही पक्षक्कारों के बीच किसी अन्यू लिखत द्वारा प्रभावी किया जा चुका है और जिस पर उससे कमे मूल्य का स्टांम्प नहीं है।
(आठ) अनवधानतों से औरे अपरिंकल्पनापूर्वक खराब हो गया है और जिंसके बदले में उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी प्रयोजन के लिये लिखी गई कोई अन्य लिखत निष्पादित की गई है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित है

परन्तु यह तब ज़ कि निष्पादित की गई किसी लिखत के मामले में कोई भी, ऐसी विधिक कार्यवाही प्रारम्भ नही की गई है जिसमें-वह लिखत साक्ष्य में दी जा सकती थी. पेश की जा सकती थी अथवा दी गई या पेंश की गई है और जिसमें उक्त लिख़त रद्द नहीं की गई है।

स्पष्टीकरण- धारा 37 के अधीन क्लेक्टर का इस आशंय का प्रमाण-पन्र्र कि लिखत पर प्रभार्य सम्पूर्प शुल्क दे दिया गया है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत एक छापित स्टाम्प है।
53. धारा 52 अधीन राहत दिये जाने के लिये आवेदन निम्नलिंख़तः कालीयधियों के भीतर किया जायेगा, अर्थात्-
(क) खण्ड (ग) के उपखण्ड (पांच) में वर्णित मामलों में लिखतः का दिनांक के दो मास भीतर,
(ख) किंसी ऐसे स्टाम्पित कागज के भागले में. जिस पर उसके किसी पक्षकार द्वारा कोई गी लिखत निष्पादित नहीं की गई है, स्टाम्प के खराव हो जाने के छह महीनें के भींतर.
(ग) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामर्लें में. जिस पर उसके पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई लिखेत निष्पादित की गई है, लिखत के दिनांक के छह महीने के भीतर या यदि उस पर दिनांक नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा वह पहंली बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी. उसके निभ्यादित किये जाने कं छह महीने के गीतर. किया जायेगा।

परन्तु
(क) जबं खराब हो गईं लिखत पर्याप्त कारण़ से भारत के बाहर भेज दी गई है, तब आवेदन उसके भारत में वापस आ जाने के छह महीने के भीतर किया जा सकेगा।
(ख) जब कोई लिखत जिसके स्थान पर अन्य लिखत प्रतिस्थापित की जा चुकी है, अनिवार्य परिस्थितियों के कारण उपर्युक्त कालावधि के गीत्र रदद करने के लिये प्रस्तुत गहीं की जा सकती है तब आवेदन प्रतिस्स्थापित. की गई लिखत के निष्पादन के दिनांक के छह मयहीने के भीतर किया जा संकेगा।
54. मुख्य निग्रन्त्रक राजस्व प्राधिकाऱी या इस निमित्त मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा सशक्त किया गया कलैक्टर, किसी बैंककार द्वारा या किसी निगमिंत कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों केः छपे हुये प्रेरूपों के लिये उपयोग में लाये गये स्टाम्पित कागजों के लिये समय परिसीमित किये बिना छूट उस दशा में दे सकेगा. जिसमें कि किसी पर्याप्त कारण से ऐसे 'प्ररूप उपर्युक्त बैंककार कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा अपेक्षितं न रहं गये हो, परन्तु यहे तब कि ज़ब ऐसे प्राधिकारी का यह सगाधान हो गया है कि ऐसे स्टाम्पित कागजातों की बाबत/ शुल्क सम्यक् रूप से दे दिवर गया है।

55 (क) जब किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी लिखत के लिये जिस पर शुल्क प्रभार्य है. ऐसे स्टाम्प से, जो ऐसी लिखते के लिये इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित है. भिंन्न प्रंकार का स्टाम्प या आवश्यकता से अधिक मूल्य के स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया हैं या किसी ऐसे लिखत के लिये, जिस पर कोई शुल्क प़भार्य नहीं है. किसी स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया है. .़ा
(ख) जब किसी लिखत के लिये उपयोंग में लाया ग़या कोई स्टाम्प. ऐसी लिखत की धारा 18 के उपबन्धों के उल्लंधन में लिखी गई होनें के कारण. अनवधानता से धारा 19 के -अधीन अनुपयोगी हो गया है. तब कलेक्टर लिखत के दिनांक के छह महीने के भीतर या. यदि उस पर दिनांक नहीं है. तो , ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा वह प्रथम बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी. उसके निष्पादित किये जाने के छह महीने के भीतर आवेदन किये जाने पर और यदि वह लिंखत शुल्क से प्रभार्य हैं तो लिखत के उधित शुल्क से पुनः स्टाम्पित किये जाने परी उसको रद्द कर सकेगां और इस प्रकार गलती से उपयोग किये गये या अनुपयोगी हुये स्टाम्प् के लिये खराब्ह हुई स्टांम्प की तरह छूट दे सकेगा।
56.कलेक्टर किसी भी ऐसे मामले. में. जिसमें खराब हो गये या गलती से उपयोग किये गयें स्टाम्पों के लिए छूट दी गई. है उसके बदंले में दे सकेगा-
(क) उसी वर्णन और मूल्य के अन्यु स्टाम्प या
(ख) उस दशां. में जिसमें ऐसा अपेक्षित हो .औरे वह उचित सगझता है. उतने ही मूल्य की राशि में किसी अन्य प्रकार के स्टाम्प. या
(ग) स्वविवेकानुसार. प्रत्येक रूपयें या रूपये के प्रभाव के लिये दस पैसे कटौती करेके उसी मूल्य के बराबर धनराशि।
.57. जब किसी व्यक्ति के कंज्जे में ऐसा. स्टोम्प या ऐसे स्टाम्प हैं. जो खराब नहीं हो गईं हैं या आशयित प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त या अनुपयोगी नहीं हो गई है किन्तु जिसका या जिनका उसके द्वारा तुरन्त उपयोग नहीं किया जाता है. तब कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसी

छपे प्ररुपों की दशा में छूट जिनकी निगमों को और आवश्थकता नहीं हो

गलती सं उपथां किये गये स्टाम्पों के लिए छूट

खराब हो गये था गलती से उप्यांग किये गये स्टाम्पों के लिल्ये छूट्ट किस प्रकार दी जायेगी।

उन स्टाम्यों के लिये छूट जो उपयोग में नही आने हैं स्टाम्प या स्टाम्पों के मूल्य के बरादर धनराशि उसमे से प्रत्येक रूपये या रूपये के प्रभाग के लिये दस पैसे कटौती करके ऐसें व्पक्ति द्वारा उसे रदद किये जाने को परिदत्त किये जाने पर और कलेक्टर के समाधार्न होने पर निम्नलिखित सावित करने पर वापस दे सकेगा,-
(क) यह कि ऐसा स्टाम्प या ऐसे स्टाम्प ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के सदभावी आशय से क्रय की गई थी।
(ख) यह कि उसने उनकी पूरी कीमत दी है और
(ग) यह कि वह उस तारीख के जिसको वह इस प्रकार परिदत्त की गई थी. ठीक पूर्ववर्ती छह माह की कालावधि के भीतर ऐसे क्रय की गई थी।

परन्तु जहां कोई व्यक्ति स्टाम्पों का अनुज़प्त विक्रेता है. वहां यदि कलेक्टर उचित समझता है तो वह विक्रेता द्वारा वस्तुत: दी गई राशि. यथापूर्वोक्त कोई कटौती किये विना वापस कर देगा।

अध्याय 6
निर्देश, पुनरीक्षण और अपील

मुखु नियन्त्रक सजजस्व प्रशिकारी का नियन्त्रयण और उससे सम्बधित मामले का कथन

58(1) वे शक्तियां. जो कलेक्टर द्वारा धारा 12. धारा 32 में सथम परन्तुक के खण्ड (क). अध्याय 4. अध्याय 5. और अध्याय 8 के अधीन प्रयोक्तव्य हैं, सभी मामलों में मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के नियन्त्रणाधीन होगी।

इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी. धारा 12 . धारा 32 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क). अध्याय चार. अध्याय पांच और अध्याय आठ के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है. ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साउ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेंश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समडो. पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगाः

परन्तु स्टाम्प शुंल्क की किसी विवादग्रस्त रकग की. जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज. या शारित भी है. वसूली के रोक के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण गहीं किया जायेगा, जब तक कि आवेदक ऐसी विवाटग्रस्त रकम के एक-तिहाई के अन्यून भाग की अदायगी का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दे।

परन्तु यह.और कि जहाँ मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी किसीः स्टाम्प शुल्क. उस . पर ब्याज या शास्ति की वसूली के स्थगन के लिए या किसी ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो. प्रर्वतन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश . के: जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो. प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के फलस्वरूप किसी स्टाम्प शुल्क उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली स्थगित कर दी जाये. वहाँ ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा. जब तक कि अपीलार्थी बकाया रकम की अदायगी के लिए सम्बन्धित कलेक्टर के सभाधानप्रद रुप में पर्याप्त प्रतिभूति न प्रस्तुत कर दे।
(2) यदि धारा 36. धारा 43 या धारा 44 के अधीन कार्य करने वाले कक्लेक्टर को उस शुल्क की राशि के बारे में. जिससे कोई लिखत प्रभार्य है. कोई सन्देह होता है तो वह मामले के कथन को लेखबद्ध करेगा और उसे अपनी राय सहित मुख्य नियन्त्रक राजस्य प्राधिकारी क़े विनिश्चय के लिये सन्दर्भित करेगा।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त गामले पर विचार करेंगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति कलेक्टर को भेजेगा जो ऐसे विनिश्चय के अनुंरुप शुल्क (यदि को हो) निर्धाश़्ति: और प्रभारित करने की कार्यवाही करेगा।
(4) जहाँ ठालंक्टर का कोई आदेश भुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा आंशिक रुप से परिवतिंत या अभिखण्डित कर दिया जाय. वहाँ कलेक्टर को उक्त आटेश के अधीन भुगतान किये गये स्टांप शुल्क. शारित या व्याज की अतिरिक्त धनराशि को वापस करने का अधिकार होगा।

59(1) मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी धारा 58 की उप़ारा. (2) के अधीन अपने को निर्देशित किये, गयें या अन्यथा उसकी जानकारी में आये किसी मामले का कथन तैयार फर सकेगा और ऐसे मामले को यदि राज्य में उदंभूत हुआ हो तो उस राज्य के उच्च न्यायालय को उस प़र अपनी राय सहिंत सन्दर्भित कर सकेगा।
(2) ऐसा प्रत्येक मामला उच्च च्यायालय के जिसको वह सन्दर्भित किया गया है, कम से कम तीन न्याय़ाधीशों द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और मतंभेद होने की दशा में -बहुमत की राय अभिभावी होगी।
60. यदि उच्च न्यायालय का यह समाधानं नहीं होता है कि उक्त मामले में अन्तर्विष्ट कथन. तदंद्टारा उउठाये गये प्रश्नों को अवधारित करनें में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं. तो न्यायालय उस राजस्व प्राधिकारी को, जिसके द्वारा उक्त कथन तैयार किया गया था, उसमें ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए, जैसे वह ज्यायालय इस निमित्त निर्दिष्ट करे. मामले को वापस भेज़. सकेग़।
:61(1) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले की सुनवाई पर तदद्वारा उठाये गये प्रश्नों को विनिश्चित करेंगा और 'उस पर उन आधारों को अन्तर्विष्ट कंरते हुए उन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है, अअपना निर्णय देगा।.
(2) न्यायाल़य उस रुजस्व प्राधिकारी. को, जिंसके द्वारा मामले का कथन किया गया था. ऐसे निर्णय की प्रति जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और जिस पर रजिस्ट्रार के हस्तांक्षर होगें, भेजेगा. और राजस्व प्राधिका़ी, ऐसी प्रति मिलने पर मामले का, निपटारा ऐसे निर्ण़य के अनुरूप करेगा।

62 (1) यदि धारा 63 में वर्णित न्यायालय से भिन्न न्यायालय को धारा 39 के परंन्तुक (क) के अधीन किसी लिख्वत की बाबत देय शुल्क की राशि के बारे में सन्देह है. तो वह न्यायाधीशं मामले का एक कथन तैयार करेगा और उस पर अपनी राय सहित उसे उस उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिये सन्दर्भित क़रेगा जिसकों यंदि वह मुख्य नियन्त्रण, राजस्व प्राधिकारी होता, तो वह धारा 63 के अधीन उसे सन्दर्भित केरतां ।
(2) ऐसा न्यायाल़य मामले पर ऐसी कार्यवाही कगे़ाता मानो वह धारा 59 के अधीन निर्देशित किया गया होंतथां अपने निर्णय के प्रति, जिंस पर न्यायालय की मुहर लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे. मुख्य नियन्त्रक राजसंव्व प्राधिकारी को और ऐसी ही दूसरी प्रति निर्देश करने वाले न्यायाधीश को भेजेगा जो ऐसी प्रति प्राप्त होने पर मामले का. ऐसे निर्णय क़े अनुरूप निपटारा करेग़।
(3) उपधारा (1). के अंधीन किये गये निर्देश उस दशा में जिसमें वे जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वाऱां किंये जाते है उस जिला न्यायालय के मार्फत किये जायेंगे और उस दशा में. जिसमें कि वे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किये जाते है टीक वरिष्ट न्यायालय के मार्फत किये जायेंगे।
63.(1) जब कोई न्यायालय अपनी सिविल या राजस्ब अधिकरिता का प्रयोग करते हुये या कोई दाण्डिक न्यायालय. दण्ड प्रक्रिया संहिता. 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 125 से 128 और धांरा 145 से 148 के अधीन किसी कार्यवाही में किसी लिखत को सम्यक रुप से स्टम्पित रुप में जिसके लिये स्टाम्प अपेक्षितं नहीं है या धारा 39 के अधीन शुल्क और शासित दे दिये ज़ाने पर साक्ष्य में ग्रहण करने का कोई आदेश देता है. तो वह ज्यायालय. जिसंको ऐसे प्रथम वर्णित न्यायालय से अपील होती है या निर्देश किये जाते है, स्वप्रेरणा से या कलेक्टर के आवेदन पर, ऐसे आदेश पर विचार कर सकेगा।
(2) यदि ऐसे न्यायालय की इस प़कार विचार करनें के पश्च्चात् यह राय है किं ऐसी लिखत धारा 39 के अधीन शुल्क और शास्ति दिये बिना या दिये गगये शुल्क और शास्ति से अधिक शुल्क और शास्ति के दिये बिनां. स्ष्ष्य में ग्रंहण नहीं किया जाना चाहिये थां, तो वह उस आशय की एक घोषणा अभिलिखित करेंगा और शुल्क की जिससे ऐसी लिखित प्रभायं है. राशि अवधारित करेगा और किसी ऐस् व्यकित से. जिसके कू्जे में या शक्ति में ऐसी लिखत उस समय है. वह लिखत प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेग़ा और प्रस्तुत किये जाने पर उसंत परिद्दद्ध कर सकंगा।

उच्च न्यायालय को मुख्य नियत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारां मामले का कथन

कथित मांमले के बारे में अतिरिक्तः विशिष्टियों की मांग करने की उच्च न्यायाल़य की शक्ति कथित मागज़े को . निपटाने की प्रकिया उच्च न्याट्यालय कौ अन्य न्यायालयों . द्वारा मागले का कथन

स्टापो $2 \%$
पयांकता के सम्च
में न्याग्ग़लंयों के कतिप्य लिजिश्चयों का पुनशीघण
(3) जब उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अभिलिखित की गई है. तब उसे अभिलिखित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति कलेक्टर को भेजेगा. और जहां उससे सम्बध्धित लिखत परिबद्ध की गई है या अन्यथा ऐसे न्यायालय के कज्जे में है वहां वह ऐसी लिखत 'भी उसे भेजेंगा।
(4) कलेक्टर, तदुपरि, ऐसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के आदेश में अथवा धारा 45 या धारा 46 के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र में किसी बात के होते हुये भी. किसी व्यक्ति को स्टाम्प क़िधि के विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये. जिसके बारे में कलेक्टर का यह विचार है कि उसने ऐसी लिखत की बाबत यह अपराध कियों है. अभियोजित कर सकेगा।

Чरन्तु-
(क) ऐसा कोई भी अभियोजन उस दशा में जिसमें शुल्क औरं श्रस्ति सहित वह राशि जो ऐसे न्यायालय के अवधारण के अनुसार धारा 39 के अधीन लिखत की बाबत देय थी. कलेक्टर को दे दी गई है, तब के सिवाय संस्थिति नहीं किया जाएगा जबकि वह यह समझता हैं कि अपराध उचित शुल्क देने में अपवंचन करने के आशय से किया गया था।
(ख) ऐसे अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय, इंस धारा कें अंधीन की गई कोई भी घोषणा किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के किसी आदेश या धारा 45 के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र की विधिमान्यतां पर प्रभाव नहीं डालेग़ी।
अध्याय-7

दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया
64 (1) कोई व्यक्ति जो शुल्क से अपवंचन करने आशय से शुल्क से प्रभार्य. किसी लिखत को उसे सम्यक् रूप सो स्टाप्पित किये बिना निष्पादित करतां. है या साक्षी के रूप से भिन्न हस्ताक्षर करता है तो दोषसिद्व होने पर ऐसे प्रत्येक अप्राध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु जो छह माह तक हो सकेगा और जुर्मने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकेगा दण्डनीय होगा:-

परन्तु जव धारा 39, धारा 43 या धारा 49 के अधीन किसी लिखत के सम्बन्ध में कोई शास्ति दे दी गयी है तो ऐसी शास्ति की राशि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति परे जिसने ऐसी शास्ति दे दी है. उसी लिखत सम्बन्ध में इस धारा के अधीन अधिरोपित किये गये जुर्माने मे से (यदि कोर्ड हो) कम कर दी जायेगी।
(2) यदि शेयर वारण्ट सम्यक रूप से स्टाम्पित किये बिना निर्गाित किया गया है तो उसे निर्गमित करने वाली कम्पनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उसके निर्गमित किये जाने के समय उस कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक या सचिव या अन्य मुख्य अधिकरारी है. दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से जो पॉच सी रूपये तक हो सकेगा. दण्डनीय होगा।
(3) किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीज़ ऐसी लिखत के सम्बन्ध में. जिसे च्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो और जिसे न्यायालय द्वारा ऐसे विनिश्चय के पश्चात स्वीकार किया गया हो कि उक्त लिखत सम्यक् रूप से स्टाभित था या कोई स्टाम्प अपेक्षित नहीं था, अभियोजन नहीं चलाया जायेगा।
65. कोई व्यक्ति जो किसी अनापत्ति सूंची में ऐसी घोषणा करता हैं जो मिथ्या हो या जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि यह मिथ्या है. दोष सिंद्ध होने पर कारावास से जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु जो छः माह तक हो सकेगी और जुर्भाने से जो पॉच हजार रूपये तक हो सकेगा. दण्डनीय होगा।
66. यदि कोई व्यक्ति, जिससे यह. अपेक्षित है कि वह धारा 17 के अधीन किसी चिपकने वाले स्टाम्प को काट दे. उस धारा द्वारा विहित की गई रीतिं से ऐसे स्टांम्य को काटने में त्रुटि करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सी रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
67. जो कोई व्यक्ति सरकार को धोखा देने के आशय से-
(क) कोई ऐसी लिखत निष्पादित करेगा जिसमें वह तथ्य और परिस्थितियां जिनकी बाबत धारा 33 के अधीन यंह अपेक्षित है कि वे ऐसी लिखत में उपवर्णित की जायें पूर्णतः और सत्यतः उपवर्णित नहीं की गई है, या
(ख) किसी लिखत के तैधार करने में नियोजित होने पर या उसके बारे में सम्बधित हांद पर. उसमें सर्भी तें तथ्य और परिस्थितियां पूर्णतः और सत्यत उपवणित करने में उपेक्षा करेगा या लोप करेगा. या.

आमाशंधन्द सूधी में
मिथ्या घांषणना करने के लिएं शास्ति

चिपकने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुंटि के लिये शास्ति धारा 33 के उपषन्धों का अनुपालन करने में लोप करने के लिंये शास्ति.

ऐसी लिखत्त के जो सम्वक रूप से स्टाप्पित नहीं है, निष्मादन आदि के लिए शास्ति: .
(ग) इस अधिनियम के अधीन सरकार को किसी शुल्क या श्ञस्ति से वंचित करने की परिकल्पना से कोई अन्य कार्य करेगा.

वह कारावास से, जिसकी अवधिं तीन माह तक की हो सकेगी. या जुर्माने से. जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।
68 (1) जहां किसी लिखत (जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रििष्टि 91 में विनिर्दिष्ट लिखत न हो) के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन शुल्क अदा करने के लिंये दायी कोई व्यक्ति धारा 64 या 67 के अधीन अपराध के लिंये दोष सिद्ध किया जाता है. वहां मजिस्ट्रेट. किसी दण्ड, जो ऐसे अप्राध के लिए अधिरोपित किया जा सकता है, के अतिरिक्त उस लिखत के सम्वन्ध में ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन शुल्क या शास्ति की किसी धनराशि, यदि वकायां हो, की वसूली का निर्देश दे सकेगा और ऐसी धनराशि भी वसूल की जाने योग्य होगी. गानो यह मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो ।
(2) ऐसी वसूली पर कलेक्टर तदनन्तर. लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा. प्रमाणित करेगा कि उचित शुल्क ड़ा शास्ति, यथारिथतिं, उसके सम्बन्ध में उदगृहीत किया गया है।
69. जो कोई व्यक्ति-
(क) स्टाम्पों के विक्य के लिये नियुक्त होते हुये इस अधिनियम के अधीन. बनाये गये किसी नियम की अवज़ी करेगा. और
(ख) इस प्रकार नियुक्त न होते हुये किसी स्टाग्प का. (जो दस पैसे या पांच पेसे वाले चिपकाने वाले स्टाम्प से भिन्न है) विक्य करेगा या उसे विकय के लिये प्रस्थापित करेगा. वह कारावास से. जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्मानें से. जो पांच सो रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

70(1) जो इस अधिनियम या एतदद्वारा निरसित भारतीय स्टाम्प अधिनिंयम़. 1899 (अंधिनियम संख्या 2 सन् 1899) के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय अपराध की वाबत कोई भी अभियोजन, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी की, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार साधारणतः या कलेक्टर विशेषत: प्राधिकृत करे, मन्जूरी. के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।
(2) मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी या इस निमित उसके द्वारा साधारणतः या विंशेषतः प्राधिकृत अन्य अधिकारी किसी ऐसे अभियोजन को रोक सकेगा या किसी ऐसे अ़पराध का शमन कर सकेगा।
(3) किसी ऐसे शमन की राशि, धरा 48 द्वारा उपषधित रीति से बसूलीनीय होगीं।
71. प्रेसिंडेन्सी मजिस्ट्रेट से या ऐसे मजिस्ट्रेट से. जिसकी शक्तियां द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट से कम वहीं है. गिन्न कोई 'भी मजिस्ट्रेट. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
: 72: किसी लिखत की वावत किया गया ऐसा हर अपराध, किसी जिले में, जिसमें ऐसी लिखत पाई गई है, और साथ-साथ किसी जिले में. जिसमें ऐसा अपराध तत्समय म्रवृत्त दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) के अधीन विचारित कियों जा सकक्ता है, विचारित किया जा सकेगा। .

अध्याय-8
अनुपूरक उपबन्ध
73. प्रत्येक्र लोक अधिकारी. जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर. पुस्तक, अभिलेख. कागज. दस्तावेज या तत्सग्बन्धी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का यह परिणाम हो संकता हैं कि कोंई शुल्क अभिप्राप्त हो या किसी शुल्क के सम्बन्ध में कोई करपट या लोप साबित या प्रकट हो जायें कलेक्टर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किये गये क़िसी अंध्किारी या किसी व्यक्ति जिसका कार्य यह देखना है कि उचित शुल्क दिया है या नहीं, को ऐसे प्रयोजन के लिये किसी शुल्क या प्रभार के विना उन रजिस्टरों, पुस्तकों. कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण सभी सुसंगत समयों पर करंने देगा औऱ, जो टिप्पणी और उंद्धरण वह आवश्यक समडो, लेने देगां।

स्टाग्य शुल्ल में करी की धनराशि की वरूली

स्टाम्पों के विक्य से सम्दन्धित निथग के भंग के और अप्राधिकृत विक्य के लिए शारित्त:-

अभियोजन का संस्थित किया जाना और संचालन

मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता

विचारण का स्थान

पुरतकें आटि निरीक्षण के लिये खुली रहेंगी

सूचना. लिखता या अभिलेख मंगाने की कलेवटर की शक्ति

स्टाम्पंँ के विक्य से सम्बन्धित नियम बन्ताने की शक्ति

साधरणतः अधिनिया को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति

कतिपय शक्तियो का प्रत्यायोजन

74(1) जहॉ कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, स्टाम्प अपर आयुक्त, स्टाम्प उप आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त के पास विश्वास करने का कारण हो कि शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत बिल्कुल प्रभारित नहीं किया गया है या इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय शुल्क से गलत रूप से प्रभारित किया गया है वहॉ वह या उनके द्वारा इस निमित्त लिखितः रूप से प्राधिकृत. कोई अन्य अधिकारी (जिसे प्राधिकृत अधिकारी कहा जाएगा) सम्बन्धित व्यक्ति सें जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लिखत. रजिस्टर. पुस्तकें, अभिलेख. कागज आदि. मानचित्ऱ, दस्तावेज या कार्यवृत्त रखे गये हों, या अनुरक्षण कर रहा हो, से उसके समक्ष या प्राधिकारी प्राधिकारी के समक्ष ऐसी लिखत या कोई अन्य सुंसगत अभिलेख जो उससे सम्बन्धित हो, जिसमें रजिस्टर, पुस्तकें अभिलेख कागज आदि मानचित्र. दस्तावेज या कर्यवृत्त सम्मिलित है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजन' के लिए पद 'सम्बंधित व्यक्ति' में व्यक्तियों का निकाय, कोई सांविधिक प्राधिकरण या संघ, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है
(2) यदि कोई व्यक्ति, कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, अपर स्टाम्प आयुक्त, उप स्टाम्प आयुक्त, या सहायक स्टाम्प आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप धारा (1) के अधीन ऊपर उल्लिखित अपेक्षित लिखत या अन्य अभिलेख को बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रस्तुत करने में जानयूझकर विफल रहे तो कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त. अपर स्टाम्प आयुक्त. उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त ऐसे व्यक्ति को शास्ति के रूप में पांच हजार रूपये से अनधिक की धनराशि का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेशं कलेक्टर या स्टाम्प आयुक्त, अपर स्टाम्प आयुक्त, उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प आयुक्त द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव है. इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

परन्तु यह और कि इस उप धारा के अधीन पारित आदेश के सम्बन्ध में तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अवधि के भीतर जिसकी इस विषय में अनुमति दी जाय, मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी को अपील की जा सकती है जो कि अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उस विषय में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह न्यायपूर्ण और उचित समझे और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा।
75. राज्यं सरकार निम्नलिखित को विनियमित करने के लिए गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी:-
(क) स्टाम्पों, ई स्टाम्प, फैकिंग मशीन. इन्टरनेट का प्रयोग करके या किसी अन्य मशीन द्वारा स्टाम्प और स्टाम्पित कागजों के प्रदाय और विक्य.
(ख) वे व्यक्ति केवल जिनके द्वारा ऐसा विक्रय संचालित किया जायेगा, और
(ग) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनके प्रभार्य फीस, परन्तु ऐसे नियम दस पैसे या पांच पैसे के चिपकने वाले स्टाम्पों के विकय को निबन्धित नहीं करेंगे।
76. राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणत: कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियगों द्वारा उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने विहित कर सकेगी, जो किसी भी मामले में पांच सौ रूपये से अधिक नंहीं होगें।
77. राज्य सरकांर गजट में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित प्रत्यायोजन कर सकेशी।
(क) मुख्य नियन्त्रकं राजस्व अधिकारी को धारा 2 के खण्ड (पॉच) धारा 38 की उपधारां (3) और धारा 70 की उपधारा (1) और धारा 75 द्वारा प्रदत्त़ की गयी सभी या कोई भी शक्तियां, और
(ख) किसी अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारी को जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, धारा 11 . धारा 58 की उपधारा (1) धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त की गई सगी या कोई शक्तियां।

78．धारा 7 की नकल के परन्तुक के अतिरिक्त इस अधिनियम की कोई भी बांत， न्यायालय फीस सम्बन्धी किसी तत्समय प्रवृत्ति अधिनियमिति के अधीन प्रभार्य शुल्कों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समड़ी जायेगी।

79．सभी स्टाम्प जो चार आने या उसके गुणित वाले हो．यथास्थिति，पच्चीस पैसे या उसके गुणित वाले मूल्य के स्टाम्प समझे जायेंगें और तदनुसार इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगें।

80．भारतीय स्टाम्प अधिनियम， 1899 （अधिनियम संख्या 2 सन् 1899）．जहां तक यह संविधान की सप्तम अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिप्ट दस्तावेजों के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची की सूची तीन की प्रविष्टि 44 से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में है， इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी का विस्तार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा।

81（1）उत्तर प्रदेश राज्य में यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम， 1899 （अधिनियम संख्या 2 सन् 1899）भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची प्रथम की

न्यायालय कीस के यारे में व्यावृत्ति

कतिपय स्टाम्षों के बारें में व्यवृत्ति

भारतीय स्टाम्प अधिनियम． 1899 की प्रवृत्ति

अपवाद और जिरसन प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से सम्बन्धित है．के सिवाय उसे एतदद्वारा निरसित किया जाता है और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम， 1904 （उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904）के उपबन्ध ऐसे निरसन पर प्रवृत्त होगें।

परन्तु यह कि एतद्द्वारा निरसन से－
（एक）किसी अधिकार，हक，बाध्यता या दायित्व जो पहले से अर्जित，उपाप्त या उपगत हो या की गयी या भुक्त किसी पर
（दो）ऐसे अधिकार，हक，बांध्यता या दायित्व के सम्बन्ध में किसी विधिक कार्यवाही या उपचार（एतद्वारा निरसित）अधिनियमिति के उपयंधों के अधीन कोई प्रभावं नहीं होगा और ऐसी कोई कार्यवाही संस्थित，जारी और निस्तारित की जा सकती है और किसी ऐसे उपचार को प्रवृत्त．किया जा सकता है，मानों यह अधिनियम पारित न हुआ हो।
（2）एतद्द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों के अधीन की गयी या जारी कोई नियुक्ति अधिसूचना，नोटिस．आदेश नियम या प्रारूप को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया या जारी समझा जाएगा．जहां तक ऐसी नियुक्तिया．अधिसूचनाएं，नोटिस，आदेश नियम या प्रारूप इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल न हो और वे तब तक प्रवृत्त बने रहेंगें जब तक इस अधिनियम के अधीन की गयी या जारी किसी नियुक्ति，अधिसूचना， नोटिस，आदेश．नियम या प्रारूप द्वारा अधिक्रमित न हो जाय।
（3）चार आना या उसके गुणांकों के नाम के स्भी स्टाम्पों को पच्चीस नये पैसे या यथास्थिति उनके गुणांकों के मूल्य का स्टाम्प समझा जाएगा और तदनुस़ार विधिंमान्य होगें।

## अनुसूची

देखिये धारा 3 और धारा 80
उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 के अधीन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क

लिखतों का वर्णन
उचित स्टाम्प शुल्क

1. अभिस्वीकृति - किसी ऋण की राशि या मूल्य में एक हजार रूपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी वही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक कागज के टुकडें पर. साष्ट्य निमित्त लिखी जाये या हरताक्षरित की जाये. जवकि ऐसी वही या कागज लेनदार के कज्जे में छोड़ दिया गया हो :

परन्तु यह तनब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या व्याज देने का. या किसी माल या अन्य सम्पत्ति का परिदान करने का अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।
2 प्रशासन बन्धपत्र - जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्त्तराधिकार अधिनियम. 1925 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1925) की.धारा 291. 375 और 376 या गवर्नमेन्ट सेंविंग्स बैंक अधिनियम, 1873 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1873) की धारा 6 के अधीन दिया गया कोई बन्धपत्र है।
3 दत्तक विलेख - अर्थांत कोई लिखत (वसीयतनामा से भिन्न) जो दत्तक ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक ग़रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है।
अधिवक्ता - अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि संख्या-17 देखिए
4 शपथ-पत्र- जिसके अन्तर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में जो शापथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात है. कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।

## छूटें

लिखित रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जबकि वह :-
(क) सेना अधिनियम. 1950. (अधिनियम संख्या 40 सन् 1950). वायु सेना अधिनियम. 1950 (अधिनियम संख्या 45 संन् 1950) या नौसेना अधिनियम. 1957 (अधिनियम संख्या 62 सन् 1957) के अधीन भर्ती होने कें लिए शर्त के रूप में. या
(ख) किसी व्यक्ति को कोई पेन्शन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए की गई है।
5. करार या इसका अभिलेख या करार का ज्ञापन-
(क) यदि वह विनियम-पत्र के विक्य से सम्बन्धित है.
(ख) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्य से सम्बन्धित है.
(ग) यदि वह किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगभित


वही शुल्क जो ऐसी राशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) पर देय है. अधिकतम दो सौ रूपये।

दस रूपये

प्रत्येक 10000 रूपये या उसके भाग के लिए, एक रूपये,
प्रतिभूति के क्रय या विक्रय . जैसी भी स्थिति हो, के सगय मूल्य के प्रत्येक $1.00,000$ रूपये या उसके भाग के लिए. पचासं पैसे.

## लिखतों का वर्णन

उचित स्टाम्प शुल्क
स्टॉक्स, या सभान प्रकृति के किसी अन्च विपण्य प्रतिभूति के कय या विकय से सम्वधित हो-
(एक) जब ऐसा करार या करार का ज्ञापन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियभ, 1956. (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) के अधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ या उनके माध्यम से हो.
(दो) किंसी अन्य भामले में,
(घ)
(एक) यदि वह कपास के क्य या विकय से सम्बन्धित हो.
(दो) यदि वह सोना. चॉदी के कय या विक्य से. सम्बन्धित हो,
(तीन) यदि वह तिलहन के क्य या विकय से सम्बन्धित हो,
(चार) यदि वह किसी प्रकार के यार्न, गैर-खनिज तेल या किसी प्रकार के मसालों के क्य से सम्बचित हो,

स्पष्टीकरण- अनुच्छेद-22. 44 या 52 जैसी स्थिति हो के अधीन संदत्त कोई शुल्क खण्ड (ख) (ग) (घ) - (एक) (दो) (तीन) और (चार) के अधीन प्रभार्य शुल्क के सापेक्ष संमायोजित की जायेगी।
(ड) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विकय से सम्बच्चित है जहां कज्े का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न ही हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन किये बिनां दे दिये जाने का करार किया गया हो :

परन्तु जब ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरंण-पत्र का निष्पादन उक्त करार के निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किया जाय. तब खण्ड (ग) के अधीन संदेय शुल्क के आधिक्य का समायोजन हस्तान्तरण-पत्र पर देय शुल्क के प्रति किया जायेगा :-

परन्तु यह और कि यदि उंक्त करार ऐसे करार के निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर विखण्डित कर दिया जाय तो ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क को, एक सौ रूपये की न्यूनतम कटौती के अधीन रहते हुए, ऐसे करार पर संदत्त स्टाप्प शुल्क की धनराशि का दस प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात. वापस कर दिया जायेगा।

प्रतिभूति के क्य या विकय. जैसी भी स्थिति हो, के समय मूल्य के प्रत्येक 10000 रूपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया.

प्रतिभूति के कय या विक्रय. जैसी भी स्थिति हो, के समय मूल्य के प्रत्येक 10000 रूपये या उसके भाग के लिए. एक रूपथा.

कपास के भूल्य के प्रत्येक 10000 या उसके भाग के लिए एक रूपय़ा,
सोन्म या चॉदी या सांवेरिन. जैसी स्थिति हो, के मूल्य के प्रत्येक 10000 रूपये या उसके भाग के लिए, एक रूपया.
तिलहन के मूल्य के प्रत्येक 10000 रूपये या उसके भाग के लिए. एक रूपया.
किसी प्रकार के यार्न, तैर-खनिज तेल या किसी प्रकार के मसालों ज़ैसी स्थिति .हो, के मूलू्य के प्रत्येक 10000 रूपये या उसके भाग के लिए. एक रूपया।

प्रतिफल की धनराशि, जैसा लिखत में दी गयी है, पर प्रत्येक़ एक हजार रूपये या उसके भाग के लिए. बीस रूपये.

| लिखतों का वर्णन |  | उचित स्टाम्प शुल्क |
| :---: | :---: | :---: |
|  | यदि वह किसी भूलि पर किसी व्यक्ति द्वारा, ज़ ऐसी भूमि के स्वानी या पट्टेदार से मिन्न हो, किसी भवन के निर्माण से सम्बध्धित हो और उसमें ऐस अनुबन्ध हो कि निर्माण के पश्चात ऐसे भवन को यथास्थिति. ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार और उस अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से पृथक-पृथक धारित क्रिया जायेगा या कि उनके द्वाऱा उसे संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बेचा जायेगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायेग और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप या पृथक-पृथक बेचा जायेगा। | प्रतिफल की राशि जैसीं कि करार में अंकित है या अचल सम्पत्ति जो करार की विषयवस्तु है. के बाजार मूल्य में से, जो अधिक हो, पः प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके भाग के लिए बीस रूपये. |

स्पष्टीकरण -
(1) पद 'भूमि' में वे वस्तुऐं जो भूबद्ध हों या किसी भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकडी हुई हों. भी सम्मिलित होंगी.
(2) पद पट्टेदार' का तात्पर्य शाश्वतकाल के लिए या तीरा वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए पट्टाधारक से होगा.
(3) पद 'भवन' का तात्पर्य एक से अधिक अपार्टमेन्ट'और/या एक से अधिक 'वाणिज्यिक इकाई" वाले भवन से है, जहां पर "अपार्टमेन्ट" का तात्पर्य किसी संप्पत्ति के भाग से है ,जो स्वतन्त्र प्रयोग के लिए आशयित हो और जिसमें कि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु आशयित किसी एक या अधिक तल पर अवर्थित एक या अधिक कमरे या बंद स्थान सम्मिलित है, जो कि आवासीय प्रयोजन के लिए आशयित हो और जिसमें किसी सार्वजनिक मार्ग. सड़क या राजमार्ग पर या ऐसे मार्ग. सड़क या राजमार्ग पर निकलने वाले किसी सार्वजनिक क्षेत्र/स्थान पर सीधा निकास हो और जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों एवं सुविधाओं में अविभाजित हित के साथ एक स्वतन्त्र आवासीय इकाई बनता हो और पद 'वाणिज्यिक इकाई" का तात्प्र्य भवन या वाणिज्यिक भवन संकुल में एक या अधिक तत्व पर या अवस्थित बन्द रथान को सम्मिलित करते हुए किसी पृथक पहचान योग्य सम्पत्ति या उसका कोई हिस्सा या हिस्सों से है. जो कि कोई वृत्ति चलाने या कोई वणिजिज्यिक कार्यकलाप, धन्धा, व्यवसाय य। व्यापार चलाने के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य सग्बधित उफ्योग के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाय और जिसमें किसी सार्वजनिक भार्ग. सड़क या राजमार्ग पर या ऐसे मार्ग. सड़क या राजमार्ग पर निकलने वाले किसी़ सार्वजनिक क्षेत्र/स्थान पर सीधा निकास हो और जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों एवं सुविधाओं में अविभाजित हित के साथ एक स्वतन्त्र वाणिज्यिक इकाई बनता हो और इसके अन्तर्गत भबन में कोई गोदाम भी सम्मिलित है जिसमें कि ऐसी इकाई के स्वामी द्वारा सामान (माल) रखने के लिए ऐसी इकाई अवरिथत है।
(छ) यदि-
(एक) लाभ फगाने या उससे व्यापार करने के आशय से किसी उत्पाद, या कार्यंकम या आयोणन के संवर्धन हेतु गास मीडिया पर किसी विज्ञापन से सम्वनित हो.
(दो) किसी आयोजन या फिल्म की टेलिकास्टिंग, श्राडकास्टिंग या प्रदर्शन का अनन्य अधिकार प्रदान करना.
(तीन) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सगूह द्वारा विशिप्ट कार्यकम जहां संविदा का मूल्य $1,00,000$ रुपये सं अधिक हो.
(चार) किसी दायित्व. अधिकार या हित का सृजन जिएक्रा आर्थिक मूल्य हो. परन्तु इस अनुच्चेद के अर्धान आच्छादित न हो

रंविद्ध में अनुवधित धनराशि के प्रत्येक 1000 रूपये या उसके भाग के लिए. दो रूपये।

संविटा में अनुर्व्धित धनराशि के प्रत्येक 1000 रूपये या उसके भाग के लिए. टो रूपये।
संविदा में अनुवनित धननर्राशे के प्रत्येक 1000 रुपपं या उसके भाग के लिए .टो रूपये।
संविदद में अनुर्वधधत धन्राशि के प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग के लिए दो रूपये।

|  | लिखतों का वर्णन | उचित स्टाम्प शुल्क |
| :---: | :---: | :---: |
|  | (पांच) कापीरइट एक्ट. 1957 (अधिनियम संख्या-14 सन 1957) के अधीन कापी राईट (प्रतिलिखि अधिकार) का समनुदेशन | ऐसं समनुदेशन के लिए हस्ताक्षरित मूल्य के संविदा में अनुवन्धित धनराशि पर प्रत्येक 1000 रूपये या उसकके भाग के लिए, दो रूपये। |
| (ज) | था उपवन्धित न हो. | एक सौ रूपये । |

जो केन्द्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किये गये हैं जो किसी उधार के लिए हैं, या उससे सग्बधित हैं।
पट्टें के लिए करार- (संख्या 35) देखिये। लीज का इकरार- लीज (संख्या 35) देंखिये।
6. हक-विलेखों के निक्षेप. पण्यम, आड़मान या गिरवी से सम्बन्धित करार-अर्थात निम्नलिखित से सम्बन्धित करार को साश्ष्यित करने वाली कोर्ड़ लिखत-
(1) ऐसे हक-विलेखों या लिखतुों का निक्षेप जिससे किसी भी सम्पत्ति पर (विपण्य प्रतिभूति से भिन्न) हक का साद्ध्य हो जाता है : या
(2) जंगम सम्पत्ति को पण्यम, आडमांऩ या तिरवी. जहां कि ऐसा निक्षेप, पण्यम. आडमान, यां गिरवी. उधार में अग्रिभ दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण़ के चुकांये जाने के लिए प्रतिभभूति के रूप में की गड़ है-
(क) यदि ऐसा उधार या ऋण़. मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को सक्ष्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है:
उंधार या ऋण की रकम के प्रत्येंक 1000 रूपये या उसके भाग के लिए.
स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के प्रंयोजनों के लिए. हक-विलेखों के निक्षेप से सम्बन्धित कोई कागज़ादि. टिप्पण या ज्ञापन या लेख चाहे हक-विलेखों के निक्षेप के प्रभावी होने के समय या उसके पूर्व या पश्चात लिखे या बनाये गये हों और याहे वह प्रथम उधार या किसी पश्वातवर्ती उधार के सम्वन्ध में हों. ऐसे कागजादिं, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को हक-विलेखों के निक्षेप के सम्बन्ध में किसी पृथक करार की अनुपस्थिति में. हक विलेखों के निक्षेप से सम्बधित करार को साह्य करने वाला लिखत समझा जायेगा।
(ख) यदिं ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत के दिनांक से तीन मास से अधिक नहीं है।

छूट
कृषि उत्पाँ के पण्यम. आडमान या गिरवी की कोई लिंखत, यदि वह अप्रमाणित हो।

पांच रूपये. अधिकतग दस हजार रूपयें।

शुल्क का आधा जो ऐसी प्रतिभूति राशि के लिए गुण्ड (क) के अन्तर्गत रधार या ऋण पर लगता है।

लिखतों का वर्णन उचित स्टाम्प शुल्क
(संख्या 24). अन्तरण (संख्या 60) और पट्ट्ट का
अन्तरण (संख्या 61)
अटॉर्नी- गुख्तारनामा (संख्या 48) वाली प्रविष्टि~ देखिये।

दत्तक, ग्रहण करने का प्राधिकार- दत्तक-विलेख (संख्या 3) देखिये।

पंचाट -अर्थात वाद के अनुकग में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गय़े किसी निर्देश में मध्यर्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्च्य, जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है-
(क) जहां कि उस सम्पत्ति की. जिससे पंचाट सम्बन्धित है, राशि या मूल्य, जो पंचाट में उपवर्णित हो. 1.000 रूपये से अधिक नहीं है.
(ख) यदि यह 1,000 रूपप्ये से अधिक है तो प्रत्येक 1.000 रूपये या उसके भाग के लिए
(ग) जहां पंचाट की विषंयवस्तु मूल्यांकन में असमर्थ है।

## छूट

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम. 1916 (अधिनियम संख्या 2 सन 1916) दी धारा 324 (1) या-उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वोर्ड अधिनियम, 1922 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1922) की धारा 191 के अन्तर्गत्गत पंचाटं।
बैंक गारण्टी - किसी संविदा के सम्यक पांलन या किसी दायित्च के सम्यंक निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू के रूप में किसी बैंक द्वारा निष्पादित गारण्टी विलेख-
प्रत्येकें 1000 रुपये या उसके भाग के लिए,
बिल ऑफ एक्सचेंज- देखें संख्या-13 भारतीय स्टाम्प अधिनियंम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन 1899) की अनुसूची

बिल ऑफ लेडिंग- देखें संख्या-14 भारतीय स्टाम्प अधिनियम; 1899 (अधिनियम संख्या 2 सऩ 1899) की अनुसूची
बाण्ड- जैसा कि धारा 2 (तीन) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेंचर संख्या 27 भारतीय स्टाम्प अधिनियम. 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूचीद्व नहीं हैं और जिसके लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम. 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870. (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) द्वारा अन्यथा उपलब्ध नहीं किया है-
जहां, कि प्रतिभूत रकम या मूल्य 100 रूपये से अधिक नहीं है:
जहां कि वह 100 रूपये से अधिंक किंत्तु 1000 रूपये से अधिक नहीं है:
और 1000 रूपये से अधिक प्रत्येंक अतिरिक्त 1000

वही शुल्क. जो उतनी ही राशि के बाण्ड (संख्या 14) पर लगता है.

दस रूपये.
वही शुल्क जो 10000 रूपंये की राशि के बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।

पांच रूपये परन्तु अधिकतम दस हजार रूपये ।

चार रूपये

चालीस रूंपये
चालीस रूपये

रूपये या उसके भाग के लिए
देंखें एडमिनिम्ट्रेशन बांड (संख्या 2)
बाटमरी बांड (संख्या 15)
कस्टम्ं बांड (संख्या 27)
इन्डंमिनिटीटी बांड (संख्या 33)
सैस्थान्डेश्रिया बांड (संख्या 54)
सिक्योरिटी चांड जो बन्धक पत्र नहीं है (संख्या 55)
छूट.
जब किसी व्यकित्र द्वारा इस वांत की प्रतिगूरूति के प्रयोजनाथ. बन्धपत्र निप्पादित किया जाय कि किसी चैंरिटेवल डिसपेंसरी .या चिकित्सालय या सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु हेतु निजी अभिदान से प्राप्त रथानीय आय प्रति माह एक विनिर्दिष्ट धनराशि से कम न होगी।
पोत-बन्ध पत्र - अर्थात कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगाभी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है जिसंसे वह पोत का परीक्षण करने गें तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके।
रदद कर देने का लिखत - जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई लिखत है. (जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गई कोंई लिखत रद्द कर दी गयी है) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है।
अवगोचन (संख्या 53) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण /संख्या 56 (ख) ). पट़्टे का अर्यर्पण (संख्या 59). न्यास का प्रतिरांइरा / सिंख्या 62 (ख)] भी टेखिये।
नामांकन प्रमाण पत्र- अधिवक्ता अधिनियम. 1961 (अधिनियम संख्या 25 सऩ 1961) की धरा 22 के अन्तर्गत-उत्तर प्रदेश राज्य बार काऊन्मिल द्वारा जारी किया गया नामांकन प्रमाण पत्र।
प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र- नोटरी अधिनियम. 1952 (अधिनियम संख्या 53 सऩ 1952) की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटरी की तरह प्रैक्टिस करने का प्रम्गण पत्र या उक्त धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत ऐसे प्रमाण प़त्र के नवीकरण का पृष्ठांकन।
विक्य प्रमाण पत्र - (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाग पर चढ़ाई गई है और बेची गई है) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई सम्पत्ति के केता को किसी न्यायालय या किसी अधिकारी. प्रांधिकारी $य 1$ तत्समय प्रवृत्त्र किसी विधि के अन्तर्गत दिया गया है।

वही शुल्क जो उतनी राशि के । बन्धपत्र (संख्या 14) पर लगता है।

एक सौ रूपये

पांच सों रूपये

दो सौ रूथये

वही शुल्ं जो केवल कय धन की राशि के बरायर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण /संख्य 24 खण्ड (क) ] पर लगता है।

|  | लिखतों का वर्णन | उचित स्टाप्प शुल्क |
| :---: | :---: | :---: |
| 20 | प्रमाण पत्र या अन्य लेखपत्र - जो उसके धाए़क या किसी अन्य व्वक्ति के किसी निएगित कम्यं:ी या अन्य निएमित निकाय के किसी शेयर स्किप या स्टाकं सम्बन्धी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय या उसके शेयर. स्किप्रि या स्टाक का स्वगी होने सम्बर्धी अधिकार या हक को साध्यित करता है। <br> (शेयरों के आवंटन का पत्र (संख्या 37) भी देखें। | एक रुपया |
| 21 | चार्टर पार्टी - अर्थात कोई विलेख (टग-स्टीगर के किराये कें करार के सिवाय) जिससे कोई जलयान या उसका कोई प्रमुख विनिर्दिष्ट भाग चार्टंर के सुनिश्यारा प्रघोजन के लिए भाडे पर दिया जाये. याहे उसमें शारित का उपबःध हो या नहीं। | दस रूप्ये |
| 22 | (1) समाशोधन सूची - जो किसी स्टाक एक्सचेंज के सगाशोधन गृह को प्रस्तुत की गयी किसी सरकारी प्रतिभूति के कय या विक्रय के संब्यवहार से स्वनिधत हो। | यभास्थिति अंनुच्छेद 44 (छ) या अनुच्छेद 5 के खण्ड (ख) के अधीन देय शुल्कों के योग की धनराशि के सग्वन्ध में ऐसी सृचीं में प्रत्येक प्रविद्टि के लिए यथारिथति प्रतिभूतियों के गेंकिग अप मूल्य पर या करार मूल्य पर आगणित मूल्य. |
|  | (2) समाशोधन सूची - जो किसी रटाक एक्सचेंज. चाहे प्रतिभूपि संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियभ संख्या 42 सन 1956) के अधीन मान्यता प्राप्त हो या न हो, के समाशोधन गृह को प्रस्तुत की गयी किसी निगमित कम्पनी या अन्य निभमित निकाय के शेयर स्रिप. स्टांक, विलेख. डिबेन्चु. डिनेन्दर रंटक के क्य या विकय के संख्यवहार से सुr्यधित हो। | यथास्थिति अनुचछेद 44 (च) या अनुच्छेद 5 (ग) के अधीन देय शुल्कों के योग की धनराशि के सम्बन्ध गें ऐसी सूची गें प्रत्येक प्रविष्टि के fिए यथारिथति प्रतिभूतियों के मेंकिंग अपगूल्य या करार मूल्य पर आगणित गूल्य. |
|  | (3) समाशंधन सूची जो काटन संघ को प्रस्तुत की गशी काटें के क्य या विकये के सव्यवझार से सम्यनित हो। <br> प्रशमन विलेख- अर्थात किसीं ऋणी द्वारा निष्पादित | यथास्थिति अनुच्छेद 5 (घ) (एक) या अनुचेद 44 (कं) के अधीन देय शुल्कों के योग की घनराशि जो ऐसी सूची के प्रत्ये: यद़िष्टि के गूल्य के सग्बन्ध ंiा :. पचास रूपये |
|  | कोई लिखत जिसके द्वारा वहं अपने लेनदारों के ल्लाम के लिए अपनी सम्पत्ति, हस्तान्तरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन घन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूंत किया जाता है या ज़िसके द्वारा निरीक्षकों के पर्थंवेक्षण के अधीन या अनुर्जाति पत्रों के अधीन ऋणी के कारोबार को उसके लेनदारों के लाभ के लिए, चालू रखने के लिए उपबन्ध किया जाता है। |  |
| 24 | हस्तान्तरण पत्र - धारा 2 (आठ) द्वारा यथापरिभाधित, जो ऐसा अन्तरण नहीं है जिसके लेखे पर संख्या 60 |  |

के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गयी है-
(क) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति से सम्बधित हैं जाहां ऐसे हंसान्तरण के प्रतिफल की उसमें उदल...द्यात रकम या गूल्य या उस सम्पत्ति का ज! ःसे हस्ताःतरण की विषयवस्तु है. के बाजार मूल्य. मां से जो गी अधिक हो,-

500 रूपये से अधिक न हो.
जहां वह 500 रूपये से अधिक है किन्तु 1000 रूपये से अधिक न हो.
और 1000 रूपये से अधिक प्रत्येक 1000 रूपये या उसके प्रत्येक भाग के लिए :

परनतु यह कि यदि सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम संख्या 2 सन 1959) के अधीन गठित किसी स्थानीय निकायं द्वारा. या उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम. 1973 के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम. 1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और कम्पनी अधिनियम. 1956 (अधिनियम रांख्या 1 सन् 1956) के अधीन पंजीकृत उत्तर प्रटेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पूर्व-अवधारित मूल्य के आधार पर किंसी अचल सम्पत्ति का विकय किया जाता है, तो ऐसे निकायों द्वारा अवधारित मूल्य विषयगत सम्पत्ति का चाजार मूल्य होगा।
स्पष्टीकरण - इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए "पूर्व अवधारित मूल्य" में उपरिलिखित प्राधिकरणों द्वारा आवंटी पर अन्तरित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगाया गया ब्याज और/या शास्ति. यदि कोई हो. सम्मिलित है।
(ख) यदि स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित हैसहकारी समितियों से सग्बध्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समडी गयी किसीं सहकारी आवास समिति द्वारा अपने - सदस्यों के पक्ष में या

चालीस रूपये अरसी रूपये अरसी रूपये

प्रतिफल या ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो: के आधे पर हस्त़ान्तरण [(संख्या-24 खण्ड (क)] पर देय शुल्क के समान।



छूट
भारत के निवासी द्वारा, या भारत में प्रथमतः प्रकाशित संगीत सम्बन्धी कार्यो में प्रतिलिप्यन्तरण का समनुदेशन।

स्पष्टीकरण-1
इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थाव़र सम्पत्ति के विक्य के करार के मागले में. जहां निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय कब्जा दे दिया जाये या हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन किये बिना कब्जा दे दिये जाने का करार किया गया हो, वहां करार को हस्तान्तरण-पत्र सभझा जायेग और उस पर तदनुस्तर स्टाम्प शुल्क देय होगा:

परन्तु धारा 52 के उपबन्ध ऐतो करार पर यथावश्यक परिवर्तोनों सहित प्रवृत्त होंग:

पर्तु यह और कि जब ऐसे कं०न: सहित करार जिस पर स्स्गम्प शुल्क अदा किया जा? चुका है तथा ऐसे करार के अनुसरण में याद में :स्तान्तरण पत्र उस करार के निष्पादन के दिनांक सें तीन वर्ष की अवधि के गीतर निध्वदित किया जुाय है. तो ऐसे हस्ता:तरण पत्र पर स्टाप शुल्क एक रौं रूपये देय होगा या

लिखतों का वर्णन
उचित स्टाम्प शुल्क
और यदि ऐसे कज्जा सहित करार के अनुसरण में उसके निष्पादन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के पश्चां हरतान्तरण- पत्र निष्पादित किया जाता है या तो इसः अनुच्छेद के अन्तर्गत अदा किये गये स्टाम्प शुल्फ को तथा खण्ड (ड.) के अन्तर्मत देय स्टांम्प शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त हरतान्तरण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि में किया जयेगा।

स्पष्टीकरण -2
(एक) खण्ड (ड.) के प्रयोजन के लिए शेयर के बाजार गूल्य का तात्पर्य.-
(क) ट्रान्सफरी कम्पनी के सम्बन्ध गें. जिसके शेयर बाजार गें लिस्टेड हैं तथा जिनका मूल्य स्टाक एक्सचेन्ज पर ट्रेडिंग के लिए घोषित किया जाता है. अमेलन की योजना में निश्चित दिनांक को शेयरों के बाजार गूल्य से है. और यदि कोई ऐसा दिनांक निश्चित नहीं है, तो उच्च न्यायालय के आदेश का दिनांक.
(ख) ट्रान्सफरी कम्पनी के सग्बन्ध में. जिसके शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है / यां लिस्टैड हैं परन्तु जिनका गूल्य स्टाक एक्सचेन्ज पर ट्रेडिंग के लिए घोषित गहीं किया जाता है. ट्रान्सफर कम्पनी के शेयरों के बजजार मूल्यं के सन्दर्भ में जारी कियेः गये या आवंट़िः शेयरों के बाजार मूल्य या कलेक्टर द्वारा .ट्रान्सफरीं कम्पनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात निश्चित बाजार मूल्य से है.
(दो) अनुच्छेद (ड.) के प्रयोजन के लिए एक्सचेन्ज हेतु जारीं किये गये या आवंटित किये गये या अन्यथा प्राप्त शेयर का अर्थ वही होगा जो एक्सचेन्ज रेशियो के आधार पर विजिश्चित दिनांक को ट्रांन्सफरर कम्पनी के खाते में हों।
प्रति या उद्धरण- जिराकी बावत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है. और जो न्यायालय फीस से सग्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं हैं-
(एक) यदि उसका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है या . दस रूपये यदि वह शुल्क जो उस प़र प्रभार्य है. दस रूपये से अधिक नहीं है।
(दो) किसी अन्च मालले में जो धारा 7 के उपबनधों के . दरा रूपुये भीतर न अंतl हो।

छूटें
(क) किसी ऐसे कागज पत्र की प्रतिलिपि जिसके सग्थन्ध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिच्वक्त रूपष से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय


लिखतों का वर्णन
(क) जब मूल बन्धक अनुच्छेद संख्या 41 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार में किसी प्रकार का हो। (अर्थात कजे सहित)
(ख) जब ऐसा बन्धक उस प्रकार का हो जिसका अनुच्छेद 41 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया है (अर्थात कब्जा रहित)
(एक) यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय उस लिखत द्वारा सम्पत्ति का कब्जा दिया जाये, या दिये जाने का करार हो-
(दो) यदि कब्जा इस प्रकार न दिया गया हो

दान- की लिखत जो व्यवस्थापन संख्या ( 56 ) या वसीयत या अन्तरण (संख्या 60) न हो।

किराये का इकरार या नौकरी का इकरार (संख्या 5) क्षतिपूर्ति बांड

इन्सपेक्टरंशिप डीड-देखों प्रशमन विलेख (संख्या 23) बीमा- देखें बीमा की पालिसी (संख्या 47) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची
लिखत शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत में जिसके सम्बन्ध में उचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, पूर्णतया लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए.
पट्टा- जिसमें शिकमी पट्टा या उप लीज और किराये पर उठाने या शिकमी किराये पर देने या लीज के नवीकरण का करार शामिल है-
(क) ज़ब ऐसे पट्टे में किराया नियत हो-और कोई प्रीमियम नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है-
(एक) जब पट्टा तीन व़र्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो,

उचित स्टाम्प शुल्क
वही शुल्क जो ऐसी लिखतं द्वारा प्रतिभूति किये गये और भार की राशि के समतुल्य प्रतिफल के हस्तान्तरण [संख्या 24 खण्ड(क)] पर होता है,

प्रभार की कुल राशिं (जिसमें मूल वन्धक और पहले अधिरोपित अतिरिक्त प्रभार भी शामिल है) के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण।[(संख्या. 24 खण्ड(क)] के समान शुल्क. उस बन्धक और अतिरिक्त प्रभार पर पहले अदा किये गये शुल्क को कम कर दिया जायेगा।
उस लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त प्रभार की राशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क।
सम्पत्ति के . मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण [(संख्या 24 खण्ड (क)] के समान शुल्क

उसी राशि के लिए जमानती बन्धपत्र, जो बन्धक पत्र न हो (संख्या 55) के समाऩ शुल्क

एक सौ रूपये

ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय सम्पूर्ण राशि का दो प्रतिशत.

|  | लिखतों का वर्णन | उचित स्टाम्प शुल्क |
| :---: | :---: | :---: |
|  | (दो) जब पट्टा तीन वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो. <br> (तीन) जब पट्टा पॉच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो. <br> (चार) जव पट्टा दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित हो. <br> (पांच) जब पट्टा बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो <br> (®) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए या शाश्वता के लिए तत्पर्यित है। | आरक्षित औसत वार्थिक किराये की राशि या मूल्य के तीन गुने के बराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत। आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के पांच गुने के वराबर प्रतिफल का दो प्रतिशत। आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के दस गुने के वरावर प्रतिफल का दो प्रतिशत। आरक्षित औसत वार्षिक किराये की राशि या मूल्य के बीस गुने के बरावर प्रतिफल का दो प्रतिशत। वही शुल्क जो सम्पत्ति के जो पट्टे की विप्यवस्तु हो बाजार मूल्य के बरावर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो। |
| (ख) | जहां कि पट्टा किसी जुर्माना या प्रीमियम के लिए या अग्रिभ दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है और जहां तक कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है। <br> (एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है। <br> (दो) जहां कि लीज तीस वर्ष से अधिक अवधि या शाश्वता के लिए तात्पर्यित है. | वही शुल्क जो ऐसे जुर्माना •या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या गूल्य के. जो पट्टे में उपवर्णित है. बराबर प्रतिफल काले हस्तान्तरण पन्र [संख्या 24 खण्ड (क) ] पर देय हो। <br> वही शुल्क जो सम्पत्ति के. ज़ो पट्ट्टे की विषयवस्तु हो बाजार मूल्य के बरावर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो। |
| ( $T$ ) | जहां कि लीज आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियन के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है- <br> (एक) जहां कि लीज तीस वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए तात्पर्थित है, या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है. | वही शुल्क जो ऐसे जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिग धन की रकम या गूल्य के. जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 24 खण्ड (क)] पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में. जिसमें कि कोई जुर्भाना या प्रीमियम या अग्रिभ धन नहीं दिया गया है, या परिदत्त नहीं |


| लिखतों का वर्णन |
| :--- |


|  |  | उचित स्टाम्प शुल्क |
| :---: | :---: | :---: |
| कोई स्थावर सम्पत्ति पट्टे पर दी जाती है तो स्टाम्प शुल्क्ं निम्नवत देय होगा- <br> (एक) जहां पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है- <br> (दो) जहां पट्टे को जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिश दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया हो और कोई किराया आरक्षित न हो <br> (तीन) जहां पट्टे को जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के लिए आरक्षित किराये के अतिरिक्त मंजूर किया गया है और तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है : <br> औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि या मूल्य के दस गुना के समतुल्य हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के लिए प्रतिफल की धनराशि के समान शुल्क <br> वही शुल्क जो ऐसे जुरुमाने या प्रीमियग या अग्रिम धन के गूल्य के जो पट्टे में दिया है. बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क) पर देय हो। <br> वही. शुल्क जो ऐसे जुरमाने या प्रीभियग या अग्रिम धनराशि या मूल्य के जो पट्टे में दिया है. बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) पर खण्ड (एक) के संबंध में उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त हो। |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

लिखतों का वर्णन उचित स्टाम्प शुल्क

का इकरार लीज ग्रहीता द्वारा किया गया हो, किराये का भाग समड़ी जायेगी।
(2) कोई अवधि निश्चित किये विना माह दर माह या वर्ष दर वर्ष की लीज. या किसी निश्चित अवधि के लिए लीज ग्रहीता को तत्पश्चात अनिश्चित काल तक बने रहने की शर्त के साथ दी गयी लीज. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ऐसी लीज मानी जावेगी जो किसी निश्चित अवधि के लिए अभिप्रेत न हो।
(3) अण्रिग अदा किया गया किराया इस अनुच्छेद के तात्पर्य से अग्रिम धन माना जावेगा. जब तक कि लीज गें यह स्पष्ट प्राविधान गो हो कि अग्रिम अदा किया गया धन तीज की अन्तिम किश्त या अन्तिम किश्तों में भुजरा किया जावेगा।
(4)वह सम्पूर्ण राशि जिसके लिए चुंगी लीज पर दी गयी हो. चाहे वह एक मुश्त अदा की जावे या किश्तों में, इस अनुच्छेद के प्रयोजन से नजराना मानी जावेगी।
(5) जणराना या अग्रिम धन या अग्रिम दी जाने वाली या जगा प्रतिगूति. चाहे किसी नाम से पुकारी जाए. के रूप में किसी प्रतिफल को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए. आगे लायी गयी प्रीमियम समझी जाएगी।
(6)किराए की पूर्व निर्धारित दर के साथ लीज की अवधि के विस्तार के प्रावधान और लीज बढ़ाने के लिए लीजदाता के दायित्व को वर्तमान लीज की अवधि का एक भाग समझा जाएगा।

इजाजंत और अनुज्ञप्ति - यदि अचल सम्पत्ति से सम्बनिंत हो. जैसा कि सुखाचार अधिनियम. 1882 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1882) की धारा 52 में यथा परिभाषित है।
शेयरों के आवंटन का पत्र- किसी कम्पनी या प्रस्तावित कम्पनी के शेयरों का, या किसी कम्पनी या प्रस्तावित कम्पनी द्वारा लिए जाने वाला ऋण के सम्बन्ध में।
प्रमाण पत्र या अन्य लेख-पत्र (संख्या 20) भी देखें।
लेटर ऑफ लाइसेंस- अर्थात ऋणी और उसके साहृकारों के बीच ऐसा इकरार कि साहृकार किसी निश्चित समय तक अपने दावों को निलग्वित रखेंगे और ऋणी को अपने विवेकानुसार अपना व्यापार चलाने देंगें।
आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित लाइसेंस-अर्थात आयुध अधिनियम. 1959 (अधिनियम संख्या 54 सन् 1959) के उपबंधों के अधीन आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित लाइसेंस या लाइसेंस का नवीनीकरण

पटटा (संख्या 35) के समान शुल्क

एक रूपया

तीस रूपये

लिखतों का वर्णन
को साक्षियत करने वाला दरतावेज-
(क) निम्नलिखित अयुधों से सम्बन्धित लाइसेंस

| (1)रिवल्वर या विस्टल | दो हजार रूपये |
| :--- | :--- |
| (2)राइफल | एक हजार पॉच सौ रूपये |
| (3)डी०बी०बी०एल० (आयुध) | एक हजार रूपये |
| (4)एस०बी०बी०एल० (आयुध) | एक हजार रूपये |
| (5)एम०एल० (आयुध) | दो सौ रूपये |

(ख) आयुध नियग 1962 की तृतीय अनुसूची में दिये गये निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध गोला चारूद से सम्बन्धित लाइसेंस
(1) प्ररूप 11
(2) प्रारुप 12
(3)प्रारूप 13
(4) प्रारूप 14
(ग) निम्नलिखित आयुधों से सम्बन्धित लाइसेंस का नवीकरण-
(1) रिवाल्वर या पिस्टल
(2)राइफल
(3)डी०बी०बी०एल० (अयुध)
(4) एसं०बी०वी०एल० (आयुध)
(5) एमिएल० (आयुध)
(घ) आयुध नियः 1962 की तृतीय अनुसूची में दिए गए निम्नलिखित। प्रपत्रों पर आयुध या गोला बरूद रो सम्बनित लाइसेंस का नवीकरण-
(1) प्रारूप 11
(2) प्रारूप 12
(3)प्रारूप 13
(4) प्रारूप 14

कम्पनी का मैमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन-
(क) यदि कम्पनीज अधिनियन, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 26 के अधीन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएश्न के साथ हो।
(ख) यदि उसके साथ न हो।
छूट
ऐसी किसी रंश्रा का क्लोरेण्डम जो लाभ के लिए न बनायी गयी हों और कम्थनोज अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सऩ 1956) की धारा 26 के अधीन रणिरट्रीकृत हो।
बन्धक पत्र- जां हैः विलेखों के निक्षेप. पष्यम आंगान य। गिरर्वा. सं सम्धन्धित करार (सख़ा 6). बाटमरी वंढ़ं (संख्या 15) फसल का बन्धक (संख्या 42). र्रेंन्डेशिया बांड (संख्या 56) मा जमान तों बांड.

उचित स्टाम्प शुल्क

दस हजार रूपये
दस हजाए रूपये
पॉच हजार रुपये
तीन हजार रूपये

एक सौ रूपये
एक सौ रूपये
एक सौ रूपये
एक सौ रूपये
एक सो रूपपये

तीन हजार रुपये
तीन हजार रूपये
दो हजार रूपये
एक हजार रूपये

पांच सौं रूपये

एक हजार रूपये

जो बन्धक पत्र न हो (संख्या 55), न हो
(क) जब उस पत्र में विहित सम्पत्ति पर. या उसके किसी भाग पर, बनककर्ता ने कब्जा दिया हो या देने पर इकरारं किया हो.
(ख) जब उपरावन्तानुसार कज्जा न दिया गया हो या देनें का इकरार न किया हो।

स्पष्टीकरण ।
जैसे बन्धकरत्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बन्धकित सुग्पत्ति या उसके भाग़ का. भाटक या पट्टाराशि. का .संग्रहण करने के लिए मुख्वारनामा देता है. यह समझी जायेंगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ गें कष्जा देता है।
(ग) उत्यकि कोई सांपाई्विक या सहायक या अतिरिक्ता यां प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप गें जहां कि गूल या प्राथमिक प्रति?
ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 1000 रूपये से अधिक नहीं है.
और 1000 रूपये से अधिक ऐसे प्रत्येक 1000 रूपये या उसके भाग के लिए जो प्रतिभूत हो।

## छूटें

(1) वे लिखां जो लैण्ड इम्प्रूवान्ट लोन्स एक्ट. 1883 (अधिनियग संख्या 19 सन् 1883) या एण्रिकल्वरिस्ट लंन्स एक्ट. 1884 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1884) के अर्धीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा था उसके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे उध्धारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निप्यादित की गई है।
(2) आडमान पत्र्र जो विनिमय पत्र में संलग्न है।

किसी फसल का बन्धक-जिसमें प्रत्येक ऐसा लिखत सम्भिलित है जो ऐसे ऋण की अदागयी को सुरक्षित करने के ऐसे करार को साक्षित कर रहा हो जो किसी फसल को वन्धक रखते हुए किया गयां हो चाहे बन्धक करते समय वह फसल विद्यमान हो या न हो-
(क) जब ऋण लिखत की त'रीख से तीन से अनधिक माह के लिए प्रतिसंदेय हो. प्रत्येक प्रतिभूत धनराशि: के लिए जो 6000 रूपये से अधिक ना हो.
प्रत्येक राशि के लिए 6000 रूपये से उं़िक ग्रिभूल प्रत्येक 6000 रूपये की धनराशि। यं उसके गाग के लिए।
(ख) जब ऋण लिख़ं की तारीख से तीन गाह से अंखिक

उस विलेख द्वारा सुरक्षित राशि के बराबर प्रतिफल के लिए. प्रत्येक एंक हजार रूपये या उसके भाग के लिए बीस रूप्ये उस विलेख द्वारा सुरक्षिते राशि पर, अधिकताम पांच लख रूपये के अधीन रहते हुए. प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके भाग कं लिए पांच रूपये

किंन्तु 18 गास से अनधिक के लिए गाह में संदेय हो और प्रत्येक 100 रूपये या उसके भाग के लिए जो रुपये 3000 क़ी अधिकता में सुरहित किया गया हो।
43. नोटरीय कृत्य- अर्थाते किसी नोटरी पब्लिक द्वांरा अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या विधिक रूप से नोटरी पब्लिक का कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वनाया. या हस्ताक्षरित किया गया कोई लिखत, पृष्ठांकन नोट, प्रमाणीकरण. प्रमाण -पत्र या प्रविष्टि (संख्या 49) जो प्रोटेटेस्ट ग हो।

बिल या नोट का प्रोटेश्ट (संख्या-49) भी देखें
44. नोट या ज्ञापन- उो किसी दलाल का एजेन्ट ध्राे अपने गालिक को यह सूचित। करने के लिए भेजा जाये कि गालिक की ओर से क्रय था विक्रय कर दिया गया है-
(क) काटन के सग्बन्ध में।
(ख) वुलियन. स्पेरीज के सम्बन्ध में।
(ग) तिलहगों के सम्बन्ध में।
(घ) किसी प्रकार के धागे. गैर खनिज गत तेलों या अन्य किन्हीं प्रकार की प्रजातियों के सम्बन्ध में।
(ङ.) पूल्य गें बीस रूपये से अधिक के किंन्हीं अन्य माल के सम्बन्यों।
(च) किसी शेयर. स्क्रिफ्ट. स्टाक. बांड. डिबेंचर. डिबेंचर स्टाक या समतन प्रकृति की अचच विपणन योग्य प्रतिगूति. जो मूल्य में सरकारी प्रतिभूति न होते हुए बीस रू० से अधिक हो. के सग्बन्ध में।
(छ) किसी सरकारी प्रतिभूति के सम्बन्ध में।

## स्पष्टीकरण

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए. इसमें ऊपर निर्दिष्ट स्टाक एस्सचेज का तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1956) की धारा 2 के खण्ड (ञ) में यथा परिभाषित किसी स्टाक एक्सचेंज से हैं।

## लिखतों का वर्णन <br> उचित स्टाम्प शुल्क

## 45. जहाज के मास्टर द्वारा प्रोट्टस्ट का नोट-

जहाज के मास्टर का प्रोटेस्ट (संख्या 50) भी देखे।
ऋण के भुगतान हेतु आदेश - देखें विल ऑफ एक्सचेंज (संख्या-13) गारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची
46. विभाजन- विभाजन का विलेख धारा 2 (सोलह) में यथापरिभाषित

विशेष ध्यान- सग्पत्ति के विभाजन होने के बाद बचा सवसे बडा भाग, (या यदि बराबर मूल्य के दो या अधिक भान हों. तो उन बराबर भागों में से एक) वह भाग भाना जायेग जिससे अन्य भाग पृथक किये गये है।
परन्तु सदा ही-
(क) जब कोई ऐसा विलेख. जिसमें सम्पत्ति को अलग-अलग भागों में विभाजित करने का इकरार निष्पादित किया गया हो और उस इकरार के अनुसरण में विभाजन सम्पन्न किया जायें तो उस विभाजन को कार्यान्वित करने वाले विलेख पर. या. घोषणा या अन्च किसी रूप में. ऐसे विभाजन की शर्तों को लेखबद्ध करने वाले विलेख पर प्रभार्य शुल्क उतना कभ कर दिया जायेगा जितना प्रथम विलेख पर अदा किया गया हो, परन्तु वह दस रूपये से कम न होगा।
(ख) जब भूमि बन्दोबस्ती लगान पर हो तो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए उसका मूल्य-
(एक) वार्षिक मालगुजारी का बीस गुना. और
(दो) जब भूमि पूर्णयता या अंशतः माजलगुजारी की अदायगी से मुक्त हो तो. विभाजन की तारीख से पूर्व. पिछले वर्ष के दौरान भूमि से .प्राप्त शुद्ध लाभ का दस गुना माना जायेगा।
(ग) ज़ब किसी राजस्व अधिकरण या किसी दीवारी न्यायालय द्वारा पारित विभाजन किये जाने का अन्तिम आदेश, या विभाजन निदेशित करने वाला पंच फैसला. विभाजन के विलेख के लिए अपेक्षित स्टास्प से स्टाम्पित हो. और उस आदेश या फैसले के अनुसार विभाजन का विलेख बाद में निष्पादित किया जाये तो ऐसे विलेख के लिए दस रूपये से अधिक न लगेगा।
47. (क) साझेदारी का लिखत-
(क) जब साझेदारी की पूँजी 10.000 रूपरे अनधिक हो।
(ख) अन्य किसी दशा में।

いक. सौ रूपये

वही शुल्क जो 10,000 रूपये पर


लिखतों का वर्णन
को उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित अचल सम्पत्ति कें विक्रय या अन्यथा अन्तरण हेतु
(एक) बिना प्रतिफल
(दो) प्रतिफल सहित
(ज) जब मुख्त्तार आम ऐसे प्रयोजन के लिये बनाया जाय, जो अचल सम्पत्ति के विक्रय या अन्यथा अन्तरण या खण्ड (क) से (छ) में उल्लिखित प्रयोजन से आच्छादित न हो, या एक सौदे में एक या अधिक लिखतों का पंजीकरण कराने के लिए हो अथवा एक या अधिक लिखतों का निष्पादन स्वीकार करने के लिए हो
विशेष ध्यान-शब्द 'रजिस्ट्रीकरण' में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से प्रासंगिक प्रत्येक क्रिया शामिल हैं।

स्पष्टीकरण
इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए एक फर्भ के एक से अधिक व्यक्तियों को एक व्रक्ति माना जायेगा।
प्रागिसरी नोट- देखें भारतीयं स्टाम्प अधिनियम. 1899 की अनुसूची।
49. बिल या नोट का प्रोटेस्ट-अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस पद पर विधिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा बऩायी गयी कोई लिखित घोषणा जिसमें किसी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमेसरी नोट के नकारने को तसदीक किया गया हो।
50. जहाज के मास्टर द्वारा प्रोटेस्ट, अर्थात् हानियों के समायोजन या औसत के आगणन के उददेश्य से तैयार किये गये जहाज की यात्रा के विवऱणों की घोषणा और जहाज के न लादने या न उतारने के लिए चार्टन करने वालों के विरुद्ध की गयी प्रत्येक लिखित घोषणा यदि, वह घोषणा नोटरी पब्लिक, या विधिक रूप से उस पद का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा तस्दीक या प्रमाणित की गयी हो।
प्राक्सी - देखें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची
प्रापियाँ- देखें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची
51. बन्धक की गयी सम्पत्ति का प्रति हस्तान्तरण
(क) यदि वह प्रतिफल जिसके लिए सम्पत्ति बन्धक की गयी थी. 1.000 रू० से अधिक न हो।
(ख) अन्य किसी दशा में।
52. कारोबार का अभिलेख (इलैक्ट्रानिक या अन्यथा) जो

उचित स्टाम्प शुल्क

पांच सौ रूपये
अधिकतम एक हजार रूपये के अधीन रहते हुए लिखत में अंकित प्रतिफल की धनराशि का एक प्रतिशत,
एक सौ रूपये।

प्रति-हस्तान्तरण में व्यक्त प्रतिफल की राशि के लिए हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क)) के समान शुल्क।
1.000 रूपये पर हस्तान्तरण (संख्या 24 खण्ड (क) के समान शुल्क।

धारा 15 में निर्दिष्ट संगम या स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से निजी व्यापारी सदस्य द्वारा प्रभावित हो।
(क) यदि सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित हो
(ख) यदि ऊपर उप खण्ड (क) के अधीन पड़ने वालों से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में. (एक) परिदाय की दशा में.
(दो) परिदाय न होने की दशा में
(तीन) यदि भविप्यकालिक और/या व्यवसाय से सम्बन्धित हो

परन्तु यह कि अनुच्छे़द 52 के अधीन संदत्त शुल्क. अनुच्छेद 5 (ख) के अधीन संदत्त शुल्क के साथ समायोजित की जाएगी. यथास्थिति अनुबन्ध या उसका अभिलेख या अनुबन्ध ज्ञापन, अनुच्छेद 22 , समाशोधन सूची और अनुच्छेद-44 या ज्ञापन।

स्पष्टीकरण
खंड (ख) के प्रयोजनार्थ. प्रतिभूतियों के वही अर्थ होंगे जो सिक्योरिटीज कान्द्रेक्ट (रेगुलेशन) एक्ट. 1956 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1956) गें दिये गये हैं. पद 'व्यवसायी सदस्य का वही अर्थ होगा जो सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (स्टाक ब्रोकर ऐण्ड सब ब्रोकर) रेगुलेशन्स के विनियम 2 (जी—ए) में परिभाषित किया गया है।

- छूट

किसी ब्रोकर या एजेन्ट द्वारा अपने मालिक को उसकी ओर से किये गए किसी सरकारी प्रतिभूति या अंश. स्क्रिप. स्टाक. बांड, डिबेन्चर, डिवेन्चर स्टाक या समान प्रकृति की अन्य बाजार योग्य प्रतिभूति जो किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निक्या की हो, के क्रय-विक्रय को सूचित करते हुए भेजा गया नोट या ज्ञापन, कोई प्रविष्टि के समाशोधन सूची में की जानी हो जो अनुच्छेद 22 में वर्णित हो।
अवमोचन - अर्थात् कोई लिखत जो ऐसा अवमोचन न हो जैसा कि धारा 29 की उपधारा (2) से प्रावधानित हो.
(1) जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या किसी विनिद्धिष्ट राम्पत्ति के प्रति कोई दावा छोड देता हैयदि टावे की राशि या मूल्य दस हजार रूषये से

प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ या उसके भाग हेतु पचास रूपये।

प्रतिभूति के मूल्य के पत्येक दस हजार या उसके भाग के लिये एक रूपया।
प्रत्येक दस हजार या उसके भाग हेतु बीस पैसे।
प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख रूपये या उसके भाग हेतु एक रूपया।

लिखतों का वर्णन
अधिक न हो,
(2) अन्य किसी दशा में

रेस्पोन्डेशिया बांड-अर्थात् किसी जहाज पर लदे माल या लादे जाने वाले माल पर ऋण प्रतिभूत करने वाला और ऋण की वापसी को माल के गन्तव्य बंदरगाह पर पहुंचकर समशश्रित करने वाला लिखत,

निरसन- किंसी ग्याय या व्यवस्थापन का निरसंन (दैंखे-व्यवस्थापन क्रमांक 59) न्यास (क्रमांक 62)
55. प्रतिभूति बाण्ड, जो बन्धक विलेख न हो, -किसी कार्य के यथोचित निष्पादन या उस गाते प्राप्त धन या अन्य सम्प्पति के उत्तरदायित्व के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित बन्धक विलेख था किसी इकरार के यथोचित निष्पादन या किसी दायित्व के यथोचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रंतिभू द्वारा निज्यादित बन्धक विलेख
(क) जब प्रतिभूत धन 100 रूपये से अधिक न हो।
(ख) अन्य किसी दशा में।

> छूट

बांड या अन्य लिखत जिसका निष्पादन-
(क) किसी व्यक्ति द्वारा यह गारन्टी करने के प्रयोजन से किया गया हो कि किसी धर्मार्थ औषधि केन्द्य या चिकित्सालय या अन्य सार्वजनिक हित के अन्य कार्य के लिए निजी चन्दे से. होने वाली आय प्रतिभास एक निश्चित राशि से कम ने होगी।
(ख) भूलि विकास उधार अधिनियम, 1883 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1883) या कृषक उध़ार अधिनियम. 1884 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1884) के अधीन अग्रिम लेने वाले व्यक्तियों यो उनके ज़ानतियों द्वारा उस अग्रिम की वापसी की प्रतिभूति के लिए निष्पादित किया गया हो।
(ग) सरकारीं अफसरों या उनके जमानतियें. द्वारा किसी कार्य का यथोचित निष्पादन या उसके नाते प्राप्त घन या अन्य सम्पत्ति का यथोचित उत्त्रदायित्व सुरक्षित करने के लिए निष्पादित किया गया हो।
56. व्यवस्थापन-

क लिखत (जिसमें. मेंहर का लेख पत्र भी शागिल है)।

उचित स्टाम्प शुल्क
मूल्य के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क
दस हजार रुपये पर बन्धपत्र (संख्या 14) के समनं शुल्क
सुरध्षित ऋण की राशि के लिए बन्धपत्र (संख्या 14) के समान शुल्क

दस रूपये
एक सौ रूपये

व्यवस्थापित सम्प़त्ति की राशि या बाजाए मूल्य के बराबर धजुराशि के लिए वन्धंत्र (संख्या 14) के समान शुल्क।
परन्तु यदि व्यवस्थापन का इकरार उतने स्टाम्प से स्टाभित हो जो व्यवसथापन के लिखत के

# छूट <br> मुसलमानों के बीव विवाह के अवसर पर निष्पादित मेहर का लेख़ ...वश्रा 

न्यास (संख्या 64) गी. देखें।
ख व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण.
57. शेयर वारंट- जो धारक को, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (अधिनयम संख्या 7 सन् 1913) के अधीन जारी किया गया:

## छूट

किसी कंग्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 43 के अनुसार जारी किये गये शेयर वारण्ट- जों उसी दशा में लागू होगा जब स्टाम्प राजस्व के कलेक्टर को, उस शुल्क के समझीते के रूप में-
(क) कम्पनी को अभिदत्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत या
(ख) यदि किसी कम्पनी ने वह शुल्क या समडौते की राशि पूर्णरूपेण अदा कर दी हो. और वह बाद में अपनी अगिदत्त पूंजी में वृद्धि करे. तो अतिरिक्त जारी की गयी पूंजी का डेढ़ प्रतिशत, अदा कर दिया जाये।

## स्क्रिप- देखें प्रमाण-पत्र (क्रमांक 20)

58. जहाजरानी आदेश़. किसी जलयान पर माल ढोने के लिए, या रो सग्वध्धित।
लीज का अभित्याग-

## छूट

लीज का अभित्याग. जब वह लीज शुल्क से मुक्त हो।
60. अन्तरण- (चाहे प्रतिफल से या बिना प्रतिफल के)
(ii) गारतीय रंटम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक-क टेखें
(ख) डिबेंचरों को- जो विक्रय ऋणभत्र हो. चाहे डियेंचग्र

दस रूपये

वही शुल्क जो, 1000 रूपये वे बन्धपत्र (संख्या-14) पर लगतां है या वह शुल्क जो ऐसे पट्टे प प्रभार्य है. इनगें जो भी कम हो :

परन्तु देय शुल्क के दस रूपये के अगले गुणांक प पूर्णाकित किया जायेगा।

वही शुल्क जो सग्बन्धित सम्पत्ति की राशि या मूल्य के बराबर धनराशि के लिए बाण्ड (क्रमांक 14) के सगान शुल्क किन्तु पचास रूपये से अधिक नही।
वारण्ट में निर्दिष्ट शेयरों में अंकित राशि के बराबर प्रत्यंक्ष राशि के लिए सौंप देने से अन्तरणीय डिबेंवर (संख्या 27
(ख)) के समान शुल्क।

लिए चाहिये था और करार के अनुसरण में बाद.में व्यवस्थापन का लिखत निष्पादित किया जाये तो ऐसे लिखत पर शुल्क (दस रूपये) से अधिक न होगा।

लिखतों का वर्णन. छूट उचित स्टाम्प शुल्क

पृष्ठांकन द्वारा अन्तरण-
(क) बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या प्रोमेसरी नोट के सम्बन्ध में.
(ख) बिल ऑफ लेडिंग. माल छुडाई का आदेश, माल का वारंट या गाल पर हक के किसी अन्य व्यावसायिक दस्तावेज के सम्बन्ध में।
(ग) : बीमा पालिसी के सम्बन्ध में,
(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में।
(धारा 8 भी देखें)
61. पट्टा का अन्तरण- अभ्यर्पण के रूप में, न कि शिकभी लीज के रूप में।
(क) जहाँ पट्ट्ट्ट अन्तरण का तात्पर्य तीस वर्ष की अवधि से अनधिक के लिए है।
(ख) जाँँ पट्टा अन्तरण का तात्पर्य तीस वर्ष से अधिक अवधि से या निरन्तरता से हो या उसका तात्पर्य किसी निश्चित अवधि से न हो.

## छूट

उस पट्टा का अन्तरण जो शुल्क से मुक्त हो,
स्पष्टीकरण
नवीकरण अवधि यदि पट्टा में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित हो, को वर्तमान पट्टा अवधि के भाग के रूप में माना जायेगा।
62. न्यास-

क किसी सम्पत्ति की या सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा जो लिखित रूप में की गयी हो और जो वसीयत न हो।
(क) जब मूल्य या राशि 10,000 रूपये से अधिक न.हो।
(ख) जहाँ प्रत्येक्र अतिरिक्त एक हजार रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए ऐसी धनराशि दस हजार रूपये से अधिक हो।

ख किसी सम्पत्ति का. या सम्पत्ति से सग्बन्धित निरसन जो वसीयत से भिन्न किसी लिखत द्वारा किया जाये,

बाण्ड (संख्या 14) के समान
शुल्क
दस हजजार रूपये पर - वह शुल्क जो खण्ड (क) के अधीन संदेय है, और बाकीं पर, प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार या उसके भाग के लिए दस रूपये सम्बन्धित सम्पत्ति की राशि. या मूल्य के बराबर धनराशि के लिए बण्ड (संख्या 14) के समान शुल्क परन्तु 2.000 रू० के बण्ड (संख्या 14) पर देय शुल्क से अधिक नहीं।

अन्तरण के प्रतिफल की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण (क्रमांक 24 खण्ड (क)) के सगान शुल्क। सम्पत्ति के अन्तरण के प्रतिफल या उसके बाजार मूल्य की धनराशि जो भी अधिक हो, के बराबर प्रतिफल परे, हस्तान्तरण (संख्या 24 (खण्ड(क)) के समान शुल्क
-

वकील- स्वरूप प्रविष्ट (संख्या 17) देखें।
63. माल का वारंट- अर्थात् कोई लिखत जिससे उसमें नामित

दस रूपये
किसी व्यक्ति का. या उसके अग्यर्पिती या धारक का. किसी काल में जो किसी गोदी, घाट था गोदाम में रखा हो, हक प्रमाणित होता हों, यदि ऐसा विलेख उस व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से, जिसके तहत. वह माल हो, हस्ताक्षरित या प्रमाणित किया गया हो।
64. कार्य संविदा- जो किसी संविदा के सम्यक् निप्यादन या दाधित्व के सम्यक् निर्वहन को सुनिश्चित करने के निमित्त किसी प्रतिभूति की अनुबद्धता रखने वाले किसी करार के निष्पादन के लिए किया गया है।

न्यूनतम एक सी रूपये और अधिकतम दस लाख रूपये के अध्यधीन ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत धनराशि या उसके मूल्य के सम्बन्ध में प्रत्येक एक हजार रूपये या उसके आंशिक भाग के लिए पांच रूपये।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 जो वर्तमान में प्रचलित है. सूचना प्रौद्योगिकी में आधुनिक विकास और प्रगति की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। इस कारण से ऐसे दस्तावेज. जो उक्त अधिनियम से आच्छादित नहीं होते हैं, उचित स्टाम्प शुल्क का भुगातान किये ख़िना ही रह जाते हैं। नूतन प्रौद्योगिकी और विकास के साथ.साथ चलने के दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश राज्य में स्टाम्प शुल्क से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम. 2008 के नाम. से एक नयी अधिनियमिति बनाने का विनिश्चत किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 पुर:स्थापित किया जाता है।

आज्ञा सें,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution. the Ciovenor is pleased to o publication of the following English translation of the Lttar Pradest Stamp Adhiniyam, 2008 (Utar Pradesh Ad Sankhya 17 of 2010) as passed by the Utar Pradesh L.egislature and assented to by the President on March. 27. 2010:

> No. $526(2) / 79-\mathrm{V}-1-10-1$ (ka) $26 / 2008$
> Dated Lucknour. April 7.2010

THE UTTAR PRADESH STAMP ACT, 2008
[U.P. Act No. 17 of 2010]
(As passed by the (itrar Pradesh Legisharare)
AN
ACT
to consolidate and amend the law relating to stamp duties in the State of Uttar Pradesh IT IS HEREBY enacted in the Fifly-ninth Year of the Republic of India as follows:-

## CHAPTER I

## PRELIMLNARY

```
Shon inle, extcont
und
commmencement
```

Detimitions

1. (1) This Act may by called The Utar Pradesh Stamp Act. 2008.
(2) It exiends to the whole of Utar Pradesh.
(3) It shall come into force on such date as the State Govemment may. by notification. appoim in this behalf and different dates may be fixed for different provisions.
2. In this Act. unless there is anything repugnant in the subject or context.-
(i) "association"- means any association, exchange , organization or body of individuals. whether incorporated or not, established for the purpose of regulating and controlling or conducting business of the sale or purchase of. or making any other transaction relating to. any goods or marketable securities;
(ii) "banker" means an association. a company or a person who accepts for the purpose of lending or investment deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque. draft , payorder or otherwise ;
(iii) "bond"- includes-
(a) any instrument whereby a person obliges himself to pay money to another, on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed. or is not perfomed. as the case may be:
(b) any instrument attested by a witness and not payable to order or bearer: whereby a person obliges himself to pay money to another: and
(c) any instrument so attested. whereby a person obliges himself to deliver grain or other agricultural produce to another.

Explanation: Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force. for the purposes of this clause. "attested" in relation to an instrument means attested by one or more witnesses each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument, or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant or has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark or of the signature of such other person. and each of whom has signed the instrument in the presence of the executant; but it shall not be neccssary
that more than one of the such witnesses shall have been present at the same time, and no particular fom of attestation shall be necessary:
(iv) "Chargeable"- means, as applied to an instrument exccuted. or first executed after the commencement of this ^ct. chargeable under this bill. and. as applied to any other instruments. chargeable under the law in force in the State when such instrument was exccuted or. where several persons executed the instrument at different times. first executed.
(v) "Cliief Controlling Revenuc Authority"- means a member of the Board of Revenue, a Divisional Commissioner or an Additional Divisional Commissioner or an officer of the Stamp Deparment not below the rank of Deputy Commissioner of Stamps and any such officer as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint in this behalf for the whole or any part of the State:
(vi) "Clearance List"- means a list of transactions relating to contracts required to be submitted to the Clearing House of an Association in accordance with the rules or bye-laws of the Association :

Provided that no instrument shall, for the purposes of this Act, be deemed to be a clearance list unless it contains the following declaration signed by the persons dealing in such transactions or on his behall by a properly constituted attorney, namely :-
"I/We hereby solemnly declare that the above list contains a complete and true statement of my/our transactions including crossed out transactions and transactions required to be submitted to the clearing house in accordance with the rules/bye laws of the Association. I/We further declare that no transaction, for which an exemption is claimed under clause (b) of Article 5 (Agreement or its records or memorandum of an agreement) or Article 44 (Nole or Memorandum) of the Schedule of this Act, as the case may bc, is omitted."

Explanation: Transaction for the purpose of this clause shall include both sale and purchase.
(vii) "Collector"- means the Chief Officer in-charge of Revenue Administration of a District and includes any officer whom the State Government may, by notification in the Gazette appoint in this behalf; and on whom any or all the powers of the Collector exercisable under this bill are conferred either by such notification or by any other like notification.
(viii) "Conveyance" includes-
(a) conveyance on sale, or
(b) every instrument. or
(c) every decree or final order of any Civil or Revenue Court,
(d) every order made by the High Court under section 394 of the Companies Act. 1956 (Act no. 1 of 1956) in respect of the amalgamation or reconstruction of Companies. or
(e) every order made by the Reserve Bank of India under section 44A of the Banking Regulation Act. 1949 (Act no. 10 of 1949) in respect of the amalgamation or reconstruction of banking companies,
(f) transfer of share by co-operative housing societies in immovable property of an existing member of such society in favour of an incoming person by means of issuance of new share certificate or by endorsement on the share certificate of the existing member in favour of the incoming person.
by which property whether movable or immovable is transferred to. or vested in. any other person. inter wios. and which is not otherwise specifically provided for by the Schedule.

Explanation - Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this bill or any other law for the time being in force. the following instruments shall, for the purpose of this clause. be deemed to be an instrument by which property is transferred inter viros -
(i) An instrument whereby a co-owner, of a property having defined share therein, transfers such share or pan thereof to another co-owner of the property; or
(ii) An instrument whereby a partner transfers his share in the property of the partnership business to another partner or to other parners whether separately or together with the transfer of other business or assets on retirement or dissolution, or whereby he contributes to the capital of partnership firm by transferring his right and title to, or interest in any property: or
(iii) An. instrument whereby the property of an incorporated company or body corporate is transferred by transfer of its equity shares to another incorporated company or body corporate, or a person or a group of persons.
(ix) "Duly stamped"- as applied to an instrument, means that the instrument bears an adhesive or impressed stamp of not less than the proper amount and that such stamp has been affixed or used in accordance with the law for the time being in force in the State.
(x) "Executed" and "execution" - used with reference to instruments. mean "signed" and "signature".

Explanation- The terms "signed" and "signature" also include attribution of electronic record as provided under section 11 of the Information Technology Act. 2000, (Act no. 21 of 2000)
(xi)"Government Security" means a Government Security as defined in the Public Debt Act, 1944, (Act no. 18 of 1944);
(xii) "Immovable Property" includes land, buildings, hereditary allowances, right of way, lights, ferries. fisheries, or any other benefit arising out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth but does not include standing timber. growing crops or grass. fruit upon or juice in trees. or beneficial interest of a beneficiary in a trust property.
(xiii) "lmpressed stamp."- includes-
(a) labels affixed and impressed by the proper officer, and
(b) stamps embossed and engraved on stamped paper.
(c) impression by franking machine, e-stampin $g$ or any other such machine as the State Government may by notific ation in the Gazette specify, or
(d) any mark, seal or endorsement by any ag ;ency or person duly authorized by the State Government by notification ; in the Gazette .
(xiv)"Instrument"- includes every document , and record created or maintained in or by an electronic storage and retr ieval device, media or electronic record. as defined in clause (t) of sub-sectic $n(1)$ of section 2 of the Information Technology: Act, $2000^{3}$ (Act no. 21 of $2(300$ ); by which any right or liability is. or purports to be, created, transferred. I imited extended. vested, extinguished or recorded; but; does not include a $\dagger$ jill of exchange. cheque, promissory note, bill of lading, letter of credit, polic :y of insurance, transfer of share, debenture; proxy and receipt.
( $\mathbf{x x}$ ) " "Instrument of Gift"'-- includes an inst rument whether by way of declaration:or otherwise; for making or accepting ; an oral gift.
(xvi)"Instrumenti of partition"- means a ny instrument whereby coowners of any property divide on agree to divid ie such property in severalty, and also includes,-:
(a) a final order for effecting a parti tion passed by any Revenue Authority, or any Civili Court;
(b) an awand by/an arbitrator directing : i partition; and
(c) when any partition is effectec! without executing any such imstrument any instrument or instrume nts, signed by the co-owners and recording, whether by way of declaration of such partition or otherwise. the terms: of such partition amongst the : co-owners.
(xvii)"Lease"- means a lease of mc vable or immovable property, and includes -
(a) a patta;
(b) a kabuliyat or other undertaking in writing, not being a counterpart of a lease, to cultivate, occupy or pay or deliver rent for immovable property;
(c) any instrument by which tolls of any description are let;
(d) any writing on an application for a lease intended to signify that the application is granted;
(e) any instrument by which mining lease is granted in respect of minor minerals as defined in clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, (Act no. 67 of 1957),
(f) a decree or final order of any Civil or Revenue Court in respect of a lease:
(xviii) "Marketable security"- means a security of such a description as to be capable of being sold in any stock market in India.
(xix) "Market value" Market value of property means the value as determined on the basis of the rates fixed by the Collector or the consideration as set forth in the instrument. whichever is higher.

For "Market value of shares" see Explanation (2) to Article 24(e).
(xx) "Mortgage-deed"- includes every instrument whereby, for the purpose of securing money advanced. or to be advanced, by way of loan, or an existing or future debt, or the performance of an engagement, one person transfers or creates to, or in favour of, another, a right over or in respect of specified property;
(xxi) "Paper"- includes vellum, parchment or any other material on which an instrument may be written.
(xxii) "Power-of-attorney" - includes any instrument (not chargeable with a fee under the law relating to court-fees for the time being in force) empowering a specific person to act for and in the name of the person executing it.
(xxiii) "Public Officer"- incans a Public Ofticer as defined in clause (17) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) and includes every officer working in connection with the affairs of any of the following organizations, namely;-
(a) any statutory body or authority constituted under any Utar Pradesh Act:
(b) a "Financing Bank" or "Central Bank" as defined in clause (k) of Section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965(Act no. 11 of 1966);
(xxiv) "Settlement"- means any non-testamentary disposition in writing, of movable or immovable property made,-
(a) in consideration of marriage;
(b) for the purpose of distributing property of the settler among his family, or those for whom he desires to provide. or for the purpose of providing for some person dependent on him: or
(c) for any religious or charitable purpose:
and includes an agreement in writing to make such a disposition, and. where any such disposition has not been made in writing, any instrument recording, whetler by way of declaration of trust or otherwise, the terms of any such disposition.
( $x \times y$ ) "Schedule"- means the Schedule appended to this Act.
(rxvi) "Soldier"- includes any person below the rank of noncommissioned officer, who is earolled under the Army Act, 1950 (Act no. 46 of 1950 ).
(xxvii) "Stamp"- means any nark, seal or endorsement by any agency or persen duly authorised by the Strie Govemment and includes an adhesive or impre-sed siamp, for tie pu-pose of duty chargeable under this Act. "
(axviii) The expressions "Cormon roll" and "State Roll" shall have the meare iss assigned to them in the sdvocates Act, 1961 (Act no. 25 of 1961).
i $\cdot \cdots i x$ ) The words and expressions not defined in this bill but defined in the Indian Stant Ac! 1890 (A.c: -0.2 of 1899) shall have the meaning
assigned to them in the said Act of 1899.

## CHAPTER II

## STAMP-DUTIES

## A - OF THE LIABILITY OF INSTRUMENTS TO DUTY.

3 - Subject to the provisions of this bill and the exemptions contained in the Schedule, the following instruments shall be chargeable with duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefor. respectively, that is to say-

Instruments chargcable with duty
(a) every instrument mentioned in the Schedule which. not having been previously executed by any person. is executed in the State on or after the date of the commencement of this Act,
(b) every instrument (other than a bill of exchange or promissory note) mentioned in the Schedule, which, not having been previously exccuted by any person, is executed out of the State under section 23:

Provided that expect as otherwise expressly provided in this Act. and notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b) of this section or in the Schedule. the following instruments shall. subject to the exemptions contained in the Schedule, be chargeable with duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefor, respectively, that is to say - .
(a) every instrument mentioned in the Schedule . which, not having been previously executed by aṇy person was executed in Uttar Pradesh :
(i) 'in the case of instruments mentioned in the Schedule, on or after the date on which the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act. 1948. came into force; and
(ii) in the case of instruments mentioned in the Schedule, on or after the date on which the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952, comes into force:
(b) every instrument, mentioned in the Schedule . which. not having been previously executed by any person, was exccuted out of Uttar Pradesh,-
(i) in the case of instruments mentioned in the Schedule, on or after the date on which the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act. 1948. came into force: and
(ii) in the case of instruments mentioncd in the Schedule on or after the date on which the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act. 1952 comes into force, and relates to any property situated. or to any matter or thing done or to be done in Uttar Pradesh, and is received in Uttar Pradesh :

Provided also that no duty shall be chargeable in respect of:
(1) any instrument executed by. or on behalf of, or in favour of the Government, in cases where, but for this exemption, the Govermment would be liable to pay the duty chargeable in respect of such instrument;
(2) any instrument for the sale, transfer or other disposition, either absolutely, or by way of mortgage, or otherwise, of any ship or vessel, or any part, interest, share or property of, or in any ship or vessel registered under the Merchant Shipping Act, 1958 (Act no.. 44 of 1958). or under

Bombay Coasting Vessels Act. 1838 (Act XIX of 1838). or the Indian Registration of Ships Act. 1841(Act no. X of 1841), as amended by subsequent Acts.
(3) any instrument executed by or on behalf of or in favour of, the developer, or unit or in connection with the carrying out of purposes of a Special Economic Zone.

## Explanation

(1) For the purposes of this clause the expressions "developer", "special cconomic zone" and "unit" shall have meaning respectively assigned to them in clause (g). (za), and (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act. 2005 (Act no. 28 of 2005).
(2) Where the amount of duty prescribed in the Schedule contains any fraction of a ten rupee, the proper duty shall be an amount rounded of to the next higher multiple of ten rupce. as hereinafter appearing in the said Schedule.

Severil
instrumembe used in any single transactuon

Instrument relating to severel distinct matters

## Insiruments

 coming withinseveral
descriplions in the Sihedule

Payment of the Utar Pradesh stamp duty on copic:. counictparss of duplicalcs. when that duty has not been pited on the prancipat or arigenal instrument
4. Where several instruments are employed for completing any single transaction. the principal instrument only shall be chargeable with the duty prescribed in the Schedule for the same and each of the other instruments shall be chargeable with a duty of one hundred rupees instead of the duty (if any) prescribed for it in that Schedule;
(1) The parties may determine for themselves. which of the instruments so employed shall. for the purposes of sub-section (1), be deemed to be the principal instrument:

Provided that the duty chargeable on the instrument so determined, shatl be the highest duty which would be chargeable in respect of any of the said insuruments: employed.
5. Any instrument comprising or relating to several distinct matters shall be chargeable with the aggregate amount of the duties with which sepparate instruments. each comprising or relating to one of such matters, would be chargeable under this Act.
6. Subject to the provisions of section 5 . an instrument so framed as to come within two or more of the descriptions in the Schedute shall, where the duties chargeable thereunder are different. be chargeable only with the highest of such duties:

Provided that nothing in this bill contained shall render chargeable with duty exceeding fifty rupees. a counterpart or duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid unless it falls within the provisions of scction 7.
7. (1) Notwithstanding anything contained in section 4 or 6 , or any other law, uniess it is proved that the duty chargeable under this Act has been paid.-
(a) on the principal or original instrument, as the case may be. or
(b) in accordance with the provisions of this section;
the duty chargeable on any one of the several instruments employed for completing a transaction. other than the principal instrument. or on a counterpar. duplicate or copy of any instrument shall. if the principal or original insirument would. when received in Uttar Pradesh. have been chargeable under this Act. with a higher rate of duty, be the duty with which
the principa! or original instrument would have been chargeable under section 24.
(2) Where any instrument is registered in any par of India other than Uttar Pradesh and the instrument relates wholly or partly to any property situated in Utiar Pradesh. the copy of such instrumen shall, when received in Uttar Pradesh. be liable to be charged with the difference of stamp duty as on the original under section 24 to the extent of and in proportion to the consideration or value of the property situated in Utar Pradesh. and the party liable to pay the stamp duty on the original instrument shall. upon receipt of notice from the registering officer pay the difference in duty within in the time allowed.
(3) Notwithstanding, anything contained in any other law. no instrument. counterpart. duplicate or copy chargeable with duty under this section shall be received in evidence as properly stamped unless the duty chargeable under this section has been paid thereon

Provided that a Court before which any such instrument, counterpart, duplicate or copy is produced, may, in its discretion, permit the duty chargeable under this section to be paid thereon, and may then receive it in evidence
8. (1) Notwithstanding anything contained in this bill. any local authority raising a loan under the provisions of the Local Authorities Loan Act, 1914 (Act no. 9 of 1914). or of any other law for the time being ir .wice. by the issue of bonds. or securitics nther than debentures, shall. ar respect of such loan. be chargeable with a duty of two per centum on the total amount of the bonds or securities issued by it. and such bonds or securities nced not be stamped and shall not be chargcable with any further duty on renewal, consolidation, sub-division or otherwise.
(2) The provisions of sub-section (1). exempting certain bonds or securities from being stamped and from being chargeable with certain further duty, shall apply to the bonds or securities other than debentures of all outstanding loans of the kind mentioned therein, and all such bonds, or securities shall be valid. whether the same are stamped or not:
(3) In the case of willful neglect to pay the duty required by this section, the local authority shall be liable to forfeit to the State Government a sum equal to ten per centum upon the amount of duty payable, and a like penalty for every month after the first month during which the neglect continues.
9. (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this bill or any other law for the time being in force,-
(a) an issuer, by the issue of securities to one or more depositories shall. in respect of such issue. be chargeable with duty on the total amount of security. issued by it and such securities need not be stamped;
(b) where an issuer issues certificate of security under sub-section (3) of section 14 of the Depositories Act, 1996 (Act no. 22 of 1996)on such certificate duty shall be payable as is payabic on the issue of duplicate certificate under this Act:
(c) transfer of -
(i) registered ownership of securities from a person to a depository or from a depostory to a beneficial owner.
(ii) beneficial ownership of securities, dealt by a depository:

Bonds. debentures or other securities ssued on loant:

Securities deali in depository not liable to stamp duty
(iii) beneficial ownership of tmits. such unis being units of: mutual fund including units of the Unit Trust of inda established unde: sub-section (1) of section 3 of the Unit Trust of India Act, 1963 (Act no. 52 of 1963) dealt with a depository.
shall not be liable to duty under this bill or any other law for the time being in force.

Explanation-1. For the purposes of this section. the expression "beneficial ownership" - "depository" and "issuer" shall have the same meanings respectively assigned to them in clauses (a). (e) and (f) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act. 1996 (Act no. 22 of 1996 ).

Explanation 2. For the purposes of this section. the expression, "securities" shall have the meaning assigned to it in clause (h) of sub-section (2) of section 2 of the Securitics Contracts (Regulation) Act, 1956 (Act no. 42 of 1956).

Comporatisation ;and idemutualization Schemes and related instruments not liable to duty

## Negotiable

warchouse receipls not liable to stamp duly

Power to reduce. remit or compound duties
10. Notwithstanding anything contained in any other provision of the this bill or any other law for the time being in force,-
(a) a scheme for corporatisation or demutualization, or both of a recognized stock exchange: or
(b) any instrument, including an instrument of or relating to, transfer of any property, business, assel. whether movable or immovable, contracl, right. liability and obligation. for the purpose of. or in connection with. the corporatisation or demutualization or both of a recognized stock exchange pursuant to a scheme.
as approved by the Securities and Exchange Board of India under subsection(2) of section 4B of the Securities Contracts (Regulation) Act. 1956 (Act no. 42 of 1956) shall not be liable to duty under this bill or any other lau. for the time being in force.

Explanation. For the purposes of this section-
(a) The expressions "Corporatisations" "demutualization" and "scheme" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (aa). (ab) and (ga) of section 2 of. the Securities Contracts (Regulation) Act. 1956 (Act no. 42 of 1956)
(b) "Securities and Exchange Board of India" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act. 1992 (Act no. 15 of 1992).
11. Notwithstanding anything contained in this bill, negotiable warchouse receipts, shall not be liable to stamp duty.
12. (1) Where the State Government is satisfied that it is necessary so io do in public interest, it may by rule or order published in the Gazette :
(a) reduce or remit. whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the State the duties with which any instrument or any particular class of instruments. or any of the instruments belonging to such class. or any instruments when executed by or in favor of any particular class of persons. or by, or in favour of any members of such class, are chargeable: and
(b) provide for the composition or consolidation of duties in the cas. : issues by any incorporated company or ohter body comporate or 0 : transfers (where there is a single transferee, whether incorporated or not of bonds or other marketable securities other than debentures:

Provided that the State Govermment shall have the power to impose conditions while remitting or reducing stamp dury:

Provided further that in the case of breach of the conditions imposed in we rule or order to reduce or remit stamp duty, the Collector shall have It. power to recover the stamp duty so remitted or reduced along with an interest of one percent for every month or part thereof from the datc of execution of the instrument on which stamp duty has been so remitted or reduced after giving a proper opportunity of hearing to the party concerned.

## B - OF STAMPS AND THE MÖDE OF USING THEM.

13. (i) Except as otherwise expressly provided in this bill, all duties with which any instruments are chargeable shall be paid, and such payment shall be indicated on such instruments by means of stamps.-
(a) according to the provisions herein contained; or
(b) where in any case no such provision is applicable thereto in accordance with the rules made by the State Government
(2) The rules made under sub-section (1) may, among other matters, provide for regulating-
(a) the description of stamps which may be used in the case of cach kind of instrument,
(b) the numbers of stamps which may be used in the case of instruments stamped with impressed stamps.

- (3) Subject to the rules made under sub-section (1). the State Govermmem in this behalf, may authorize any person, bedy or organization including Poṣt offices or Banks or any other limancial institution to use machines for franking impression of stamps. e-stamping. mark, seal or endorsement indicating the payment of stamp duty on the instruments.

14. (1) Notwithstanding anything contained in section 13 , the stamp dury payable on an instrument may also be paid in cash or ty demand draft or by pay order by challan in the banking treasury or the treasury. countersigned by an officer empowered by the State Government by nc::fication in this behalf. The officer so empowered on production of such challan and after due verification that the duty has been paid, certify in such manner as may be prescribed by endorsement on the instrument of the amount of duty so paid.
(2) An endorsement made on any instrument under sub-section (1) shall have the same effect as if the duty of an amount equal to the amount stated in the endorsement has been paid in respect thereof and such payment has been indicated on such instrument by means of stamps in accordance with the requirements of section 13.
Explanation: For the purposes of this sub-section. the expressions, "demand drat" or by "pay order" means the demand draft or pay order issued by the State Bank of india constituted under the State Bank of India Act, 1955. (Act, 10. 23 of 1955) or a

1"aymunt ot stimp du! by cash by demend dati or by paiy arjer in certain cases

Conreqonding new bank conthuted under section ; of the Banking Companies . Wquisition and Transfer of Undertaking) Act. 1970 (Act no. 5 of 1970) or under ection 3 of the Banking Compinic: (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act. 1980 (Act no. 40 of 1080 ). or any other bank being a scheduled Bank as defined in chause (c) of section 2 of the Reseree Bank of India Act. 1934 (Act att, of 1934).


## us of adhesic

stamps.
t.a ksit. :umol


Instrumants stampat with impressed xtimps how tobe writern
Onh Gue H1strathent to mb

15. Notwithstandurg anything contained in this Act. It the case of transactions through Stock Fxchange or an Association as defmed m clatse (a) of section (2) of the Fonward (Ommacts (Reguiation) Act, 1952. (Act no.7.; wi 1952), the Stack Exchange or as the casi may be the Association. shall collect the the stamp duty by deducting the sime tron the Trading Members account a the time of settement of such transactions. The stamp duty so collected shall be transferred to the proper Head of Account in any Government Treasury/Sub-Treasury or Government Business Branch of the State 13ank of India or any other bank authorized by the State Government for this purposc: and in the manner specified by Commissioner of Stamps.

Explanation- for the purposes of this section. "stock exchange" nicans the stock Exchange as defined in clituse (j) of sub-section (2) of the Secantios Contrat (Regulation) Act, 1956 (Act nu. 42 of 1956). namely: -
(a) cerrificate of enrolinem under section 22 of the Advocates Act. 1961 (Act no. 25 of 1961), isutud by the State Bar Council of Utlar Pradesh:
(b) notarial acts: and
(c) transfers by endersemen of shares in any incorporated compatiy or other body corporate.
17. (1) Whoewer isfixes any adhesive stamp to any instrument chargeable with duty which has beon executed by any person shall. when affixing such stamp. cancel the stamp so that it camot be used again.
(2) Whoever exceutes any instrument on any paper bearing an adhesive stamp shall. at the time of cxecution. unless such stamp has been already cancelled in manner aforesaid. cancel the same so that it cammot be used again.
(3) Any insirument bearing an adhesive stamp which has not been cancelled so that it camot be used again, shall. so far as such stamp is concerned. be deemed in be unstanped.
(4) The person required by sub-section (1) or sub-section (2) to cancel an adhesive stamp may cancel it by writing on or across the stamp his name or initials or the name or initials of his firm with the true date of his so writing or in any other effectual manner.
18. Every instrument written upon paper stamped with an impressed stamp shall be written in such manner that the stamp may appcar on the face of the instrumem and cannot be used for or applied io any other instrument.
19. No second instrumem chargeable with duty shall be written upon a piece of samped paper upon which an insirument chargeable with duty, has already been whter:

Prowned that nothing in thrs section shall : . ent any endersement, which :s
duly stamped, or is not chargeable with duty, being made upon any instrument for the purpose of transferring any right created or evidenced thereby, or of acknowledging the receipt of any money or goods, the payment or delivery of which is secured thereby.
20. Every instrument written in contravention of section 18 or section 19 shall be deemed to be unstamped.
21. Where the duty with which an instrument is chargeable or its exemption from duty, depends in any manner upon the duty actually paid in respect of another instrument, whether registered or not under the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908), the payment of such last mentioned duty shall. if application is made in writing to the Collector for that purpose, and on production of both the instruments, be denoted upon such first mentioned instrument. by endorsement under the hand of the Collector, or in such manner (if any) as the State Government may by rule prescribe.

## C- OF THE TIME OF STAMPING INSTRUMENTS

22. All instruments chargeable with duty and executed by any person in the State shall be stamped before or at the time of execution.
23. (1) Every instrument chargeable with dhiy, executed only out of Uttar Pradesh and not being a bill of exchange or promissory note, may be stamped within three months after it has been first received in Uttar Pradesh.
(2) Where any such instrument cannot. with reference to the description of stamp prescribed therefor be duly stamped by a private person, it may be taken within the said period of three months to the Collector, who shall stamp the same, in such manner as the State Government may, by rule prescribe, with a stamp of such value as the person so taking such instrument may require and pay for.
24. Where any instrument has become chargeable in any of the States, other than the Uttar Pradesh, with duty under this bill, or any other law for the time being in force, in any of such States, and thereafter becomes chargeable with a higher rate of duty in Uttar Pradesh under clause (b) of the first proviso to section 3, then -
(i) notwithstanding anything contained in the first proviso to section 3, the amount of duty chargeable on such instrument shall be the amount chargeable on it under the Schedule. less the amount of duty, if any, already paid on it in such States: and
(ii) in addition to the stamps, if any, already affixed thereto, such instrument shall be stamped with the stamps necessary for payment of the amount of duty chargeable on it under clause (i) in the same manner and at the same time and by the same persons as though such instrument were an instrument received in the States for the first time, at the time, when it became chargeable with the higher duty.

## D-OF VALUATION FOR DUTY

25. (1) Where an instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any money expressed in any currency other than of India, such duty shall be calculated on the value of such money in the currency of India according to the current rate of exchange on the day of the date of the instrumen.
(2) The rate of exchange for conversion of British or any foreign currency

Instrument writlen contiary to section 18 or section 19 deemed unstamped Denoting duty

Instruments executed in the Stale

Instruments. other than bills and notes executed out of Utar Pradesh

Payment of duty on instruments liable to be increased duty in Utar Piadesh under clause (b) and clause (d) of section 3

Conversion at amount expressed in forsign cunvencies
into the currency of India prescribed under sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) shall be deemed to be the current rate for the purpose of sub-section (i).

Surck and matketahle securities - hew to be valued

Effect of statement of rate of exchange or average price

## Instruments

 rescrving interest
## Cenuin

instrumerns
ronncted with
nomperyes of marketable sccuritios in be chargeable as aqraments

How hansfer in consideration of debt, of subject to luture payment etc. in be charged - 26. Where an instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any stock or of any marketable or other security. such duty shall be calculated on the value of such stock or security according to the average price or the value thereof on the day of the date of the instrument.
27. Where an instrument contains a statement of current rate of exchange, or average price as the case may require. and is stamped in accordance with such statement, it shall, so far as regards the subject matter of such statement, be presumed, until the contrary is proved, to be duly stamped.
28. Where interest is expressly made payable by the terms of an instrument, such instrument shall not be chargeable with duty higher than that with which it would have been chargeable had no mention of interest been made therein.
29. (1) Where an instrument (not being a promissory note or bill of exchange)-
(a) is givell upon the occasion of the deposit of any marketable security by way of security for money advanced. or to be advanced by way of loan. or for an existing or future debt. or
(b) makes redeemable or qualifies a duly stamped transfer, intended as a security. of any marketable security.
it shall be chargeable wilh duty as if it were an agreement or its records or memorandum of an agreement chargeable with duty under clause (h) of Avicle no. 5 of the Schedule.
(2) A release or discharge of any such instrument shall only be chargeabie with like duly.
30. Where any propeny is transferred 10 any person in consideration wholly. or in part, of any debt due to him. or subject either certainly or conditionally to the payment or transfer of any money or stock. whether being or constituting a charge or encumbrance upon the property or not, such debt, money or stock shall be deemed io be the whole or part, as the case may be. of the consideration in respect whereof the transfer is chargeable with ad valorem duty:

Provided that nothing in this section shall apply to any such certificate of sale as is mentioned in Article No. 18 of the Schedule.

Explanation: In the case of a sale of property subject to mortgage or other encumbrance, any unpaid mortgage money or moncy together with the interest (if any) due on the same. shall be deemed to be pan of the consideration for the sale:

Provided that where any property subject to a mortgage is transferred of the mortgagee, he shall be entitled to deduct from the duty payable on the transfer. the amount of any duly already paid in respect of the mortgage.

## Mustrations

(1) A owes B Rs. 1000 . A sells property io $B$, the consideration beng Rs. 500 and the release of the previous debt of Rs. 1000 . Stamp duty is payable on Rs. 1300 .
(2) A sells a propenty to B for Rs. 500 , which is subject to a mortgage to C for .

Rs. 1000 and unpaid interest Rs.200. Stamp duty is payabie on Rs. 1700 .
(3) A mortgaged a house of the value of Rs. 10000 to B for Rs. 5000 B afterwards buys the house from A. Stamp.duty is payable on Rs. 10000 less the amount of stamp duty already paid for the mortgage.
31. Where an instrument is executed to secure the payment of an anmity, or other sum payable periodically, or where the consideration for a conveyance is an annuity, or other sum payable periodically, the amount secured by such instrument or the consideration for such conveyance, as the case may be. shall, for the purposes of . this Act, be deemed to bc-
(a) where the sum is payable for a definite period so that the total amount to be paid can be previously ascerained such total amount ;
(b) where the sum is payable in perpetuity, or for an indefinite time, not terminable with any life in being at the date of such instrument, or conveyance- the total amount which according to the terms of such instrument or conveyance, will or may be payable during the period of nwenty years calculated from the date on which the first paynient becomes due: and
(c) where the sum is payable for an indefinte time terminating wath any. life in being at the date of such instrument, or conveyance- the maximum amount which will or may be pavable as aforesaid. during the period of twelve years calculated from the date on which the first payment becomes due.
32. Where the amount or value of the subject matier of any instrument, chargcable with ad valorem duty cannot be, or in the case of an instrument executedbefore the commencement of this Act, could not have been ascertained at the date of its execution or first cxẹcution, nothing will be claimable under such instrument more than the highest amount or value for which. if stated in an instrument of the same description. the stamp actually used. would at the date of such execution. have been. sufficient:

Provided that in the case of the lease of a mine, in which royalty, or a share of the produce is received as the rent, or part of rent, it shall be sufficient to have estimated such royalty or the value of such share, for the purposes of stamp duty:-
(a) when the lease has been granted by, or on behalf of the Government. at such amount or value, as the Collector may, having regard to all the circumstances of the case, have estimated as likely to be payable by way of royaliy or shate to the Govermment under the lease;
(b) when the lease has been granted by any other person. at twenty thousand rupees a year.
and the whole amount of such royalty or share. whatever it may be. shall be clamable under such lease:
Provided also that. where proceedings liave been taken in resped of an instrument under section 37 or 46 . the amount certified by the Collector shall be decmed to be the stamp actually used at the date of execution.
33. (:) The consideration (if any) and all other facts and circumstances affecting the chargeability of any mstrument with dut; of the amount of the duty with whech in en chargeabie. shatl be fully and truly set forth therem.
(2) In the case of instruments reiating to immoralis property. chargeable

Stamp whers valuc of subjo: mater is indetemmana:

Facts al Fevnnt: duty to be ser (atit) (1) mstrume่า
with an ad valorem duty on the value of the property, and not on the value set forth. the instrument shall fully and truly set forth the annual land revenue in the case of revenue paying land, the annual rental or gross assets. if any, in the case of other immovable property, the local rates Municipal or other taxes. if any, to which such property may be subject. and any other particulars. which may be prescribed by rules made under this ' Act .

Ditexton ats th dety ill canco ot certan conveyatace
34. (1) When any property has been contracted to be sold for one consideration for the whole, and is conveyed to the purchaser in separate parts by different instruments, the consideration shall be apportioned in such manner as the parties think fit, provided that a distinct consideration for each separate part is set forth in the conveyance relating thereto and such conveyance shall. be chargeable with ad valorem duty in respect of such distinct consideration or the market value of such separate part of the property, whichever is higher.
(2) Where property contracted to be purchased for one consideration for the whole, by two or more persons jointly, or by any person for himself and others, or wholly for others, is conveyed in parts by separate instruments to the persons by or for whom the same was purchased, for distinct parts of the consideration, the conveyance of each separate part shall be chargeable with ad valorem duty in respect of the distinct part of the consideration therein specified or the market value of the property, whichever is higher.
(3) Where a person, having contracted for the purchase of any property but not having obtained a conveyance thereof, contracts to sell the same to any other person and the property is in consequence conveyed immediately to the sub-purchaser. the conveyance shall be chargeable with ad valorem duty in respect of the consideration for the sale by the original purchaser to the sub-purchaser or the marke: value of the property, whichever is higher.
(4) Where a person, having contracted for the purchase of any property. but not having obtained a conveyance thereof, contracts to sell the whole, or any part thereof, to any other person or persons, and the property is in consequence conveyed by the original seller to different persons in parts. the conveyance of each part sold to a sub-purchașer shall be chargeable with ad valorem duty in Tespect only of the consideration paid by such sub-purchaser or the market value of the property. whichever is higher, without regard to the amount or value of the original consideration; and the conveyance of the residue (if any) of such property to the original purchaser shall be chargeable with ad valorem duty in respect only of the excess of the original consideration over the aggregate of the considerations paid by the sub-purchaser or the market value of the property. whichever is higher:

Provided that the duty on such last-mentioned conveyance shall in no case be less than one hundred rupees.
(5) Where a sub-purchaser takes an actual conveyance of the interest of the person immediately selling to him. which is chargeable with ad vulorem duly in respect of the consideration paid by him or the market value of the property, whichever is higher and is duly stamped accordingly, any conveyance to be afterwards made to him of the same property by the original seller shall be chargeable with a duty equal to that when would be chargeable on a conveyance for the consideration obtained by such original setler, or where such duty weuld exceed one hundred rupecs. wati a duty of onc hundred rupees.

## E-DUTY BY WHOM PAYABLE

35. In the absence of an agreement to the contrary, the expense of providing the proper stamp shall be borne :

Duty by whom payable
(a) in the case of any instrument described in any of the following Articles of the Schedule, namely.-

No. 2. (Administration Bond):
No. 6. (Agreement relating to Deposit of Title-deeds. Pawn. Hypothecation or Pledge).
No. 14. (Bond).
No. 15. (Bottomary Bond),
No. 27. (Customs Bond),
No. 31. (Further Charge).
No. 33. (Indemnity-bond).
No. 41. (Mortgage-deed).
No. 44: (Note or memorandum),
No. 53. (Release),
No. 54. (Respondentia Bond),
No. 55. (Security Bond•not being a Mortgage-dced),
No. 56. (Settlement),
No. 60 (a). (Transfer of shares in an incorporated company or other corporate).

No. 60 (b). (Transfer of debentures, being marketable securities. whether the debenture is liable to duty or not. except debentures provided by Section 8.

No. 60 (c). (Transfer of any interest secured by a bond, mortgage-deed or policy of insurance).
by the person drawing, making or executing such instrument:
(b) in the case of a conveyance (including a re-conveyance of mortgaged property) - by the grantee: in the case of a lease or agreement to lease - by the lessee or intended lessce:
(c) In the case of transfer of one company to another under the order of the High Court under section 394 of the Companies Act. 1956 (Act no.l of 1956), the stamp duty shall be bome by the company which is acquiring or re-constructing the assets and liabilities under sub-clause (d) of clause (viii) of section 2 :
(d) in the case of acquisition of one bank by another bank under the provisions of section 44-A of the Banking Companies Act. 1949 (Act no. 46 of 1949). the stamp duty shall be borne by the bank which is acquiring or re-constructing the other bank under sub-clause (e) of clause (viii) of section 2:
(c) in the case of transfer of property by any incorporated company or body corporate by the transfer of equity shares to another company or body
corporate, the stamp duty shall be bome by the transferce company which is acquiring under explanation (iii) of clause (viii) of section 2 :
(f) in the case of a counterpart of a lease - by the lessor:
(g) in the case of an instrument of exchange - by the parties in equal shares:
(h) in the case of a cerificate of sale - by the purchaser of the property to which such certificate relates;
(i) in the case of an instrument of Gift - by the donce : and
(i) in the case of an instrument of partition - by the partics thereto in proportion to their respective shares in the whole property partitioned. or. when the partition is made in execution of an order passed by a Revenue Authority or in Civil Court or an Arbitator, in such proportion as such Authority. Court or an Arbitrator directs.

## CHAPTER-III

## ADJUDICATION AS TO STAMPS

 proper stion

Cinlicatco ty

36. (1) When any instrument whether exccuted or not and whether previousty stamped or not. is brought to the Collecter and the person breneing it applies io have the opinion of that officer as to the duty (if any), with which it is chatgeable and pays a fee of rupees one hundred (subject to such other amount as may be tixed by the State Govermment by notification in the Gatetle). the Collector shall determine the dut (it any) with which, in his judgmen, the instrument is chargeable.
(2) For this purpose the Collector may require to be furnished with an atbstract of the instrumem. and atso with such affidavit or other evidence as he may deem necessary to prove that all the facts and circumstances affecting the chergeabslity of

 until such abstract and evidence have been fumshed accordingly:

## Provided that-

(a) no evidence furnished in pursuance of this section shall be used against any person in any civil procceding. except in an enquiry as to the duly with which the instrument. in which it relates is chargeable: and
(b) every person by whom any such evidence is fumished. shall. on payment of the full duty with which the iferument to which it relates, is chargeable. be relieved from any penally whs he may have incurred under this Ace by reason of the omission to state ury in such instrumen any of the fats or crecumstances aforesaid.
37. (1) When in instrument brought io the Collector under section 36 is. in his opinion, one ai a description chitreable with duty, and -
(a) the colle or determmes that it is already fully stamped or
(b) the sut atermmed iny the Collector under seetion 36 or such at sum as. with the duty already paid in respect of the instrument, is equal to the dute so determined, has been paid the Collector shall certily by endrsement an sut :astrument that the full duty (stating the amount) with which it is hatewole has been paid.
(2) When such instrument is, in his opinion, not chargeable with duty, the Collector shall certify in manner aforesaid that such instrument is not so chargeable.
(3) Any instrument upon which an endorsement has been made under this section. shall be deemed to be duly stamped, or not chargeable with duty. as the casi may be. and if chargeable with duty. shall be receivable in evidence or otherwise. and may be acted upon and registered as if it had been originally duly stemped:

Provided that nothing in this section shall authorize the Collector to endorse-
(a) any instrument, other than an instrument chargeable with a duty under clause (b) of the first proviso to section 3; excculed or first executed in Uttar Pradesh and brought to him after the expiration of one month from the date of its execution or first execution, as the case may be :
(b) any instrument chargeable with duty under clause (b) of the first proviso 10 section 3. and brough to him. after the expiration of three months from the date on which it is first reccived in Utar Pradesh.

## CHAPTER-IV

INSTRUMENT NOT DULY STAMPED
38. (i) IVery person having by law or consent of parties authority to receive evidence. and every person in-charge of a public office. except an officer of police. before whom any instrument, chergeable, in his opinion with duty. is produced or comes in the performance of his duties. shall. if it appears to him that such instrumem is not duly stamped. impound the same.
(2) For that purpose every suci: person shall examine very instrument so chargeable and so produced or coming before him. in order to ascertain whether it is stamped with a stamp of the value and description required by the law in force in India, when such instrument was execured, or first executed:

## Provided that-

(a) Hothing terein contained shall be deemed to requit any Magistrate, of Judge of a criminal court to examine or impound if he does not think in so to do. any instrument coming before him in the course of any proceeding other than a proceeding under section 125 to 128 and section 145 to 148 of the Code of Criminal Procedure. 1973 (Act no. 2 of 1974).
(b) in the case of a Judge of a High Court. the duty of examining and impounding any instrument under this section may be delegated to such officer as the Court appoints in this behalf.
(3) For the purposes of this scction, the State Govemment may, in cases of doubt, determine what offices shall be deemed to be public effices and who shall be decmed to be persons in charge of public offices.
(4) Where deficiency in stamp duty paid is noticed from the copy of an instrument. the Collector may suo motu or on a refernce from any Couri. or from the Commissioner of Stamps. or an Additional Commssioner of Stamps. or a Deputy Commissioner of Stamps. or an Assistant Commissioner of Stamps call for the original instrument for the puppose of satisfying himself as to the adequacy of the duty paid theroon. and the instrument so produced before the Collector shall be deemed on have been produced. or come before, him in the performance of his functions.

Examimation and
impounding ot bintrmemts
fnstruments mot daly siamped. inadmissible in evidence. ete.

Adinission of instrument where not in be questioned

Admission of improperly stamperl instruments

Instruments impounded. how dealt with
(5) In case the instrument is not produced within the period specified by the Coilector. he may require payment of deficit stamp duty. if any. together with penalty under section 45 on the copy of the instrument :

Provided that no action under sub-section (4) or sub-section (5) shall be taken after a period of four years from the date of execution of the instrument :

Provided further that with the prior permission of the State Govermment an action under sub-section (4) or sub-section (5) may be taken after a period of four vears but before a perind of cight years from the date of execution of the instrument.
39. No instrument chargeable with duty shall be admitted in evidence for any purpose by any person, having by law, or consent of parties authority to receive evidence, or shall be acted upon, registered or authenticated by any such person or by any public olficer. unless such instrument is duly stamped:

Provided that-
(a) any such instrument shall be admitted in evidence on payment of the duty with which the same is chargeable. or, in the case of an instrument insufficiently stamped, of the amount required to make up such duty. together with a penalty of an amount not less than one time but not exceeding four times of the amount of proper duty or of the deficient portion thereof:
(b) Where a contract or agreement of any kind is eflected by correspondence consisting of two or more letters, and any one of the letcrs bears the proper stamp. the contract or agreement shall be deemed to be duly stamped:
(c) Nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument in evidence in any proceeding in a Criminal Court. other than a proceeding under section 125 to 128 and sections 145 to 148 of the Code of Criminal Procedure. 1973 (Act no. 2 of 1974):
(d) Nothing hercin contained shall prevent the admission of any instrument in any Court when such instrument has been executed by or on behalf of the Government or where it bears the certificate of the Collector as provided by section 37 or any other provision of this Act.
40. Where an instrument has been admitted in evidence. such admission shall not. except as provided in section 63 , be called in question at any stage of the same suit or proceeding on the ground that the instrument has not been duly stamped.
41. The State Government may make rules providing that. where an instrument bears a stamp of sufficient amount but of improper description. it may, on payment of the duty with which the same is chargeable be centified to be duly stamped, and any instrument so certified. shall then be deemed to have been duly stamped as from the date of its execution.
42. (1) When the person impounding an instrument under section 38 has by law. or consent of parties, authority to receive cvidence and admits such instrument in evidence upon payment of a penalty as provided by section 39. or of duty as provided by section 41, he shall send to the Collector an authenticated copy of such instrument together with a certificate in writing. stating the amount of duty and penalty levied in respect thereof, and shall send such amount to the Collector, or to such other person as the may appoint in this behalf.
(2) In every other case. the person so impounding an instrument shall send it in original to the Collector.
43. (1) When the Collector impounds any instrument under section 38. or receives any instrument sent to him under sub-section (2) of section 42 . not being a receipt: or a bill of exchange or a promissory note, he shall adopi the following procedure :
(a) if he is of opinion that such instrument is duly stamped. or is not chargeable with duty, he shall certify by endorsement thercon that it is duly stamped, or that it is not so chargeable, as the case may be:
(b) If he is of the opinion that such instrument is chargeable with duty and is not duly stamped. he shall require the payment of the amount required to make up the deficiency together with a penalty of an amount not exceeding four times the amount of deficient portion of the proper duty:
Provided that, when such instrument has been impounded only because it has been written in contravention of section 18 or section 19. the Collector may, if he thinks fit, remit the whole penalty prescribed by this section :

Provided further that no penalty shall be levied unless the party concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.
(2) The Collector shall also require. alongwith the amount of deficit stamp duty or penalty required to be paid under clause (b) of sub-section (1), the payment of a simple interest at the rate of one percent per mensem on the amount of deficit stamp duty calculated from the date of execution of the instrument till the date of actual payment:

Provided that the amount of interest under this sub-section. shall be re-calculated if the amount of deficit stamp duty is varied on appeal or revision or by any order of a Competent Court or Authority.
(3) The amoum of interest payable under sub-section (2) shall be added to the amount due and be also deemed for all purposes to he part of the amount required to be paid.
(4) Where realization of the deficit stamp duty remained stayed by any order of any Court or Authority and such order of stay is subsequently vacated. the interest referred to in sub-section (2) shall be payable also for any period during which such order of stay remained in operation.
(5) Any amount paid or deposited by or recovered from or refundable to any person under the provisions of this bill, shall first be adjusted towards the deficit.stamp duty or penalty outstanding against him and the excess, if any. shall then be adjusted towards the interest, if any, due from him.
$\therefore$ (6) Every certificate under clause (a) of sub-section (1) shall, for the purposes of this bill. be conclusive evidence of the matter stated therein.
(7) Where an instrument has been'sent to the Collector, under sub-section (2) of section 42. the Collector shall. when he has dealt with it as provided by the section, return in to the impoundinty officer.
44. If any msirument chargeable with duty and not duly stamped. not being an instrument chargeable with a duty and not duly stamped. not being an instrument chargeable with a duly not exceeding twenty paise onily, is produced by any person of

Insiruments unduly stamped by accident

Findorsemen of mistuaneme otit which diuly has been paid under secturn 39.43.4.4 or 14

Phscucuthol lis: afterce atames Stamp law
 tuty or peraity mas reconver satme 111 trnain Consen

Non bicibily bos of inswament: Sent แntary scexom i?
proper duty, or the amount required to make up the same, and the Collector is satisfied that the omission to duly stamp such instrument has been occasioned by acciden, mistake or urgent necessity. he may, instead of proceeding under sections 38 and 43 , reccive such amount and procecd as next hereinafter prescribed.
45. (1) When the duity and penalty (if any), leviable in respece of any instrument have been paid under section 39. section 43 or section 44 or section 49 , the person admitting such instrumerit in evidence or the Collector. as the case may be. shall certify by endorsement thereon that the proper duty or. as the case may be. the proper duty and penalty (statng the amount of each) have been levied in respect thereof. and the name and residence of the person paying them.
(2) Every instrument so endorsed shall thercupon be admissible in evidence. and may be registered and acted upon and authenticated as if it had been duly stamped, and shall be delivered on his application in this behalf to the person from whose posscssion it came into the hands of the officer impounding it. or as such person may direct:

Provided that-
(a) no instrument which has been admitted in evidence upon payment of dury and a penalty under section 39. shall be so delivered before the expiration of one month from the date of such impounding, or if the Collector has certified that its further detention is necessary and has not cancelled such certificate:
(b) nothing in this section shall affect Schedule 1 of Order XXIII of the Code of Civil Procedure. 1908. (Act no. 5 of 1908) sction: 144 clause 3.
46. The taking of proceedings or the payment of a penalty under this chapter in respect of any insirumem shall mot bar the prosecution of any person who appears to have committed an offence againsi the stamp-law in respect of such onstrument:

Provided that no such prosecutinn shall be instituted in the case of any instrument in respect of which such a penally has been paid. unless it appears to the Collector that the offence was committed wih, ... :ntentan of evading payment of the proper duty.
47. (1) When any duty or math , has been paid under section 39. section 41. section 43 or section 44. by any person in respect of an instrument. and. by agreement or under the provisions of section 35 or aty other enactment in force at the time such instrument was executed. some other person was bound to bear the expense of providing the proper stamp for such instrument. the firsi-mentioned person shall be entitled io recover from such other person the amoun of the duty or penalty so paid.
(2) For the purpose of such recovery, any cerificate granted in respect of such instrument under this bill shall be conclusive evidence of the matters therein certified.
(3) Such amount may, if the Court thinks fit, be included in any order as to costs in any suit or proceeding to which such persons are parties and in which such msirument has been tendered in evidence. If the Court does not include the amount m sueln order. no further proceedings for the recovery of the anount shall be mantanable.
48. (1; if an! mstrument sem to the Collector under sub-section (2) of section 42. is !ost. destroyed of damaged durng iransmission, the person sending the same shall not be liable for such loss. destructum or damage.
(2) When any instrument is about to be so sem, the person from whose possession it came into the hands of the person impounding the same. may require a copy thereof to be made at the expense of such first-mentioned person and authenticated by the person impounding such instrument.
49. (1)(a) If the market value of any property which is the subject of any instrument, on which duty is chargeable on the market value of the property as set forth in such instrument, is less than even the minimum value in accordance with the rules made under this Act. the registering officer appointed under the Registration Act, 1908. (Act no. 16 of 1908), notwithstanding anything contained in the said Act, immediately after presentation of such instrument and before accepling it for registration and taking any action under section 52 of the sald Act, require the person liable to pay stamp duty under section 35 , to pay the deficit stamp duty as computed on the basis of the minimum value determined in accordance with the said rules and return the instrument for presenting again in accordance with section 23 of the Registration Act. 1908 (Act no. 16 of 1908).
(b) When the deficit stamp duty required to be paid under clause (a) is paid in respect of any instrument and the instrument is presented again for registration. the Registering Officer shall certify by endorsement thereon. that the deficit stamp duty has been paid in respect thereof and the name and the residence of the person paying them and register the same.
(c) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this bill, the deficit stamp duty may be paid under clause (a) in the form of impressed stamps or otherwise, containing such declaration as may be prescribed.
(d) If any person does not make the payment of deficit stamp duty after receiving the order referred to in clause (a) and presents the instrument again for registration. the registering officer shath, before registering the instrument refer the same te the Coliector. for determination of the market value of the property and the proper duty payable thereon.
(2) On receipt of a reference under sub-section (1). the Collector shall after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and atter holding an enquiry in such mamer as may be prescribed by rules made under this Act, determine the market value of the property which is the subject of such instrument and the proper duty payable thereon:
(3) the Collector may, suo motui or on a reference from any Court or from the Commissioner of Stamps or an Additional Commissioner of Stamps or from a Deputy Commissioner of Stamps or from an Assistam Commissioner of Stamps or any officer authoryed by the State Governmen in that behalf. within four years from the date of registration of any mstrument on which duty is chargeable on the market value of the, propeny, not already referred to him under sub- section (!), call for an examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of the market value, of the property which is the subject of such instrument and the duty payable thercon. and if, after such examination, he has reason to believe that market value of such property has not been truly set forth in such instrument, he may determine the market value of such property and the duty payable thercon:

Provided that. with the prior permission of the State Govemment, an action under this sub-section may be taken after a period of four years but before a period of eight wears from the date of registration of the mstrumen on which duty is chargeable on the market value of the property.
f:xplanaton: The payment of deften stamp tury by any person under any

## Under-valuation of

 the insinumentorder of registering officer under sub-section (1) shall not prevent the Collector from imitiating proceedings on any instrument under sub-section (3).
(4) If on enquiry under sub-section (2) and examination under sub-section (3) the Collector finds the market value of the property-
(i) truly set forth and the instrument duly stamped he shall ecrify by endorsement that it is duly stamped and return it to the person who made the reference;
(ii) Not truly set forth and the instrument not duly stamped. he shall require the payment of the amount required to make up the deficiency in the same. together with a penalty of an amount not exceeding four times the amount of deficient portion of the proper duty.
(5) The Collector shall also require alongwith the deficit stamp duty or penalty required to be paid under clause (ii) of sub-section (4). the paymem of a simple interest at the rate of one percent per mensem on the amount of deficit stamp duty calculated from the date of the execution of the instrument till the date of actual payment:

Provided that the amount of interest under the sub-section shall be recalculated if the amount of deficit stamp duty is varied on appeal or revision or by any order of a competent Court or Authority.
(6) The amount of interesi payable under sub-section (5) shall be added to the amount due and be also deemed for all purposes to be part of the amount required to be paid.
(7) Where realization of the deficit stamp duty remained stayed by any order of any Court or Authority and such order of stay is subsequently vacated. the interest referred to in sub-section (5) shall be payable also for any period during which such order of stay remained in operation.
(8) Any amount paid or deposited by or recovered from. or refundable to, a person under the provision of this Act. shall first be adjusted towards the deficit stamp duty or penalty outstanding against him and the excess, if any, shall then be adjusted towards the interest. if any. due from him.
(9) The instrument produced before the Collector under sub-section (2). or under sub-section (3) shall be deemed to have come before him in the performance of his functions.
(10) In case the instrument is not produced within the period specified by the Collector, he may require payment of deficit stamp duty, if any. together with penalty on the copy of the instrument in accordance with the procedure as laid down in subsections (2) and (4).
50. All duties, penalties. and other sums required to be paid under this Act may be recovered by the Collector by distress and sale of the movable property of the person fromi whom the same are due. or by any other process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue.
51. Notwithstanding anything contained in this Act. no certificate or endorsement under this Act. in respect of an instrument chargeable in Uttar Pradesh with a higher race of duty in accordance with this Act, shall be received in evidence or be in any way valid in respect of the payment of duty on such instrument unless the duty chargeable at the rates provided in this Act. has been paid on such instrument.

Valdelity of combicate or indoremen in resper of mstraments for which higher rate $110^{\circ}$ duty is payable an Ulan Padesh

Recovery of dutics and penallas

## CHAP'TER V

## ALLOWANCES FOR STAMPS IN CERTAIN CASES.

52. Subject to such rules as may be made by the State Government as to the evidence to be required. or the enquiry to be made, the Collector may. on application made with the period prescribed in section 53. and if he is satisfied as to the facts. make allowance for impressed stamps spoiled in the cases hereinafter mentioned. namely, -
(a) the stamp on any paper inadvertently and undesignedly spoiled, obliterated or by error in writing or any other means rendered unfit. for the purpose intended before any instrument written thercon is executed by any person;
(b) the stamp on any document which is written out wholly or in part, but which is not signed or executed by any party thereto:
(c) the stamp used for an instrument executed by any party thereto which-
(i) has been aftenwards found to be absolutely void in law from the very beginning;
(ii) has been afterwards found unfit. by reason of any error or mistake therein. for the purpose originally intended;
(iii) by reason of the death of any person by whom it is necessary that it should be executed, without having executed the same, or of the refusal of any such person to execute the same, cannot be completed so as to effect the intended transaction in the form proposed:
(iv) for want of the execution thereof by some material party, and his inability or refusal to sign the same, is in fact incomplete and insufficient for the purpose for which it was intended;
(v) by reason of the refusal of any person to act under the same, or to advance any. money intended to be thereby secured, or by the refusal or nonacceptance of any office thereby granted, totally fails of the intended purpose:
(vi) become useless in consequence of the transaction intended to be thereby effected being effected by some other instrument between the same parties and bearing a stamp of not less value;
(vii) is deficient in value and the transaction imended to be thereby effected has been effected by some other instrument between the same parties and bearing a stamp of not less value;
(viii) is inadvertently and undesignedly spoiled, and in lieu whereof another instrument made between the same parties and for the same purpose is exccuted and duly stamped:

Provided that. in the case of an executed instrument, no legal procceding has been commenced in which the instrument could or would have been given or offered in evidence and that the instrument is given up to be cancelled.
Explanation: The Certificate of the Collector under section 37 that the full duty with which an instrument is chargeable has been paid is an impressed stamp within the meaning of this section.
53. The application for relief under section 52 shall be made within the following periods that is to say:-

Allowance for spoiled stainps
(a) in the cascs mentioned in sub-clause (v) of clause (c). within wo months of the date of the instrument:
(b) in the case of a stamped paper on which no instrument has been executed by any of the parties thereto. within six months after the stamp has been spoiled:
(c) in the case of a stamped paper in which an instrument has been exceuted by any of the parties thereto. within six months after the daic ,fit the instrument, or, if it is not dated, within six months after the execution thereof by the person by whom it was first or alone execuled:

Provided that.-
(a) when the spoiled instrument has been for sufficient reasons sent out of. India. the application may be made within six months after it has been received back in India;
(b) when, from unavoidable circumstances, any instrument for which another instrument has been substituted. cannot be given up to be cancelled within the aforesaid period. the application may be made within six mouhs after the date of execution of the substituted instrument.

Allowance in case oli pronted forms no longer required by comprattions:

Allawamer for misused stámp:
 aporied ir musurcd stimpo. inety or mtanc
54. The Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority in this behalf inay. without limit of time. make allowance for stamped papers used for primed forms of instruments. by any banker or by any incorporated company or other body corporate, if for any sufficient reason such forms have ceased to be required by the sad banker. company or body corporate:

Provided that such authority is satisfied that the duty in respect of such stamped paper has been duly paid.
55. (a) When any person has inadvertently used for an insumen chargeable with duty. a stamp of a description other than that prescribed for such instrument by the rules made under this Act. or a stamp of greater value thatn was necessary or has inadvertently used any stamp for an instrument not chargeable with any duty: or
(b) When any stamp used for an instrument has been inadvertently rendered useless under section 19. owing to such instrument having been wrillen in contravention of the provisions of section IR.
the Collector may. on application made within six months after the date of the instrument. or. if it is not dated. within six months afier the execution thereof by the person by whom it was first or alone execuled. and upen the instrumen, if chargeable with duy. beme restamped with the proper duiy. cancel and allow as spoiled the stamp so misused or rendered useless.
56. In any cate m which allowance is made for spolted or misused stamps, the Collechar may gue m lieu thereof.-
(a) wher stamps of the same description and watue or
(b) if requised and he thinks for stamps of any sthes dexcription to the sume amoun ar value: or
(c) at his discretion. the same value in money, deducting ten paise for each rupee or fraction of a rupec.
57. When any person is possessed of a stamp or stamps which have not been spoiied or rendered unfit or useless for the purpose intended. but for which he has no immediate use. the Collector shall repay to such person the value of such stamp or stamps in money, deducting ten paise for each rupee or portion of a rupee, upon such person delivering up the same to be cancelled, and proving to the Collector's satisfaction-
(a) that such stamp or stamps were purchased by such person with a bonafide intention to use them:
(b) that he has paid the full price thereof: and
(c) that they were so purchased within the period of six months next preceding the date on which they were so delivered:

Provided that. where the person is a licensed vendor of stamps. the Collector may. if he thinks fit make the repayment of the sum actually paid by the vendor withour any such deduction as aforesaid.

## CHAPTER -VI. <br> REFERENCE, REVISION AND APPEAL

58. (1) The power exercisable by a Coliector under section 12. clause (a) of the hirst proviso to section 32. Chapler IV. Chapter $V$ and Chapter VIft shall in all cases be subject to the control of the Chicf Controlling Revenuc Authority.

Nowithstanding anything contained in any other provisions of ths. Net. any persion including the Government aggrieved by an order of the Collector under section 12. clause (a) of the first proviso to section 32. Chapter-IV, Chapter-V and Chapter VIII may. within 60 days from the date of receipt of such order prefer an appeal against such order to the Chief Controlling Revenue Authority, who shall after giving the parties a teasonable opportunity of being heard consider the case and pass such order thercon as he thinks just and proper and the order so passed shall be finat:

Provided that no application for stay of recovery of any disputed amoun of stamp duty including interest thereon or penaly shall be entertained unless the applicant has fumished satisfactory proof of the payment of not less than one third of such disputed amoum:

Provided further that where the Chief, Controlling Revenue Authority passes an order for the stay of the recovery of any stamp duty, interest thereon or penalty, or for the stay of the operation of any order appealed against and such order results in the stay of recovery of any stamp duty, interest thereon or penalty, such stay order shatl not remain in force for more than thiny days unless the appeltan famishes adequate security to the satisfaction of the Collector concerned for the payment of the outstanding amount.
(2) If any Collector, acting under section 36 . section 43 or secuon 44. Feels doubt as to the amount of duty with which any instrument is chargeabe he may draw up a statement of the case, and refer it. with his own opmion thercon. for the decision of the Chici Comeroling Revenue Authority.
(3) The Authority relerred to in sub-section (2) shall consider the case and send a copy ot in deciston to the Collecter who shall proceed in assess and charge the duty (if any) in conformuy with such decision.
(4) where any urcer of Collector is partally atered or guathed by the Chiof

Allowance for stamps but required for use
stitcmeat of cua
to. Chict
Conts chline


Statemem of case
by Chtel

## Commiling

Revente Authority
Wh High Court

Power alitigh
Coust wabl lor
farther particulars is to cance stated

Procedure in disposing of case stited

Statemem of case hy wher Courts to Heh Cours

Revisan of ceratin decisions of Courts regarding the sulficiency of samps

Controlling Revenue Authority, the Collector shall have the power to refund the exce:
amount of stamp duty, penalty or interest paid under the said order.
59. (1) The Chief Controlling Revenue Authority may state any case referre to it under sub-section (2) of section 58 . or otherwise coming to its xotice. and refe such case, with its own opinion thereon.- if it arises in the State- io the High Cour of the State:
(2) Every such case shatl be decided by not less than three Jugges of the High Courn to which it is relerred. and in case of difference. the opinion of the majority shatl
prevail. prevail.
60. If the High Court is not satisfled that the statements contained in the case are sufficient to enable it to determine the questions raised thereby, the court may refer the case back to the Revenue Authority by which it was stated. to make such additions thereto or alterations therein as the Court may direct in that behalf.
61. (1) The High Cour upon the bearing of any such case. shall decide the questions raised thereby, and shall deliver its judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded.
(2) The Court shall send to the Revenue Authority by which the case was stated, a copy of such judgment under the seal of the Coun and the signature of the Registrar; and the Revenue Authority shall. on receiving such copy, dispose of the casc confornably to such judgment.
62. (1) If any Court, other than a court mentioned in section 59 , feels doubt as to the amount of duty to be paid in respect of any instrument under proviso (a) to section 39. the ludge may draw up a statement of the case and refer it. with his own opinion thereon. for the decision of the High Court to which. if he were the Chief Controlling Revenue Authority, he would. under section 59. refer the same.
(2) Such court shall deal with the ease as if it had been referred under section 59, and send a copy of its judgment under the seal of the Coun and the signature of the Registrar to the Chief Controlling Revenue Authority and other like copy to the Judge making the reference, who shall, on receiving such copy, dispose of the case conformably to such judyment.
(3) References made under sub-section (1). when made by a Court. subordinate to a District Court. shall be made through the District Court, and, when made by any subordinate Revenue Court, shall be made through the Court immediately superior.
63. (1) When any Court in the exercise of its civil or revenue jurisdiction of any Criminal Couri in any procceding under sections 125 to 128 and section 145 to 148 of the Code of Criminal Procedure, 1973, (Act no. 2 of 1974) makes any order admitting any instrument in evidence as duly stamped or as not requiring a stamp, or upon payment of duty and a penalty under section 39, the Court to which appeals lie from. or references are made by, such first-mentioned Court may, of its own motion or on the application of the Collector. take such order into consideration.
(2) If such Court. after such consideration. is of opinion that such insirument should not have been admuted in evidence without the payment of duty and penatty under section 40, or withour the payment of a higher duty and penalty than those paid. it may record a declaration to that effect. and determine the amount of duly with which such instrument is chargeable, and may require any person in whose possession or power such instrument then is. to produce the same, and may impound the same when produced.
(3) When any declaration has been recorded under sub-section (2), the Court recording the same shall send a copy thereof to the Collector, and, where the instrument to which it relates has been impounded or is otherwise in the possession of such Court, shall also send him such instrument.
(4) The Collector may thereupon, notwithstanding anything contained in the order admitting such instrument in evidence, or in any certificate granted under section 45. or in section 46. prosecute any person for any offence against the Stamp law which the Collector considers him to have committed in respect of such instrument:

## Provided that-

(a) no such prosecution shall be instituted where the amount (including duty and penalty) which, according to the determination of such court. was payable in respect or the instrument under section 39, is paid to the Collector. unless he thinks that the offence was committed with an intention of evading payment of the proper duty;
(b) except for the purposes of such prosecution, no declaration made under this section shall affect the validity of any order admitting any instrument in evidence. or of any certificatc granted under section 45.

## CHAPTER VII.

## CRIMINAL OFFENCES AND PROCEDURE.

64. (1) Any person who, with the intention to evade the duty, exccutes or signs otherwise than as a witness any instrument chargcable with duty without the same being duly stamped shall, on conviction. for every such offence be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to six months and with fine which may extend to five thousand rupees:

Provided that. when any penally has been paid in respect of any instrument under section 39. section 43 or section 49. the amount of such penalty shall be allowed in reduction of the fine (if any) subsequently imposed under this section in respect of the same instrument upon the person who paid such penalty.

1
(2) If a share warrant is issued without being duly stamped, the company issuing the same and also every person who, at the time when it is issued, is the managing director or secretary or other principal officer of the company, shall, on conviction be punished with fine which may extend to five hundred rupees.
(3) No person shall be prosecuted under sub-section (1) or sub-section (2) in respect of an instrument which was produced in court and which was admitted after a decision by the court that the said instrument was duly stamped or that no stamp was required.
65. Any person who makes a declaration in a clearance list which is false or which he either knows or believes to be false, shall. on conviction, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to six months and with fine which may extend to five thousand rupees.,
66. Any person required by section 17 to cancel an adhesive stamp. and failing to cancel such stamp in the manner prescribed by that section. shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.
67. Any person who. with intent to defraud the Government.-
(a) executes any instrument in which all the facts and circumstances required by section 33 , to be set forth in such instrument are not fully and truly set forth: or

Penalty for exccuting. elc. instrument not duly stamped

Penalty for making false declaration in Clearance List

Penalty for failure' to cancel adhesive stamp

Penalty for omission to comply with provisions of section 33
(b) being employed or concerned in or about the preparation of any instruments, neglects or omits fully and truly to set forth therein all such facts and circumstances: or
(c) does any other act calculated to deprive the Government of any duty or penalty under this Act.
shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

Recovery of ammunt of defien stamp duty

Penally for brach of rule relating to sale af stamps and fir thamhorized salc

Instumtion and conduct of prosecutions

Jurisdiction of Magistrates

Place of trial
68. (1) Where any person liable to pay duty under this Act is convicted of an offence under Section 64 or 67, in respect of any instrument (not being an instrumen specified in Entry 91 of List I in the Seventh Schedule to the Constitution) the Magistrate shall . in addition to any punishment which may be imposed for such offence. direct recover the amount of duty and penalty. if any, due under this bill from such person in respect of that instrument and such amount shall also be recoverable as if it were a fine imposed by the Magistrate.
(2) Upon such recovery the Collector shall thereupon certify by endorsement on that instrument that proper duty or penalty, as the case may be has been levied in respect thereof:
69. (a) Any person appointed to sell stamps who disobeys any rule made under section 75 ; and
(b) Any person not so appointed who sells or offers for sale any stamp (other than a ten paise or five paise adhesive stamp),
shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both
70. (1) No prosecution in respect of any offence punishable under this bill or provisions of the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) hereby repealed shall bc instruted without the sanction of the Collector or such other officer: as the State Government generally, or the Collector specially, authorizes in that behalf.
(2) The Chief Controlling Revenue Authority, or any officer generally or specially authorised by it in this behalf, may stay any such prosecution or compound any such offence.
(3) The amount of any such composition shall be recoverable in the manner provided by section 50 .
71. No magistrate other than a Magistrate, whose powers are not less than those of a Magistrate of the second class. shall try any offence under this Act.
72. Every such offence committed in respect of any' instrument may be tried in any district in which such instrument is found, as well as in any district in which such offence might be tried under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) for the time being in force.

## CIIAPTER VIII.

## SUPPLEMENTAL PROVISIONS

73. Every public officer or any person having in t:s custody any reghiers. books. records. papers. documents or-proceedings. the inspection whereof may tend to secure any duty, or 'o prove or lead to the discovery of any fraud or omssion in
relation to any duty, shall at all reasonable times. permit any officer whose duty it is to sce that proper duty is paid or any other person authorised in writing by the Collicctor to inspect for such purpose the registers. books. papers. documents and proceedings, and to take such notes and extracts as he may deem necessary, without fee or charge.
74. (1) Where the Collector or the Commissioner of Stamps. Additional Commissioner of Stamps, Deputy Commissioner of Stamps or Assistant Commissioner of Stamps has reason to believe that any instrument chargeable to duty has not been charged at all or has been incorrectly charged with duty leviable under this Act, he or any other officer authorised by them in writing in this behalf (to be called the authorised officer) may require the person concerned who is having in his custody or maintaining such instruments. registers. books. records. papers. maps. documents or precesings. to produce before him or the authorised officer any such instrument or an. , wher relevant record pertaining thereto, including registers.. books, records, papers, maps. documents or procecdings.

Explanation - For the purpose of this sub-section the expression "person concerned" includes a body of individuals. any statutory authority or association. whether incorporated or not.
(2) If any person. on being required under sub-section (1) by the Collector or the Commissioner of Stamps. Additional Commissioner of Stamps, Deputy Commissioner of Stamps or Assistant Commissioner of Stamps or the authorised officer, willfully fails to produce the required instrument or other record as aforesaid without any sufficient cause. the Collector or the Commissioner of Stamps. Additional Commissioner of Stamps, Deputy Commissioner of Stamps or Assistant Commissioner of Stamps may direct such person to pay an amount. by way of penalty, a sum not exceeding rupees five thousand:

Provided that no such order under this sub-section shall be passed by the Collector or the Commissioner of Stamps, Additional Commissioner of Stamps. Deputy Commissioner of Stamps or Assistant Commissioner of Stamps unless the person. on whom such penalty is proposed to be imposed is given a reasonable opportunity of being heard in the matter:-:

Provided further that the order passed under this sub-section shall
be subject to an appeal to the Chicf Controlling Revenue Authority within a period of thirty days or within such extended time as may be allowed in that regard. who shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard, pass such order thereon as he thinks just and proper and the order so passed shall be final.
75. The State Government, niay by notification published in the Gazene make rules for regulating-
(a) the supply and sale of stamps. c-stamp. stamp by franking machine.
by use of internct or any other machine and stamped papers:
(b) the persons by whom alone such sale is to be conducted: and
(c) the duties and remuneration of and the fees chargeable from such person:

Provided that such rules shall not restrict the saic of ten paise or five paise adhesive stamps.
76. The State Government may by notification published in the Gazette make rules to carry out generally the purposes of this Act including rules for launchine amnesty scheme, and may by such rules, prescribe the fines, which shall in no case exceed five hundred rupecs, to be incurred on breach thereof.

Powior tomake rules relating to sate of stainps

Saving as to coull lices

Suving is in centain stamps

Applec:llan ol Indan Stamp Act. 1 SOM
77. The State Govemmem may, by notification in the Gazette, delegate-
(a) all or any of the powers conferred on it by clause (v) of section 2. subsection (3) of section 38, sub-section (1) of section 70, section 75 to the Chief Controlling Revenue Authority.; and
(b) all or any of the powers conferred on the Chief Controlling Revenue Authority by section 12. sub-section (1) of section 58 . sub-section (2) of section 70 and section 74 to such subordinate revenue authority or any officer of the Stamp and Registration Department not below the rank of Deputy Commissioner of Stamps. as may be specified in the notification
78. Except the provisions as to copies contained in section 7. nothing in this bill contained shall be deemed to affect the duties chargeable under any enactment for the time being in force relating to court-fees.
79. All stamps in denominations of amas four or multiples thereof shall be deemed to be stamps of the value of twenty-five paise or as the case may be. multiples therenf and stall. accordingly. be valid for all the purpose of this bill.
80. The Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) in so far as it relates' to the subjeet matter relateable to lintry 44 of List 111 of the Seventh Schedule of the Constitution in respect of documents specified in Entry 91 of List 1 of the said Schedule. shall notwithstanding anything contained in this bill or any law for the time being in force, extend to the whole State of Uttar Pradesh.
81. (1) The Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) as adaped in the State of Utar Pradesh. except in so far as it relates to documents specified in Entry 91 of List I in the Seventh Schedule to the Constitution of India, is hereby repealed and the provisions of the Uitar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act no. 1 of 1904). shall apply to such repcal:

Provided that the repeal hereby shall not affect.-
(i) any right. (itle. obligation or liability already acquired. accrucd or incurred or anything done or suffered:
(ii) any legal proceedings or remedy in respect of any such right, title, obligation or liability:
under the provisions of the enaciments hereby repealed and any such procecding may be instituted. continued and disposed of and any such remedy may be eniorced as if this set had not been passed.
(2) Any appointment, notification, notice. order, rule or form made or issued under any of the enacments hereby repealed shall be deemed to have been, made or issucd under the provisions of this bill. in so far as such appointments. notifications. notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this bill and shall continue in force. unless and until it is superseded by an appointment. notification. notice. order. rule or firm made or issued under this Act.
(3) All stamps in denemination of annas of four or multiples thereof shall be deemed to be stamps of the salte of twenty-five naya paise or as the case may be multiples thereof and valid aceordingly.

## SCIIEDULE

[See section 3 and section 80]
STAMP-DUTY ON INSTRUMENTS UNDER THE UTTAR PRADESH STAMP'ACT, 2008,

Description of instrument
Proper stamp duty

1. ACKNOWLEDGEMENT. of debt exceeding one thousand Ten rupees
rupees in amount or value. written or signed by. or on behalf of. " a. debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's pass-book). or on a separate piece of paper when such book or paper is leti in the creditor's possession:
Provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to .deliver any goods or other property.
2. ADMINISTRATION BOND: including a bond given under section 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act. 1925 (Act no. 39 of 1925) or section 6 of the Government Savings Banks Act. 1873 (Act no. 5 of 1873)
3. ADOPTION-DEED. that is to say, any instrument (other than a Will) recording an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt.

## ADV́OCATE, See ENTRY AS AN ADVOCATE (No. 17)

4. AFFIDAVIT, including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed. affirming or declaring instead of siwcaring.

$$
\therefore \quad \therefore \quad \text { Exemptions }
$$

- Affidavit or declaration in writing when made -
(a) as a condition of enrolment under the Indian Army Act, 1950, (Act no. 46 of 1950) the Indian Air Force Act. 1950 (Act no. 45 of 1950) or the Navy Act. 1957 (Act no. 62 of 1957), or
(b): for the sole purpose of enabling any persons to receive any pension or charitable allowance:


## 5. AGREEMENT OR ITS RECORDS OR

 MEMORANDUM OF AN AGREEMENT.(a) if relating to the sale of a bill of exchange;
(b) if relating to the purchase or sale of a government security.
(c) if relating to the purchase or sale of shares, scrips, stocks, bonds. debentures, debenture stocks. or any other marketable security of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate -
(i) when such agreement or memorandum of an agreement is with or through a member of between members of Stock Exchange recognized under the Securities Contracts (Regulation ) Act. 1956 (XLIl of 1956)

The same duty as Bond (No.14). subject to a maximum of two hundred rupees

One hundred rupees.

Ten rupee.

Onc rupee for every rupees 10,000 or part thereof:
Fifty paise for every rupees $1,00: 000$ or part thereof of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be.

One rupee tor every rupees 10.000 or part thereof of the value of the security at the time of its purchase or salc, as the case may be.

Description of instrument Proper stamp dut!
(ii) in any other case;
(d)
(i) if relating to the purchase or sale of cotion.
(ii) if relating to the purchase or sale of bultion or spices:
(iii) if relating to the purchase or sale of oilseeds;
(iv) if relating to the purchase or salc of yary of any kind. nonmineral oils or spices of any kind:

## Explanation

Any duty paid under Article 22. 44 or 52, as the case may be, shall be adjusted against the duty chargeable under clauses (b). (c) (d) (i). (ii). (iii) and (iv).
(e) if relating to the sale of an immovable property where possession is not admitted to have been delivered. nor is agreed to be delivered without exceuting the conveyance

Provided that when Conveyance in pursuance of such agreement is executed within three years from the date of execution of the said igreement. the duty pard under this clause. in excess of the duty payable under clause (c) shall be adjusted towards the total duty payable on the conveyance.

Provided further that if the said agrement is revoked within a period of three years from the date of execution of such agreement. the stamp duty paid on such agreement shall be refunded after deduction of ten percent of the amount of stamp duty paid on such agreement. subject to miniminm deduction of rupees one hundred.
(f) if relating to the construction of a building on a land by a person other than the owner or lessee of such land and having a stipulation that after construction. such buiding shall be held jointly or severally by that wher person and the wivner or lessee. as the case may be. of such land. or that th shall be sold jointly or severally by them or that a part of it shall be held jointly or secerally by them and the remamng part thereof shall be sold fomtly or severally by them.

One rupee for every rupees 10,000 or part thereof of the value of the security at the time of its purchase of salc. as the case may be.
one rupee for every rupees ten thousand or part therenf of the value of cotion
one rupee for every rupees ten thousand or part thereof of the value of silver or gold or sovercigns of spices, as the case may bc,
one rupee for every 10.000 or part thereof of the value of yarn of any kind. non-mineral oits or spieces of any kind, as the case may be.
one rupee for every rupes 10.000 or pant thereof of the value of yarn of any kind, non- mineral ouls or spices of any kind, as the case may be.

Twenty rupees for every one thousand rupees or part there ot: on the amount of consideration as set forth in the instrument

Rupees twenty for every rupees one thousand or part thereof on the amount of consideration. as set forth in the agreement or the marker valuc of the immovable propenty which is the subject of such agreement whels ever is greater

## Description of instrument

## Explanation.

For the purposes of this clause:
(1) The expression "land" shall include things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth. -
(2) The expression "Lessec" shall mean a holder of a lease in perpetuity or for a period of thirty years or more.
(3) The expression "building" shall mean a building having more than one "aparment" and" or more than one "commercial unit" where the expression "apartment" means a part of any property. intended for independent use . including one or more rooms or enclosed spaces located on one or more floors or any part or parts. thereof is: a building. intended to be used for residential purpose and with a direct exit to a public street, road or highway or to a common area leading to such street. road or highway. which. logether with its undivided interest in the common areas and facilities. forms an independent residential. unit: and the expression "commercial unit" means any separate identifiable property. including enclosed spaces located in the building or commercial complex, on one or more floors or any part or paris thereof . to be used for the purpose of practicing any profession . or for carrying on any commercial activity. occupation trade or business or for any other related use and with a direct exit to a public street, road or highway or 10 a common area leading to such street. road or highway which. together with its undivided interest in the common areas and facilitics. forms an independent commercial unit and includes any godown, in the building in which such unit is located for use by the owner of suct unit for keeping goods.
(g) If relating to.-
(i) Ans adveriscment on mass media, made for promotion of any product: or programme or event with an intention to make profits or business out of it.
(ii) conferring exclusive rights or telecasting, broadcasting or exhibition ef an event or a tim.
(iii) specific perfomance by any person or a group of persons where the value of contract exceeds rupees 1.00 .000 .
(iv) creation of any obligation, right or interest and having monetary value, but not covered under this Article,
(v) Assignment or copy right under the Copyright Act, 1957 (Act no. 14 of 1957).
(h) If not otherwise provided for.

Two rupees for every rupees 1.000 or part thereof on the amount ayreed in the contract.

Two rupees for every rupecs 1.000 or pant thereof on the amount agreed in the contract.

Two rupees for every rupeces 1.000 or part thereof on the amoum agreed in the contract.

Two rupees for every rupees 1.000 or part thercof on the amount agreed in the contract.

Twó rupees for every rupees 1.000 or part thereof on the amount agreed in the contract of value signed for such assumment

One hundred rupees.

## Eacmption

Agreement or memorandum of ayreement made in the form of tender to the Central Government for. or relating to any loan:
6. AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLEDEEDS, PAWN. IIYPOTHECATION OR PLEDGE. that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to -
(1) the deposit of titie-deeds. or instruments, constituting or being evidence of the tille to any property whatever (other than a marketable security): or.
(2) the pawn. hypothecation or pledge of movable property.
where such deposit. pawn. hypothecation or pledge has been made by way of security for the repayment
of monev adranced or to be adranced by way
of loan or an existing or future debs
(a) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agrecment:
for every nupees onc thousand or part thercof of the amount of loan or debi.

## Explanation-

For the purposes of clause (1) of this Article. any Ictter, note or memorandum, record or writing; relating to the deposit of title deeds. whether written or made before or at the time of, or after, the deposit of title deeds is effected, and whether it is in respect of the first loan or any subsequent loan. such loan. such letter, note. memorandum, record or writing shall. in the absence of any separate agreement relating to deposit of title deeds, be deemed to be an instrument evidencing ain agreement relating to the deposit of title deeds.
(b) ir such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument.

## Exemption

Instrumeni of pawn. hypothecation or pledge of agriculture produce. if unattested.

## 7. APPOINTMENT IN EXECUTION OF A POWER.

whether of irustes or of property: movable or immonable. where made by any writing not being a will-
(a) where the value of the property docs not exceed rupees one thousand.
(b) in any other case
five rupecs. subject to a maximum of rupees ten thousand.

Half the duty payable on a loan or debt under.clause (a) for the amount secured.

Fifyy rupees.

One hundred rupees
Description of instrument
8. APPRASEMENT OR VALLATION made
otherwise than under an order of the Court in the course of a suit
(a) where the amount does not exceed Rs. 1.000 .
(b) in any other case.

## Exemptions

(a) Appraisement or valuation made for the information of one party only. and not being in any manner, obligatory between parties. either by agreement or operation of law.
(b) Appraisement of crops for the purpose of ascerlaining the amount to be given to a landlord as rent.
9. APPRENTICESHIP DEED. including every writing relating to the service or tuition of any apprentice. clerk or servant. placed with any master to lean any profession. trade or employment. not being ARTICLEES OF

CLERKSHIP (No. 11)

## Exemption

Instruments of apprenticeship executed by a magistrate under the Apprentices Act, 1850 (Act no. 19 of 1850 ). or by which a person is apprenticed by or at the charge of any public charity.
10. ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY.

Exemption
Aricles of any Association not formed for profit and registered under section 26 of the Indian Companies Act. 1913 (Act no. 7 of 1913).

See also MEMOR ANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY (No. 40).
11. ARTICLES OF CLERKSHIP or contract whercby any person first becomes bound in serve as a clerk in order to secure his admission as an attomey in any High Court.

ASSIGNMENT Siי CONFEYANCE (NO. 24), TRANSFER (No. 60I, and TRANSFIR OF LEASE (No. 6I), as the case may be.

ATTORNEY- See ENTRY AS AN ATTORNEY (No. 17) and POHER-OF-ATTORNEY (No. 48). AUTHORITY TO ADOPTSae ADOPTION DEED (No. 3).
12. AW.ARD.- that is to say. any decision in
writing by all arbitrator or umpire. not being an award directing a partition. on a reference made otherwise than by an order of the Cour in the course of a suit-

The same dury as a Bond (No. 14) for such amount

The same duty as a Bond (No. 14) for rupees one thousand.

Tiwenty rupecs.

Five hundred rupces.

Four hundred rupees.
i•roriphic., "r ......
(1) where the amount on value of the property to which the a ward relates as set forth in such award dos not exccati $R_{f}$. 1 , ,000.
 parent
(c) where it: subject matter of a wand is :inapoble of valuation
ix within
Award under the UP Muncipabition Act 1916. ACc: no 2 of
 mo. 10 กf192? , vernon 191

13 BANK GUARANTEE. Guarance deed executed by a bant: as a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability. -
for every one thousand rupees or part thereof.

Bill of Exchange- See No IS Schedule I. of the Indian Stamp Act. 1809

BILL OF L.TDAN: Ser A. 14 Schedule 1 of the Indian Stamp Act. A'usschedul. 1 .
14. BOND las defined by action 2(iii) not being a debenture (No. 27 of Schedule of ti indian Stamp Act. 1899), and not beng otherwise provided or by this Act or by the Cours-fees Act. 1870 (Act nu. 7 of 1571 )-
where the amount. or value secured does not exceed Rs. 100 :
where it exceeds Rs. 100 and does not exceed Rs. 1000
and for every additional Rs. 1000 or part thereof in excess of Rs. 1.000.

## See ADMINISTRATION BOND (NO. 2)

BOTTOMRY BOND (NO. 15), CUSTOMS BOND (NO.27), INDEMNITY BOND (NO. 33). RESPONDENTIA BOND (NO. 54). SECURITY BOND (NO. 55).

## Exemption.

Bond. when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any oh er subject of public utility shat not be less than a specified sum per mensem.
15. BOTTOMRY BOND. that is to say, any instrument whereby the master of a seagoing ship borrows money on the security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.
16. CANCELLATION - Instrument of (including any instrument by which any instrument. previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for.

The ramedulyas a bond a ni 14 : such amaut Ten: rupees.

The sarreduty a a boris A. . it: ruses me deousand.
five rupees subject to a maximum of in thousand rupees.
four rupees
forty rupees
forty rupees


Descriptian of instrument
Praper siamp dinty



17. CERTIFICATE OF RNROHAMENT UNDER SECTION 22 OF THE ADVOATES ACT. 1961. (Act no. 25 of 1961 histuce oy the State Bat (ouncil of Ultar Pradesh.
18. CERTIFICATE OF PRACTICE AS NOTARY unde: sub-section (i) of section 5 of the Notaries Act, 1952. (Act no.53) of 1052 ) of endorsemem of renewal of such certilicate under sub-section I2 of the said section.
19. CERTIFICATE OF SALE (in respect of each property put up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Court. by an officer. authority or body empowered under any law. for the time being in force. to sell such property by public auction and to grant such certificate.
20. CERTHFICATE OR OTHER DOCUMENT, cvidencing the right or tite of the holder thereof. or any other person. either 10 anly shares. scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate. or to become proprietor of shares. scrip or stock in or of any such company or body.
See also LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES (NO. 37)
21. CIARTER-PARTY. that is to say any instrumen (except an agreemem ior the hire of a tug-steamer) wherehy a vessel or some specified principal pan thereof is let for the specilied purposes of the charterer. whether it includes a penaity clause or noi.

Article 22. (1) Clearance List relating to the transactions for the purchase or sale of Government securities submitted to the clearing house of a stock exchange.
(2) Clearance List relating to the transactions for the purchase or sale of a share, scrip. stock. bond, debenture, debenture-stock or other marketable security of a like nature in or of an incorporated company or other body corporate, submitted to the clearing house of a stock exchange whether recognized or not recognized under the Securities Contract (Regulation) Act. 1956 (Act no. 42 of 1956).
(3) Clearance List relating to the transactions for the purchase or sale of Cotton submitted to the cotton assoctation
23. COMPOSITION-DEFID. that is, to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the

Mw bundred runes

## Two hundred rupes

The same duty as a come yame (No. 24 clause (al) for a comsiduration equal to the amoun wind purchase money only.

One rupee.

Ten rupee.

The sum of dutics payable under clause (b) of Article 5 or Article 44 (g), as the case may be. in respect of each of the entries in such list on the value of the securities calculated at the making up price or the contract price. as the case may be.
The sum of duties payable under Aricic 5 (c) (i) or 44 (f). as the case may be. in respect of each of the entries in such list on the value of the securities calculated at the making up price or the contract price. as the case may be.

The sum of duties payable under Arucle 5 (d) (i) or 44 (a). as the case may be. in respect of each of the entries in such list on the value

Fifty rupecs.

Deseription of instrument
benefit ol his erediters. or whereby parment of a composition or dividend on their ctebts is secured to the creditors. or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business, under the supervision of inspectors or under letters of license. for the benclit of his cediturs.
24. CONVEJNNCE fas dethed by setion 2(viii)|. not being a TRANSFIER charged or exempted under No. 60 . -
(a) if chating to immorahle property where the amount or valac of the consideration for such

Conveyance as set forth therein or the market value of the immovable property which is the subject of such Conveyance, whichever is greater does not exceed Rs. 500 .

Where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 1000 .
and for every Rs. 1000 or part thereni in excess of Rs.1.000.
Provided that. if an immovable property is sold by Government or a local Body (constituted under the Uttar Pradesh Municipalitics Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) or the Utar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1959 (U.P.Act no. 2 of 1959) or by a Development Authority constituted under the Utar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973. (President Act no. 11 of 1973 as amended and re-enacted by $U$. P. Act no. 30 of 1974). an Industrial Development Authority constituted under the Utar Pradesh Industrial Area Development Act. 1976 (U. P. Act no.6 of 1976). the Uttar Pradesh Awas 1:vam Vikas Parishad established under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam. 1965 (U.P. Act no. 1 of 1966) and the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation registered under the Companies Act. 1956. (Act no.l of 1956) on the basis of the pre-determined price. then the value determined by such bodies, shall be the market value of the subject matter of the property.

Explanation. For the purposes of this proviso the "predetermined price" includes the interest and/ or penally, if any. relating to the transferted property levied by the above mentioned authorities on the allollec.
(b) If relating to immovable property-
by a co-operative housing society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in ferce. in favour of its members:
(c) it relating to transfer of share in immovable property of an existong member of a co-operatice housing socicty m bavour of an menming persoll by the co-upetative housme society by mans of ssuance of new share cortifeates or when such transfer is affect be endorsemen on the share centitate of the


Provided that in case stamp duty has already been paid on such transfer of shares as provided in the above clause (c) and when conveyance in pursuance of such transfer of shares' is subsequently executed. the duty on such conveyance shall be one hundred rupees.

## Exemption

Instrument of Conveyance executed in favour of a co-operative society. not being a co-operative housing society, registered or decried to be registered under any law relating to co-operative societics for the time being in force.
(d) if relating to movable property :
where the amount or value of the consideration of such Conveyance as set forth therein does not exceed rupees one thousand,
and for every rupees one thousand or part thereof in excess of rupees one thousand.
(c) (i) if relating to the order of High Court in respect of the. Ten percent of amalgamation or reconstruction of companies under section 394 of the Companics Act, 1956 (Act no.l of 1956) or under the order of the Reserve Bank of India under section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Act no. 10 of 1949), or
(ii) whereby an incorporated company or body corporate transfers its property in the form of controlling interest by transfer of equity shares to another incorporated company or body corporate or a person or a group of persons.
the aggregate of the market value of the shares issued or allotted in exchange or otherwise and the amount of the consideration paid for such amalgamation, or
the market value of the shares transferred to the transferee in the form of controlling interest;

Provided that the amount of duty chargeable under this clause shall not exceed - .
(i) an amount equal 10 five percent of the market value of the immovable property located within the territory of Uttar Pradesh of the transferor company, or
(ii) an amount equal to 0.70 percent of the aggregate of the market value of the shares issued or allotted in exchange or otherwise and the amount of consideration paid for such amalgamation whichever is higher among (i) or (ii),

Provided further that in case of reconstruction or de-merger, the duty chargeable shall not exceed-
-(i) an amount equai io five percent of the market value of the


## Fxemption

Assignment of copyrigh: in musical works be resident of or first putlished in India.

## Explanation-1

For the purpeses of this Article. in the case oi an agreement to sell an immovable preferty. where pessession is detivered before the exccution or at the ume of exceution or se agred to be deflered whont executng the converanes. the agremem shall be decmed to be a conveyane and stamp tiereon shall be payable according! :

Provided that the provisions of section 5I shall mutais mutandis. apply to such agreement:

Provided further that in case stamp duty has already been paid on agrement to sell whth possession and when conveyance in pursuance of such agreenent is subseguenty executed within a period of three years from the date of exection of such agrement, the duty on such converance shall be one hundred rupees: and if Conceranee in pustuane of such agrement with possession is subsequentity exculed atier a period of there years from the date of exccution of such agrement: the stamp duty paid under this a lause in excess of the duiy patable under clause. (e) of ihis Aricte shali be adusited nowards the total duty payable on the concyance.

## Explanation 2.

(i) For the purposes of clause (c). the marker a aive of shares.-
(a) in relation to the transferec compaily, whose shate are listed and quoted for tading en a shock exchange means the marke value of shares as on the appointed day memtioned in the scheme of amalgamation or when appointed day in no so tixed the date al order of the high Court: and
(b) in relation to the 1 . msteree company whose shates are now nsted ar histed but nol quoted for trading on a stock exchange. means the market value of the shates isstued or allotted whth reference to the market value of the shares of the mansfero company or as determined by the Collector afore givng the transeree company an oportunty of bome hatert.
Deseription of instrument
(ii) For the purposes of clause (e). the number of shares issued or
alloted in exchange or othervise shall mean, the number of
shares of the transferor company accounted as per exchange ratio
as on appointed date.

## CO-PARTNERSHIP DEED. See Partnership (No.47).

25. COPY OR EXTRACT centified to be a true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to cour fees -
(i) if the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed ten rupee;
(ii) in any other case not falling within the provisions of section 7 .

## Excmptions

(a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or to fumish for record in any public office or for any public purpose.
(b) Copy of or extract from any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages. divorces. dcahs or burials.
26. COUNTERPART OR DUPLICATE of any instrument chargeabie with duty and in respect of which the proper duty has been paid. -
(a) if the duty with which the original instrument is chargeable. does not exceed fifty rupces:
(b) in any other case not failing within the provisions of section 7 .
. . Exemption
Counterpart of any lease granted to a cultivator when such lease is exempled from duty.

## 27. CUSTOMS-BOND - <br> (

28. DFIIVERY-ORDER IN RESPECT OF GOODS. that is io say, any instrument entiting any person therem named. or his assigns or the holder thereof, to the delivery of any goods lying in any dock or port, or in any warehouse in which goods are stored or deposited on rent or hire. or upon any wharf. such insirument being signed by or on behalf of the owner of such goods. upon the sale or trensfer of the property therein. when such goods exceed in value one thousand rupees.
DEPOSIT OF TITE-DEEDS See AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLEDEEESS. HYPOTHECATVON PA: P'N. OR PLEDGE (No. 6).
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP. See
PARTNERSHIP (NO. 47$).$
(ii) For the purposes of clause (e). the number of shares issued or alloted in exchange or otherwise shall mean, the number of shares of the transferor company accounted as per exchange ratio as on appointed date.

PARTNERSHI NO. $47 \%$.

Ten rupee.

Ten rupec
Proper stamp duty

The same duty as is payable on the original.
Fifty rupees. .

Subject 10. a maximum of one hundred fifty rupees. the same duty aṣ on a Bond (No. 14).

Ten rupees.
Description of instrument Proper stamp duty
29. DIVORCE - Instrument of. that is to say. any instrument by One hundred rupee. which any person effects the dissolution of his marriage.

DOWER-Instrument of. Sce SETTLEMENT. (No. 56). DUPLICATE. See COUNTERPART (No. 26).
30. EXCHANGE OF PROPERTY- Instrument of exchange of property including declaration or record of oral exchange of property or any decree or final order of any civil or revenue court,

The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the market value of the property of greatest value.

Provided that where stamp duty has alrcady been paid on the decree or order of the Court and subsequently an instrument of exchange of property is executed in pursuance of such decree or order, the stamp duty. if any. already paid or recovered on such decree or order shall be adjusted towards the total duty leviable on such instrument.

EXTRACT. See COPY (No. 25).
31. FURTHER CHARGE- Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property -
(a) when the original mortgage is one of the description referred to in clause (a) of Article No. 41 (that is. with possession):
(b) when such inorgage is one of the description referred to in clause (b) of Article No. 41 (that is, without possession)-
(i) if at the time of execution of the instrument of further charge possession of the property is given, or agreed to be given under such instrument;
(ii) if pessession is not so given.
32. GIFT- Instrument of not being a SETILEMENT (No.56) or WILL. OR TRANSFER (No. 60).

The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the amoum of the further charge secured by such instrument.

The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the total amount of the charge (including the original mortgage and any further charge already made) less the duty already paid on such original mortgage and further charge.

The same duly as a Bond (No. 14) for the amount of the further charge secured by such instrument.

The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the value of the property.

HIRING AGREEMENTS or agreement for senvice. See AGREEMENT (NO. 5 ).

## 33. INDEMNITY-BOND

The same duty as a Security Bond not being a mortgage deed (No. 55) for the same amount.

FISLRACE See POLICY OF INSLRINCE iNO． 77 of Schectule on the Indian Slamp Act． $18 \varphi y$ ）．
34．INSTROMENT correcting a purely clerical error in an instrunent charguable with duty and in respect of which the pioper duty has been paid．
35．LEASE including an under－lcase or sub－lease and any pgrecment to let or sub－let or any renewal of lease－
（8）where by such lease the ren is fixed and no premium is pard or delivered－
（i）where the lease purports to be for a term not exceeding three years：－
（ii）where the lease purports to be for a term exceeding three ycars but not excceding five years；
（iii）where the lease purporss to be for a term exceeding five years but not exceeding ten years：
（iv）where the lease purports in be for a term exceeding ten years but not exceeding wenty years：
（v）where the lease purports to be for a term exceeding iwenty years but not exceeding thinty years or does not purport to be for any detinite term：


One hundred rupees
wo percent of the whole amount ． payable or dèliverable under such lease．
two percent of a consideration equal to three times the amount or value of the average amual rent reserved．
two percem of a consideration equal to five times the amount or value of the average ammal rent reserved．
wo percent of a consideration equal to ten times the amount or value of He average amual ient reserved．
two percent of a consideration equal to twenty times the amount or value of the average ammal rent reserved．
（vi）where the lease purports to be for a term exceeding thirty years or in perpetuily：
（b）where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved；
（i）where the lease purports to be for a terni not exceeding thinty years or does not purport to be for any defnite term：
（ii）where the lease purports in be for a term exceeding thirty years，or in perpetuity．

The same duty as a Conveyance（No． 24 clause（a））for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as sei forth in the lease．

The same duty as a Conveyance（No． 24 clause（a））for a consideration equal to the marker value of the property which is the subiect of the lease．
（c）where the lease is granted for a fine or premium or for moncy． advanced in addition－to rent reserved．
(i) wher: the vedse purports bo bor a tem nut exceeding thiry the same duty as a onvevane tNo. years of does not puiport whe for any detnite tem:
(ii) where the lease purports to be for a term exveeding thirty ycars, or in perpetuity.
(d) where the rent is not specified and the lease is granted on the basus of sharing of profie or peremtage in tarnower or ohtrwise live apernd not more than thery vears, the rent shall be assumed to be cuat to the rem as catcubated on the bass of such percomage or the rent as fixed by the Collector under Uuar
 from time to the - whichever is hater:
(e) where the lease is graned for premum and or rem on the bass of sharing of prolit. of on percentage in tumnver or oiberwise for a peried nee more than thiny years maddition io premium and or :ent.

Provided that the miniman duty payabic on any lease shall be one hundred rupees.

Proved further that. of an inamonabe perpenty is given on lease b: Gnsmment or a i.ocd! Bod (iomistuted under the Ultar












24 clause (a) for a consideration cquat to the amount or value of such liace or premitan or adance as se forth in the lease $w$ addition to the duty which woukd heci been payable on suct lease if no lane or premiun or advance had been pand or dehvered:

Provided that a: a case when an agremen to lease stamped with the ad vatorem stan:p requred for lease. and a lease an pussuance of such agrement is subsequenty execuled. the duly much lease stand not exceced lify rapees.

The same duly as a Conveyane: (No. 24 clause (a)) for a consideration equal to the marke value of the property which is the subject of the lease.

As in clause fa) on the amount of rent so arrived

On the sum oi duey arrived under clanse (d) and clause (a), (b) or (c). as ithe case nay be.

Beseriphor of inservment
Propar stamp duty
registered under the Companies Act, 1956, (Act no. 1 of 1956)
the stamp duty shail be payable as following :-
(i) where the lease purports to be for a term exceeding thity ycars.
(ii) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved
(iii) where the lease is gramted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved and purpons to be for a term exceeding thiry years.

Provided also that if stamp duty has already been paid on decree or final order of a court and subsequently an instrument of lease is executed in pursuance of such decree or order. the stamp duty, if any, alrcady paid and/ or recovered on such decree or order. the dury shall not exceed rupees one hundred.
$\therefore$.

## Exemption.

I.ease. executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultavation fincluding a lease of wees lor the production: of food or drink) wthout the payment or delivery of any line or premium, when a defmite erm is expressed and such tem does not exceed one year. or. when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupecs.

In this exemption a lease for the purposes of cultivation shal! include a lease of land for cultivation together with a homestead or tanks.

## Explanations.

(1) When a lessee undcrakes to pay any recurring charge such as Government revenue, the landlord's share of cesses or the owner's share of municipal rates or taxes which is by law recoverable from the lessor the amount so agreed to be paid by the lessec shali be deemed to be part of the rent.
(2) A lease from month to month or year to year without any fixed period or one for a fixed period with a provision allowing the lessee to hold over thereatier for an indefinite term. thatl be deemed for the purposes of this Article to be a lease not purporting to be for any detimut term.
(3) Rent patd in advanee shall be deemed to be money advanced: withon the meaning of thes Article unless it is specificatly

The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for the amount of consideration equal to ten times of the amount or value of the average annual rent rescroud.

The same duty as a Conveyance (No. 24 clause (a)) for the amount of consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as sei fornh in the lease.
The same duty as a Convevance (No. 24 clause (a)) for the amount of consideration equal to the amount or value of such finc or premium or advance as set forth in the lease in addition to the amount mentioned in respect of clause (i).

(-) The aggregate amoun at which tolk are let. whether payable in lump suan or mastalments shatl be deemed to be premine? for the purposes of this Artiche.
(i) bay consideration in the fom of premitm or money adanced or to tee advanced or sucuriv depost bo abatore mame called shatl, for the purpose of this Arucle be treated as premium passed on.
(6) The provision of extension of the lease period atong with the pre-determined rate of rent and the obligation on the part of the lessor to extend the lease shall be treated as a part of the tem of the present lease.
36. IEAVE AND LICENSE.- if relating to immovable propery, as defined in section 52 of the Easements Act. 1882 35) (Act no. 5 of 1882)
37. LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES. in any company or proposed company; or in respect of any loan to be raised by any company or proposed company.

Ser alvo CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT (Nu. 20).
38. LETTER OF LICENCE, that is to say any agreement between a debtor and his creditors. that the later shail. for a specified time. suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.
39. LICENCE RELATING TO ARMS OR AMMUNITION. that is to say, document evidencing the license or renewal of license relating 10 arms or ammunition under the provisions of the Arms Act. 1959 (Act no. 54 of 1959).
(A) License relating to following arms:
(i) Revolvers or pistols
(ii) Rifles
(iii) DBBL Weapons
(iv) SBBL Weapons
(v) ML Weapons
(B) License relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules. 1962:
(i) $1: 0 r m \mathrm{XI}$ Ten thousand rupees
(ii) Form X 1 H . Ten thousand rupees
(iii) Form XIII
(iv) Form XIV
(C) Renewal of license relating to following arms:
(i) Revolicers or pistols

Two thousand rupes
Onc thousand five hundred rupees
One thousand rupers
One thousand rupees
Two hundred rupecs.

Five thousand rupees
Three thousand rupees

| y Description of instrument | Proper stamp duty |
| :---: | :---: |
| (ii) Rifles | one'hundred rupees |
| (iii) DBBL Weapons | one hundred rupees |
| (iv) SBBL Weapons | one hundred rupces |
| (v) ML Weapons | -one hundredrupees |
| (D) Renewal of license relating of ams or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962; | : |

(i) Form XI Three thousand rupecs
(ii) Form XII
(iii) Form XIII
(iv) Form XIV
40. MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY -
(a) if accompanied by articles of association under section 26 of the.Companies Act, 1956. (Act no.l of 1956) :
(b) if not so accompanied.

## Excmption

Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 26 of the Companies Act. 1956. (Act no. 1 of 1956)
41. MORTGAGE-DEED, not being ÄN AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF . TITLE DEEDS, HYPOTHECATION, PAWN OR PLEDGE (NO. 6) BOTTOMRY BOND (NO. 15), MORTGAGE OF A CROP (NO. 42), RESPONDENTIA BOND (NO. S4), OR SECURITY BOND.NOT BEING A MORTGAGE DEED (NO. 55)
(a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given:
(b) when possession is not given or agreed to be given as aforesaid:

## Explanation:

A mortgagor who gives to the mortgagee a power-of- attomey to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof. is deemed to give possession within the meaning of this Article.
(c). When a collateral or auxiliary or additional or substituted security by way of further assurance for the above-mentioned purpose: where the principal or primary security is duly stamped - .
for every sum secured not exceeding Rs.1,000;
Ten rupees
and for every Rs. 1.000 or part thereof secured in excess of Ten rupecs. Rs. 1.000 .

## Exemptions

(1) Instruments, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act. 1883 (Act no. 19 of 1883), or the Agriculturists Loans Act, 1884 (Act no. 12 of 1884), or by their sureties as security for the repayment of such advances.
(2) Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.
42. MORTXGAGE OF A CROP, including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any, montgage of a crop. whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage-
(a) when the loan is repayabie not more than three months from the date of the instrument -
for every sum secured not exceeding Rs. 6000 :
and for every Rs. 6000 or pan thercof in excess of Rs. 6000 :
(b) when the loan is repayable more than three months. but not more than eighteen months from the date of the instrument
Por every sum secured not exceeding Rs. 3000 :
and for every Rs. 100 or part thereof secured in excess of Rs. 3000 .
43. NOTARIAL ACT, that is to say. any instrument. endorsement, note. attestation. certificate or entry not being a PROTEST (NO. 49) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office. or by any other person lawfully acting as a Notary Public.

See also PROTEST OF BILL. OR NOTE (NO. 49).
44. NOTE OR MEMORANDUM sent by a broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal-
(a) of coton . . .
(b) of bullion or specie
(c) of oilseeds.
(d) of yam of any kind, non-mineral oils or species of any kind.
(e) of any other goods exceeding in value twenty rupees.

## Ten rupees

Ten rupees

Twenty rupecs
Twenty rupees

Ten rupec.
one rupee for every rupees 10.000 or part thereof on the value of colton,
one rupec for every rupees ten. thousand or part thereof on the value of silver or gold or sovereigns. as the. case may be.
onc rupee for every 10.000 or pant thercof on the value of oilseeds.
one rupee for every rupees 10.000 or part thereof of the value of yam of any kind. non-mmeral oils or species of any kind. as may be.
one rupee for every rupees 10.000 or part thereof on the valuc of goods
Description of instrument
(f) of any share, scrip. stock. bond. debenture. debenture-stock
or other marketable security of a like nature exceeding in valuc
twenty rupees, not being a Government security.
(g) of a government security.

## Explanation

(1).For the purposes of this Article, "Stock Exchange" referred hereinabove means a Stock Exchange as defined in clause (j) of section 2 of the Securities Contract (Regulation) Act. 1956 (Act no. 42 of 1956). (2) For the purposes of Article 44. if any duty is paid under Article 52, then the same shall be reduced from the duty payable under this Article.

## Exemption

Note or Mcmorandum sent by a broker-or agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal or a goveriment security or a share. scrip. stock. bond. debenture: debenture-stock or other marketable security of like nature in or of an incorporated company or other body corporate. an entry relating to which is required to be made in Clearance List. described in Article 22.

## 45. NOTE OF PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP.

See also PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP (NO. 50), ORDER FOR THE PAYMENT OF MONEY.

See BILL OF EXCHANGE (NO. 13 of Schedule of the Indian Stamp Act. 1899).
46. PARTITION- Instrument of -[as defined by section 2(xvi)]
N.B.-The largest share remaining after the property is partitioned (or. if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other shares) then one of such equal shares shall be deemed to be that from which the other shares are separated:

## Provided always that -

(a) when an instrument of partition containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument. but shall not be less than ten rupees:
one rupec for every. rupees 10.000 or part thereof of the value of the security, at the time of its purchase or sale, as the case may be.
Fifty paise for cvery rupees 1.00 .000 or part thereof on the value of security.

Proper stamp duty
scturity.

Ten rupees.
two percent of the amount of the market value of the separated share or shares of the property:

Provided that the duty payable shall be rounded off to the next multiple of ten rupees.
Description of instrument Proper stamp duty
(b) where land is held on Revenue Settlement . the value for the
purposes of this Article shall be deemed io be ..
(i) twenty times the annual revenue. and
(ii) ten times the net profit that has arisen from the land during the year next before the date of partition. where the land is wholly or partly exempt from payment of revenue:
(c) where a final order cllicting a partition passed by any Revenue authority or any Civil Court, or an award by an arbitrator directing a partition, is stamped with the stamp required for an instrument of partition. and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed. the duty on such instrument shall not exceed ten rupees.
47. PARTNERSHIP - A Instrument of -
(a) where the capital of the partnership does not exceed Rs. 10000 ;
(b) in any other case
13. Dissolution of

Pann or pledge. See Agreement Relating to deposit of title deeds. pan'n or pledge (no. 6)

Policy of Insurance -
Sce Schedule of the (Indian Stamp Act, 1899).
48. POWER OF ATTORNEY as defined by section 2(xxii). not being a PROXY (NO. 52 of the Indian Stamp Act. 1899) (Act no. 2 of 1899)
When authorizing-
(a) grandfather, father, grandmother, mother. husband. wife: sort, grandson, daughter, real brother, real sister, without consideration to sell or otherwise transfer an immovable property.
(b) a person other than those mentioned in clause (a) without consideration to sell or otherwise transfer an immovable propery: -
(i) given for a perrod not exceeding two years
(ii) given for a period exceeding two years or for a period not mentioned in the instrumem or for an indefmite pernod.

One hundred rupees

The same duty as a Bond (No.14) for rupees ten thousand.
One hundred rupees.
five thousand rupees
The same duty as a Conveyance |No. 24 clause (a)] for the market value of the property which is the subject of the instrument.

## Description of instrument Proper stamp duty

(c) any person to sell or otherwise transfer an immovable property situated in Uttar Pradesh, when given for consideration

The same duty as a Conveyance [No. 24 clause (a)] for the amount of consideration or market value of the property whichever is higher.

The same duty as a Conveyance[(No. 24 clause (a)] for the amount of consideration or market value of the property whichever is higher.

The same duty as a Conveyance [No. 24 clause (a)] on market value of the property forming subject matter of such attorncy.
fifty rupees

Five hundred rupecs

One percent of the amount of consideration mentioned in the instrument. subject to a minimum of rupees one thousand.
one hundred rupces

Ten rupees.

Ten rupecs.

## Description of instrument

with a view to the adjustment of losses or the calculation of averages, and every declaration in writing made by him against the charterers or the consignees for not loading or unloading the ship. when such declaration is attested or certified by a Notary Public or other person lawfully acting as such.
See also NOTE OF PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP (NO. 45).

Proxy - See No. 52 of Schedule of the Indian Stamp Act. 1894
Receipt - See No. 53 of Schectule of the Indian Stamp Act. 1899
51. RE-CONVEYANCE OF MORTGAGED PROPERTY-
(a) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs. 1,000;
(b) in any other case.
52. Record of transaction (Electronic or otherwise) effected by a trading member through a stock exchange or the association referred to in section 15, -
(a) if relating to sale or purchase of Government securities,
(b) if relating to purchase or sale of securities. other than those falling under the above sub-clause (a),
(i) in case of delivery.
(ii) in case of non-delivery.
(iii) if relating to future and/ or options trading,
(iv) if relating to forward contracts of commodities traded through an association or otherwise.

Provided that the duty paid under Article 52 shall be adjusted with the duty paid under Article 5(b) Agreement or memorandum of an agreement, Article 22, Clearance List and Article 44 Note or Memorandum, as the case may be.

## Explanation

For the purposes of clause (b), securities shall have the same meaning as defined in the Securities Contract (Regulation) Act. 1956 (Act no. 43 of 1956). the term "trading member" shall have the same meanung as defined in Regulation 2 (GA) of Securities and Exchange Board of India (Stock Broker and Sub-broker) Regulations.

The same duty as a Conveyance [No. 24 clause (a)] for the amount of such consideration as set forth in the Re-conveyance.

The same duty as a Conveyance [No. 24 clause (a)] for rupees one thousand.

Fifty rupees for every rupees one crore or part thereof of the value of the security,
one rupee for every rupees, Ten thousand or part thereof of the value of security.
Twenty paise for every rupees ten thousand or part thereof.
Twenty paise for evin rupees ten thousand or part thercof, of the value of security.
One rupee for every rupees one lakh or part thereof of the value of : security.

## Description of instrument <br> Proper stamp duty

```
53. Release- that is to say, any instrument, not being such a
release as is provided for by sub-section (2) of section 29;
```

(1) where by a person renounces a claim upon another person or against any specified property-
(a) if the amount or value of the claim does not exceed rupees ten thousand,
(b) in any other case.
54. RESPONDENTIA BOND, that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination.
REVOCATION OF ANY TRUST OR SETTLEMENT. See SETTLEMENT (NO. 56): TRUST (NO. 62).

## 55. SECURITY BOND NOT BEING A MORTGAGE

DEED, executed by way of security for the due execution of an office. or to account for money or other property received by virue thereof or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability-
(a) when the amount secured does not exceed Rs. 1.00
(b) in any other case

## Exemptions

Bond or other instrument, when executed-
(a) by any person for the purpose of guarantecing thai the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility. shall not be less than a specified sum per mensem;
(b) exccuted by persons taking advances under the Land Improvement loans Act, 1883 (Act no. 19 of 1883). or the Agriculturists L.oans' Act. 1884 (Act no. 12 of 1884).or by their suretics. as security for the repayment of such advances;
(c) executed by officers of the Government or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.

## 56. SETTLEMENT

A. INSTRUMENT OF- (including a deed of dower).
same duty as a Bond (no.14) for such amount as set forth in the release, same duty as a Bond (no.14) for rupees ten thousand
The same duty as a Bond (No. 14) for the amount of the loan secured.

## Ten rupees

One hundred rupees.

The same duty as a Bond (No.14) for a sum equal to the amoun or market value of the property settled:
exceed ten rupees.

## Exemption

Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Muhammadans.
B. REVOCATION OF -

The same duty as a Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or valuc of the property concemed as set forth in the instrument of Revocation but not exceeding fifty rupees.

See also TRUST (No. 62).
57. SHARE WARRAN'TS. in bearer issued under the Indian Companies Act. 1913 (Act no. 7 of 1913).

## Exemptions

Share warrant when issued by a company in pursuance of the Indian Companies Act, 1913, (Act no. 7 of 1913) section 43. to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of Stamp-revenue, of -
(a) one and a half per centum of the whole subseribed capital of the company, or
(b) if any company which has paid the said duty or composition in full, subsequently issues as addition to its subscribed capital one and a half per centum of the additional capital so issued.

SCRIP. See Certificate (No. 20)
58. SHIPPING ORDER for or relating to the conveyance of Ten rupecs.
goods on bóard of any vessel.

## 59. SURRENDER OF LEASE-

The same duty as a Bond (No.14) for a consideration of rupees one thousand or the duty with which such lease is chargeable whichever is less:

Provided that the duty payable shall be rounded off to the next multiple of ten rupees.

## Exemption

Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.
60. TRANSFER (whether with or without consideration)-
(a) See No. 62 of Schedule of the Indian Stamp Act. 1899
(b) of debentures. being marketable securities. whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8:
When the value of the share or the face amount of the debenture Ten rupees docs not exceed rupees five hundred,
Where it exceeds rupecs five hundred but does not exceed Twenty rupees rupecs one thousand
and for every rupees five hundred or pant thereof in excess of Ten rupees rupees one thousand
(c) of any interest secured by a bond, mortgage
deed or policy of insurance-
(i) if the duty on such bond. mortgage deed or policy does not exceed one hundred rupees:
(ii) in any other case
(d) of any property under the Administrator

General's Act. 1913. (Act no.45 of 1913) section 25:
(e) of any trust property without consideration from one trustee Seventy rupees.
to another trustee or from a trustee to a beneficiary.

## - Exemptions

Transfers by endorsement-
(a) of a bill of exchange, cheque or promissory note;
(b) of a bill of lading. delivery order, warrant for goods. or other mercantile document of title to goods:
(c) of a policy of insurance:

```
(d) of securities of the Central Govermment or the Siate
Govermment.
Sue atso section 8.
61. TRANSFER OF LEASE by way of assignment and not by way of under-lease.
```

(a) where the transfer of lease purports to be for a term not The same duty exceeding thirty years.
[No. 24 clause (a)) cqual io the a consideramon for al
(b) where the ransfer of lease purports in be for a term exceeding thinty years or in perpetuity or does not purpor to be for any definite term,

The same duty [No. 24 clause (a)] equal to the consideration for market value $c$ whichever is greati

## Exemption

Transfer of any lease exempl from duty.

## Explanation

The renewal period. If specifically mentioned in the lease, shat be treated as part of the term of the present lease.

## 62. TRUST.

A.- Declaration of - of, or concerning any property when made by any writing not being a Will-
(a) where the amount or value does not exceed rupees ten The same duly as, thousand.
(b) where such amount exceeds rupees ten thousand. for every additional rupees one thousand or par thereof.

B- REVOCATION OF-
or, concerning any property when made by any instrument other than a WII.L.

On ten thousand payable under clat remainder, ten $r$ additional one th part thercof.

The same duty as for a sum equal value of the prope not exceeding the Bond (No.14) thousand.

See also SET7IEMENT No 56)
VAILUATION: Sex APPRAISEMENT (NO. d). VAKIl. See ENTRY AS A VAKIL INO. (7)
63. WARRANT FOR COODS, that is to say any instrumem evidencing the bite of any person therein named. or hes assigns or the hoider thereof. to the property in any goods lying in or

Ten rupees.

Description of instrument
upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being
signed or certified by, or on behalf of the person in whose
custody such goods may be.
64. Work Contract - exccuted for the exccution of an agreement having a stipulation of security to secure the due perfomance of a contract or due discharge of a liability.

Rupees five for every rupees one thousand or part thereof, of the sum equal to the amount or value secured by such deed. subject to a minimum of rupees one hundred and subject to a maximum of rupces ten lakh.

## STATEMENT OF OBIECTS AND REASONS

The Indian Stamp Act. 1899 which is presently in vogue does not cope with the modern developments and advancoment in information technology: As such. documents which are not covered under this said Act. go without paying proper stamp duty. With a view to keeping in pace with new technology and development. it has been decided to make a new enactment by the name of The Utar Pradesh Stamp Act, 2008 to consolidate and amend the law relating to stamp duties in the State of Uttar Pradesh.

The Uttar Pradesh Stamp Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA.

Sachis:

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० विघा०-2010 -(48)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी०/आफसेट)।

## सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

## भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

## लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 फरवरी, 2016

माघ 15, 1937 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1
--वि--
संख्या $151 / 79$ वि-1-16-1(क)-26-2015
लखनऊ, 4 फरवरी, 2016
----
$\frac{\text { अधिसूचना }}{\text { विविध }}$
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 24 जनवरी, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भास्तीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2016)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा संक्षिप्त नाम, विस्तार जायेगा। और प्रारम्भ
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की धारा 76-क में संशोधन

2-भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, की धारा 76 -क में, खण्ड (ख) में, अंक ' 56 (1)" के स्थान पर अंक और शब्द " 56 (1) (1-क)" रख दिये जायेंगे।

## उद्देश्य और कारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियन की धारा 56 (1-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, जो वर्तमान में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी में निहित हैं, का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राजस्व परिषद् द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप आम जनता को राजस्व परिषद् में ही अपील दाखिल करने की आवश्यकता के कारण कठिनाई हो रही है, जिससे उसके निस्तारण में विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है। माह दिसम्बर, 2014 तक मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष लगभग 2300. स्टाम्प अपील के मामले लम्बित हैं, जिनमें रुपये $1,14,73,50,500$ की धनराशि अन्तर्वलित है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (1-क) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा अब तक प्रयुक्त शक्तियों का प्रतिनिधायन सम्बन्धित मण्डल के उपायुक्त स्टाम्प को किया जाना प्रस्तावित है। अतएव, यह आवश्यक हो गया है कि सरकारी राजस्व हित, आम जनता की सुविधा एवं स्टाम्प अपीलों के शीघ्र निस्तारण के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 76-क (ख) में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पुरः स्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अब्दुल शाहिद, प्रमुख सचिव।

## No. 151 (2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)-26-2015 <br> Dated Lucknow, February 4, 2016

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 24, 2016.

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2015
(U.P. Act No. 1 of 2016)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT
further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.
IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-
Short title, extent

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment)
and

commencement | Act, 2015. |
| :--- |
| (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh. |
| notification in the Gazette, appoint. |

2. In section 76-A of the Indian Stamp Act, 1899, as amended in its application Amendment of to Uttar Pradesh, in clause (b) for the figures "56(1)" the figures and letter "56(1) (1-A)" section 76-A to shall be substituted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, the powers conferred under section 56 (1-A) of Indian Stamp Act, which are vested in Chief Controlling Revenue Authority are exercised by Board of Revenue only with reference to the State of Uttar Pradesh. As a result of this, public in general is facing difficulties on account of appeals needed to be filed only in the Board of Revenue which is likely to cause delay in the disposal of the same . Till December, 2014 there are approximately 2300 stamp appeal cases in which an amount of Rs. $1,14,73,50,500$ is involved, are pending before Chief Controlling Revenue Authority. The powers conferred under section 56 (1-A) of Indian Stamp Act hither to exercised by Chief Controlling Revenue Authority is proposed to be delegated to Deputy Commissioner, Stamps of the concerned Division. Therefore it is necessary to amend section 76-A (b) of Indian Stamp Act, 1899 in the interest of Government revenue, public in general and quick disposal of stamp appeal cases.

The Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

> By order,
> ABDUL SHAHID,
> Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए0पी० 775 राजपत्र-(हिन्दी)-2016-(1820)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए0पी० 74 सा० विधायी-2016-(1821)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

